खण्ड-151, अंक-4
गुरूवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(17 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 151 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १७ मार्च, १९५१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउलहक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद श्री,
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काण्डी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह, यादव श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेर्तासिह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिह, श्री
लालबहादुर्सिह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद, मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजबली सिह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिह, श्र
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पण्डित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिह, श्री
हरदयालसिह पिपल, श्री
हरदेव सिह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, १७ मार्च, १९५५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा गुड़ की खरीद

**१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गुड़ के गिरते हुए भावों को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—गुड़ का भाव १० रुपये मन स्थिर करने के लिए सरकार ने प्रदेश की गुड़ की मुख्य मन्डियों में गुड़ की खरीदारी की है।

**२—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि १ फरवरी, १९५५ तक प्रदेश की किन-किन मन्डियों में सरकार द्वारा गुड़ की खरीद प्रारम्भ कर दी गयी थी ?

श्री मंगलाप्रसाद—पीलीभीत जिले में।

**३—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि २१ फरवरी, १९५५ तक और किन-किन मन्डियों में सरकार ने गुड़ की खरीद प्रारम्भ कर दी है और शेष मन्डियों में कब तक प्रारम्भ कर देगी ?

श्री मंगला प्रसाद—२१ फरवरी, १९५५ तक मेरठ व मुजफ्फरनगर जिले की मन्डियों में खरीदारी प्रारम्भ की गयी थी। शेष मन्डियों में गुड़ की खरीदारी प्रारम्भ करना गुड़ के भाव पर निर्भर है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि अभी तक कितना गुड़ मन्डियों में सरकार ने खरीदा है ?

श्री मंगलाप्रसाद—मेरा खयाल है कि जो फायदा इस खरीदारी से उठाना चाहते हैं, उसमें यह बताना बाधक होगा कि इतनी खरीदारी हो चुकी है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि इस वक्त गुड़ का बाजार सारे प्रदेश के कुछ हिस्सों में १० रुपये से नीचे है, और उन जगहों पर सरकार खरीदारी नहीं कर रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह सही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर इस वक्त जो खरीदारी हमने की है, उसकी वजह से १० रुपये से ज्यादा भाव है। कहीं-कहीं दूर जगहों में जहां पर बाजार नहीं है, वहां जरूर कम है। बुलन्दशहर से अभी खबर मिली थी कि वहां पर कुछ कम है। वहां पर आज या कल से ही खरीदारी शुरू हो गयी है, किन्तु इस प्रकार की जगहें कहीं-कहीं हैं। यह भी है कि गुड़ अच्छे किस्म का और खराब किस्म दोनों तरह का है। जो बहुत खराब किस्म का है, वह कम भाव पर वहीं बिक जाता है और उसके लिए भी वही १० रुपये का भाव कायम रहे, यह मुमकिन नहीं है, किन्तु आम अच्छे गुड़ का भाव १० से ऊपर रहा है। जहां कहीं गिरावट मालूम होती है, वहां फौरन खरीदारी की जाती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार का प्रदेश से बाहर भी गुड़ भेजने का विचार है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ से ३ तक श्री रतन लाल जैन ने पूछे।

श्री मंगलाप्रसाद—यह विचाराधीन है कि जहां कहीं उसका मार्केट हो, उसको निकाला जाय, लेकिन अभी तक इसका पूरा इन्तजाम नहीं हो पाया है। कुछ प्रान्तों से बातचीत हो रही है; बाहर भी भेजने की बात है। अगर कहीं से डिमान्ड आ जाय तो उसकी भी बातचीत गवर्नमेंट आफ इन्डिया से जिस प्रकार हो सकता है की जाती है।

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि गुड़ की खपत बढ़ाने के लिए क्या उनका विचार चीनी मिलों में गुड़ से चीनी बनाने का है?

श्री मंगलाप्रसाद—ऐसा कोई विचार अभी तो नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव ऐसा देंगे तो वह सोचा जायगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ के साथ-साथ क्या सरकार खांडसारी के मूल्य भी निर्धारित करने की सोच रही है?

श्री अध्यक्ष—यह पृथक प्रश्न है। इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतायेगी कि ऐक्चुअली गुड़ किस प्राइस पर खरीदा गया?

श्री मंगलाप्रसाद—जहां तक दर का सवाल है, वह एक वक्त में एक नहीं रहता और एक दिन में १० जगहों पर एक मूल्य नहीं रहता। जिस वक्त और जहां जिस भाव पर मिला उस भाव पर खरीदा गया।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या सरकार को यह जानकारी है कि मेरठ की मन्डियों में गुड़ साढ़े सात और ८ रुपये मन बिक रहा है?

श्री मंगला प्रसाद—ऐसी कोई खबर नहीं है, मेरठ में खरीद भी की जा रही है। खबर यह है कि गुड़ १० के आसपास ही रहता है और जब खरीद की जाती है तो भाव बढ़ जाता है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि उसको रोजाना गुड़ की मन्डियों के भाव मिल जायं?

श्री मंगलाप्रसाद—जो खास १५-२० मन्डियां हैं वहां पर इन्तजाम के लिए आदमी हैं, गोडाउन्स हैं और यदि आवश्यकता होती है, तो खरीद भी की जाती है, तथा उसकी खबरें भी बराबर आती रहती हैं, और खरीद होती है तो रोजाना खबर आती है और अगर खरीद नहीं होती तो कभी-कभी खबर आती है।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब गुड़ का सीजन करीब-करीब खत्म हो गया है, लेकिन मथुरा और आगरा में जो अब तक ७ रुपया मन गुड़ बिका है, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

श्री मंगलाप्रसाद—ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य खबर दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करके फौरन खरीद का इन्तजाम किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार के पास गुड़ के सम्बन्ध में कोई नीति निर्देश भेजे हैं? यदि हां, तो क्या?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिए जहां तक मुझे मालूम है हमारी प्रान्तीय सरकार ने ही इस कार्य को किया है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है इसके बारे में मुझे पता नहीं।

तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में नैपाल की सरहद पर की पुलिस के खिलाफ शिकायत

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि उनके पास बस्ती जिले में नैपाल की सरहद पर की प्रादेशिक पुलिस के खिलाफ कोई शिकायती-पत्र आया है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां।

*२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—अगर हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला अधिकारियों द्वारा जांच कराने पर ये शिकायतें निराधार पायी गयीं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वह शिकायत क्या थी और किसके खिलाफ थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शिकायतें दो तीन तरह की थीं। एक शिकायत तो यह थी जो वहां पर पुलिस रक्खी गयी है, वह वहां के लोगों से मछली और दूसरे किस्म की चीजें ले लेती है। दूसरी शिकायत यह थी कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो काम करना चाहती है, उसमें पुलिस बाधा डालती है। तीसरी शिकायत यह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स जब कोई स्पीच देते हैं, तो पुलिस उनके नाम नोट करती है। चौथी शिकायत यह है कि इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बहुत ही नालायक है और उसकी जगह कोई काला सुअर भी बैठा दिया जाता तो अच्छा काम करता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इन शिकायतों की जांच किस सरकारी अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गृह मन्त्री की बाबत जो शिकायत है उसकी जांच तो मैंने खुद ही कर ली और बाकी जो और शिकायतें हैं उनकी जांच वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेंट ने की।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन शिकायतों को किसने किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कम्युनिस्ट पार्टी के तीन-चार नेता हैं, जिन्होंने लिख कर शिकायत की थी, नोटिसें भी छपवायीं उन्होंने और अपने व्याख्यान द्वारा भी शिकायतें कीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कम्युनिस्ट पार्टी से किस प्रकार की शिकायतें, पुलिस हस्तक्षेप के बारे में, माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास आयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका कहना यह है कि हमारे काम में पुलिस बाधा डालती है। अगर बाधा डालना कहा जाय, तो एक ही बाधा डालना कह सकते हैं कि वे घूम-घूम कर कहना शुरू किये कि ग्राम रक्षा समितियां न कायम की जायं,। अब जाहिर है कि हमारी तरफ से प्रचार हो रहा है कि ग्राम रक्षा समितियां कायम की जायं। इसके अलावा और किसी काम में कोई खास बाधा डालने की कोशिश नहीं की गयी है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब ये शिकायतें गलत साबित हुईं, तो उन शिकायत करने वालों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १– ३ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी गलत शिकायतें तो रोज ही सुननी पड़ती हैं, इसके ऊपर कहां तक कार्यवाही की जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मन्त्री कम्युनिस्ट पार्टी के उन व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे, जिन्होंने ये शिकायतें कीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, सबसे जोरदार शिकायत करने वाले तो हैं श्री शिवपूजन तिवारी, दूसरे हैं श्री शिव प्रकाश नाम के एक व्यक्ति और एक श्री रामविलास गुप्त नाम के सज्जन हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये शिकायतें सरकार के पास किस तारीख को आयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक शिकायत तो है नहीं, कई शिकायतें हैं और कई तारीखों की हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी ने अपने उत्तर में एक इन्क्वायरी के सिलसिले में जिन दो एक शब्दों का उच्चारण किया है, उनको प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज कर दिया जाय, क्योंकि वे सुन्दर नहीं लगते।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपकी शिकायत कम्युनिस्ट पार्टी से है।

ग्राम अमिलाह, जिला उन्नाव में दंगा करने वालों की गिरफ्तारी

*३—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि गत ३० अक्तूबर, १९५४ को उन्नाव जिले के अचलगंज थाने के अमिलाह ग्राम पर दिन दहाड़े १० बजे कुछ गुन्डों ने हमला किया था ? अगर हां, तो उन गुन्डों के खिलाफ सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—३० अक्तूबर सन् १९५४ को सब-इन्स्पेक्टर द्वितीय अचलगंज को सूचना मिली कि ग्राम अमिलाह में श्री गिरजाशंकर शुक्ला और श्री रामप्यारे के बीच एक बाग के बारे में आपसी झगड़ा है और शान्ति भंग होने की आशंका है। थानेदार ने घटनास्थल पर पहुंच कर देखा कि दोनों दलों के बहुत से लोग एकत्रित हैं और झगड़ा कर रहे हैं। दोनों दलों के लोगों पर धारा १०७/११७ दण्ड विधि संग्रह के अन्तर्गत चालान किया गया, किन्तु अदालत में दोनों पक्षों में सुलह हो गयी।

*४-६—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[१५ मार्च, १९५५ के लिए प्रश्न संख्या ५१—५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो कर २९ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

मोटरों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का अधिकार

*७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मन्त्री, उपमन्त्री और सभा सचिवों में से किस-किस को मोटरों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का अधिकार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मन्त्री और उप-मन्त्री को।

*८—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार इस सम्बन्ध में बने नियमों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियमों की प्रतिलिपि मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६७ पर)

*९-१०—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[१४ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये ।]

*११-१२—श्री गेंदासिंह—[३१ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये ।]

विद्युत हाइडेल विभाग को सामग्री की खरीद का अधिकार

*१३—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्युत हाइडेल विभाग में सामग्री की खरीद का अधिकार सामग्री क्रय विभाग को न देकर सीधे हाइडेल विभाग को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्तमंत्री के संभासचिव (श्री धर्मसिंह)—जी हां। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कामों को पूरा करने के हेतु आवश्यक बिजली के सामानों को जल्दी से मंगाने के लिए ऐसा किया गया है।

*१४-१५—श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)—[१४ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले में बन्दूक और पिस्तौल के लाइसेन्सों का वितरण

*१६—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में गत दो वर्षों अर्थात् १९५३ और १९५४ में किस तहसील में कितने व्यक्तियों को बन्दूक और पिस्तौल के लाइसेंस दिये गये और तद्विषयक कितनी दरख्वास्तें किस तहसील में कितने व्यक्तियों ने दी थीं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—मांगी गयी सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय गृह मन्त्री जी को इसकी सूचना मिली है कि पिछले दो वर्षों में जिन लोगों को रिवाल्वर व बन्दूक के लाइसेंस दिये गये हैं, उनमें से कुछ लोगों के असलहा डकैती में भी पकड़े गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी तो कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम माननीय गेंदा सिंह जी बतलायेंगे, तो मैं उसका पता लगा लूंगा, अगर ऐसी कोई शिकायत हुई हो।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार स्वयं इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि पिछले वर्ष लाइसेंस देने वालों में किस व्यक्ति की बन्दूक डकैती में पकड़ी गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां, इसका पता लगाया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में इन दो वर्षों सन् १९५३-५४ में कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—देवरिया जिले में सन् १९५३ में ८७ और सन् १९५४ में ९३ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया तहसील में ही इतने लाइसेंस देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह मैंने देवरिया जिले के आंकड़े बताये, देवरिया तहसील में तो सन् ५३ में ३२ और सन् ५४ में २९ लाइसेंस दिये गये।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि देवरिया में जो उप-चुनाव हुआ था, उस अवसर पर १-२ महीने पहले से अधिक लाइसेंस बांटे गये थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस की सूचना तो मेरे पास नहीं है कि किस मास में अधिक और किस में कम लाइसेंस दिये गये।

श्री गेंदासिंह---क्या इस प्रकार के हथियारों के देने का सरकार ने कोई कोटा निर्धारित किया है और वह हर जिले के लिये क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उसके लिए कोटा नहीं है, लेकिन जैसी आवश्यकता होती है, उस के हिसाब से लाइसेंस दिये जाते हैं।

श्री राजनारायण---क्या देवरिया जिले में ऐसे लोगों को भी लाइसेंस देने की मुमानियत है जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और जब थाने से रिपोर्ट आती है ..... ?

श्री अध्यक्ष---पहले भाग का जवाब पहले हो जाने दीजिये।

श्री जगनप्रसाद रावत---लाइसेंस न तो किसी पार्टी विशेष को दिया जाता है और न देने की मुमानियत है, कुछ रूल्स हैं जिनके मातहत यह लाइसेंस दिये जाते हैं और जो उनके अन्दर आते हैं उन को वह दिये जाते हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि कई ऐसे लोगों को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य होने के नाते लाइसेंस नहीं दिया गया जो कि जरूरी क्वालिफिकेशन रखते थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इस के लिए आम तहकीकात करने की तो आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती लेकिन अगर माननीय राज नारायण जी मुझे ऐसे नाम बतायेंगे कि जो क्वालिफिकेशन रखते थे और उनकी दरख्वास्त खारिज की गयी हैं तो मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि फायर आर्म्स के देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इजाजत नहीं देता, आम नीति बयान नहीं की जा सकती।

रानीखेत में जड़ी-बूटी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति

*१७---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रानीखेत में जड़ी-बूटी एकत्रित करने के लिए कोई विशेषज्ञ रक्खे गये हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद---जी हां, श्री प्रजापति जोशी, रानीखेत में जड़ी-बूटी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किये गये हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी जड़ी-बूटी एकत्र करने की प्रगति पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद---यह दवा वगैरह इकट्ठा करने का काम दो वर्ष पहले आरम्भ हुआ था, पहले वर्ष ५०,००० रुपये के करीब की दवा इकट्ठा की गयी, पहाड़ी भागों से और वह हिन्दुस्तान में जगह-जगह बेची गयी, उस के बाद ७५ हजार की और इस साल २ लाख रुपये

की जड़ी-बूटी इकट्ठा की गयी, काफी लाभ उससे हुआ और अब और ज्यादा जड़ी-बूटी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और यह कोशिश भी प्लान्ड ढंग से की जा रही है और ऐसी दवायें बनाने के लिए रानीखेत में एक फैक्टरी भी तैयार हो गयी है और उसकी मशीन वगैरह लग गयी है और काम शुरू हो गया है और आशा है कि उस फैक्टरी से दवा बनने पर हम लोगों को अच्छी दवायें दे सकेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या मन्त्री महोदय एफिशियेंशी और एकानोमी के ख्याल से जड़ी-बूटी एकत्रित करने का काम फारेस्ट डिपार्टमेंट के जरिये से करायेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद--फारेस्ट डिपार्टमेंट के जरिये से कराने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन स्कीम यह है कि हर गांव में जहां-जहां दवायें प्राप्त हो सकती हैं, वहां उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बना करके उन्हीं लोगों के जरिये से उनको एकट्ठा करें और उन गांवों के लोगों को ट्रेनिंग भी दें कि जो जड़ी-बूटी वहां से वे उखाड़ें या तोड़ें उसे वे बिलकुल बरबाद न कर दें, बल्कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ायें और ठीक रखें। यदि हम देखेंगे कि वहां फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले मदद कर सकते हैं, तो उनकी मदद लेने में हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार प्रदेश के उन भागों में जहां और जड़ी-बूटियां निकलती हैं, इस योजना को लागू करने की कृपा करेंगी ?

श्री मंगलाप्रसाद--बिलकुल उन जगहों पर इन्तजाम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और जहां के लिए उनका संकेत है, मिर्जापुर में वहां भी इस कार्य को जरूर शुरू करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास यह शिकायत आयी है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के पिछले दो साल में जो फारेस्ट प्रोडच्यूस निकली उसकी मानोपोली जड़ी-बूटी विभाग को दे दी गयी थी, तो उन जड़ी-बूटियों को निकालने में यह विभाग सर्वदा असफल रहा ?

श्री मंगलाप्रसाद--मेरे पास कोई ऐसी शिकायत अब तक नहीं आयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत में जो जड़ी-बूटी विशेषज्ञ रखे गये हैं, उन पर सालाना कितना व्यय किया जाता है ?

श्री मंगलाप्रसाद--इनके वेतन का दर ढाई सौ रुपये से चार सौ रुपये है। ये बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे काम करने वाले आदमी हैं और ऐसे काम करने वाले आसानी से नहीं मिलते।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रोविंशियल मार्केटिंग कोआपरेटिव फेडरेशन पर्वतीय जिलों में जड़ी-बूटी इकट्ठा करने के लिए किन-किन जिलों में मानोपोली दी गयी है ?

श्री मंगलाप्रसाद--अभी तक तो नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल में इस कार्य को करने का मौका फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम को मिला है, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि टेहरी-गढ़वाल में इसका कार्य हमको मिल जाय, लेकिन अभी उसमें सफलता नहीं हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन जड़ी-बूटी विशेषज्ञ महोदय ने अभी तक किन-किन जड़ी-बूटियों को खोज लिया है, या उनका आविष्कार करने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह औषधियां एकत्रित करने का सवाल है, आविष्कार का सवाल नहीं है।

ग्राम देवीनवादा, जिला बरेली में आपसी झगड़े

*१८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि ग्राम देवीनवादा, थाना बहेड़ी, जिला बरेली के किसानों को कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने आतंकित कर रखा है और २१-११-५४ को व ५-१२-५४ को उन लोगों ने ग्राम में आग लगा दी जिसमें दो घर जल गये और किसानों की ईख जबरन काट ली और रिवाल्वर के फायर किये और किसानों को बदमाशों से पिटवाया ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं। गांव के लोगों में आपस में कुछ झगड़े हैं। आग लगाने के सिलसिले में भी रिपोर्ट हुई है। इस सम्बन्ध में पुलिस की जांच जारी है और आपसी झगड़े की वजह से गांव के भिन्न-भिन्न दलों के खिलाफ १०७ व ११७ की कार्यवाही भी हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने जो उत्तर में "जी नहीं" का जवाब दिया है, वह प्रश्न के किस भाग से सीमित है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--"जी नहीं" का सम्बन्ध इस से है कि गांव में कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने किसानों को आतंकित कर रखा है। वास्तव में सवाल वहां प्रमुख व्यक्तियों और किसानों का नहीं है, बल्कि एक ही खानदान के कुछ लोग हैं जिनमें आपस में झगड़ा है और इस झगड़े के फलस्वरूप ही १०७ और ११७ दफाओं की कार्यवाही हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उक्त गांव के कितने व्यक्तियों के खिलाफ धारा १०७, ११७ के मातहत कार्यवाही हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस समय तादाद तो मेरे पास नहीं है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस गांव में कितने का नुकसान हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--ये आंकड़े भी मेरे पास नहीं हैं कि कितने का नुकसान हुआ। कुछ मामले अदालत में भी गये हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ कहना मुश्किल होगा।

सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधा

*१९--श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में सरकार द्वारा कौन-कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग में सम्मिलित की गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम सूची नियत नहीं की है, क्योंकि वह भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त "बैकवर्ड क्लासेज कमीशन" की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है। फिर भी, पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा आदि की सुविधायें देने के लिए प्रदेशीय सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा एक पिछड़े वर्ग के लोगों की सूची तैयार की गयी है।

*२०--श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के उम्मेदवारों की क्या विशेष सुविधा प्रदान की जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--संविधान की धारा ३३५ के अनुसार सरकार ने नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया है कि नियुक्त करते समय पिछड़े वर्ग के उम्मेदवारों का विशेष ध्यान रखा जाय। उनसे यह भी कहा गया है कि यदि कोई चुनाव प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा न किया जाय, तथा पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवार मिलें, तो उन्हें पर्याप्त संख्या में नियुक्त

विधान परिषद् सचिवालय उत्तर प्रदेश

किया जाय। "कोरी", "खटिक", "अहेरिया" और "थारू" नामक चार पिछड़े वर्ग के उम्मेदवारों को हरिजनों की भांति वय की छूट तथा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की फीस में माफी दी जाती है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि संविधान की धारा ३३३ से पिछड़ी वर्ग की जातियों का कोई सम्बन्ध नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उसका विशेष रूप से सम्बन्ध तो शेडयूल्ड कास्ट से होता है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मुख्य मन्त्री को अपने पूर्वाधिकारी की उस घोषणा की जानकारी है जो उन्होंने गत वर्ष बजट सेशन के वक्त एक प्रश्न के उत्तर में की थी कि शिक्षा विभाग में जो ५६ जातियों की सूची बनायी जाती है वही सूची नियुक्त विभाग में अपनाई जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो उत्तर प्रश्न २० में दिया गया है, उस से स्पष्ट है कि जितने भी नियुक्ति करने वाले विभाग हैं, उनको इस बात के लिए कहा गया है कि पिछड़ी जातियों का ख्याल रखें, तो जाहिर है कि उनके सामने कोई न कोई सूची है, और कोई सूची नहीं है सिवा शिक्षा विभाग की सूची के, इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि काम चलाने के लिए शिक्षा विभाग वाली ही सूची उपयोग में लायी जा रही है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २ अप्रैल सन् १९५४ को जो असरकारी प्रस्ताव पास हुआ था कि पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में तरजीह दी जाय, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो कार्यवाही की गयी, वह इस प्रश्न के उत्तर से साफ है, जैसा कि इसमें कहा गया है कि उनकी विशेष रूप से पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाय।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या पिछड़े वर्ग के वर्गीकरण यानी जनमनावर्ग की व्यवस्था की जगह लोगों की आर्थिक अवस्था की आवश्यकता पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर मैं इस प्रश्न को ठीक समझा हूं तो इतना ही कह सकता हूं कि जनमनावर्ग या करमनावर्ग का सवाल नहीं आता, देखा यह जाता है कि कौन वर्ग शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, एक तो यह और दूसरे यह देखा जाता है कि सर्विसेज में सब बातों को देखते हुए उनका रिप्रेजेन्टेशन कम तो नहीं है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नौकरियों में उम्र की छूट पुलिस विभाग और अन्य विभागों में पिछड़ी जातियों को दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसा कि मैंने बतलाया कि दी जाती है, लेकिन केवल चार जातियों कोरी, खटिक, अहेरिया और धानुक का विशेष ध्यान रखा जाता है।

श्री जयराम वर्मा---क्या यह सही नहीं है कि पिछले वर्ष ही पुलिस विभाग में यह आदेश हुए थे कि उम्र की छूट देने के लिए शिक्षा विभाग में पिछड़ी जातियों की, जो सूची मानी जाती है, वही सूची मानी जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मुझे मालूम है जो सूची सब विभागों में चालू है, वह यही है, लेकिन अगर कोई खास नियुक्ति करना हो, या कोई विशेष अवस्था देख कर अगर उम्मेदवारों को नियुक्त करना हो और उन के साथ रियायत करनी हो, तो काम चलाऊ आदेश जारी कर दिये जाते हैं।

श्री राजनारायण—क्या बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार लिस्ट रिवाइज करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो मैंने रिपोर्ट देखी नहीं।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि कोई पिछड़े वर्ग को नौकरियों में स्थान देने के लिए १५, १६ जातियों की सूची भी निर्धारित की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कई बरस हुए कैबिनेट की एक कमेटी बैठी थी, और उसने कुछ जातियों की एक सूची तैयार की थी, लेकिन यह सोचा गया कि उस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है और जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सूची तैयार होने वाली है, उसी पर अमल किया जाय।

श्री मङ्गीलाल—क्या प्रान्त से माननीय मुख्य मन्त्री को इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं कि नियुक्ति के समय पिछड़ी जाति के लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*२१-२२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—[१८ मार्च, १९५५ के लिए प्रश्न संख्या ३६-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कपिल धारा सहकारी संघ बनारस में गबन

*२३—श्री बलदेवसिंह (जिला बनारस)—क्या यह सत्य है कि कपिलधारा सहकारी संघ बनारस की जनता का २,५०० रु० मैनेजर द्वारा गबन हुआ है ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह सत्य नहीं है, मैनेजर द्वारा कोई गबन नहीं हुआ है, बल्कि १,१०३ रुपया १३ आना ३ पाई उनके जिम्मे कुछ तो कपड़ा, तेल, नमक आदि उधार बेचने का और कुछ इन्हीं वस्तुओं के छीजन के सम्बन्ध में निकला है।

*२४—श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है कि उपरोक्त संघ के रुपये की कार्यवाही के बारे में अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते ?

श्री मंगला प्रसाद—यह भी सही नहीं है, मैनेजर के विरुद्ध १,१०३ रु० १३ आ० ३ पाई की वसूली के लिए साल्सी कार्यवाही कर दी गयी है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि वहां की कोआपरेटिव को जो डाइरेक्टर्स लोग हैं, वह इस मामले को गबन का समझ रहे हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह तो उनके समझने की बात है। वाक्या तो यह है कि वह जो मैनेजर साहब थे, उन्होंने लोगों को उधार दे दिया, जो वसूल नहीं हुआ, और इसलिए उनको तो अलग कर दिया गया है, और उन पर कार्यवाही करके यह १,१०३ रुपया १३ आना ३ पाई उन्हीं से वसूल किया जा रहा है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या कार्यवाही की जा रही है, इस रुपये को वसूल करने के लिए ?

श्री मंगलाप्रसाद—मैंने बता दिया कि आर्बीट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि यह कार्यवाही समुचित रूप से इसलिए नहीं हो रही है कि मैनेजर साहब फेडरेशन के कुछ उच्च अधिकारियों से सम्बन्धित हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—मुझको तो इस तरह की कोई खबर नहीं है।

*२५-२६—श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)—[१४ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

तरबगंज तहसील के जुडीशियल आफिसर के इजलास से कागजात की चोरी

*२७—श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला गोंडा, तहसील तरबगंज के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अहलमद फौजदारी की अलमारी से दिनांक २२-१२-५४ को फौजदारी के चालू मुकदमों के बहुत से कागजात चोरी चले गये? यदि हां, तो यह घटना कैसे घटी और इस बारे में क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, तरबगंज तहसील के जुडीशियल आफिसर के अहलमद फौजदारी की अलमारी से २१/२२-१२-५४ की रात में फौजदारी के कुछ चालू मुकदमों की मिसलों से कुछ कागजात चोरी गये। जांच से ज्ञात हुआ कि चोर बगल के इजलास से एक दरवाजे के शीशे तोड़ कर अन्दर घुसा। चोरी गये कागजात उसी दिन बरामद हुए और उस व्यक्ति पर भारतीय दण्ड विधान की धारा ४५७ के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है।

श्री रघुराज सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त इजलास में कागजों की रक्षा की व्यवस्था उस समय क्या थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका कोई विशेष ब्योरा मेरे पास नहीं है। जो सब इजलासों में रक्षा की व्यवस्था होती है, वही वहां भी रही होगी।

श्री रघुराज सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस घटना के सिलसिले में अहलमद फौजदारी का भी हाथ होना सही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके ऊपर जहां तक मैं समझता हूं, कोई मुकदमा चल नहीं रहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि उनका हाथ अधिकारियों ने नहीं समझा।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्यवाही में कुछ सरकारी आदमी भी मुअत्तल हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी इत्तिला मुझको इस वक्त नहीं है।

मऊ पावर हाउस से जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में बिजली देने का आयोजन

*२८—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ पावर हाउस से जौनपुर जिला की शाहगंज तहसील में बिजली देने का आयोजन किया गया है?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*२९—श्री बाबूनन्दन—यदि हां, तो कब से?

श्री धर्मसिंह—सन् १९५६ तक।

श्री बाबूनन्दन—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि शाहगंज में बिजली देने के लिए लाईनिंग का कार्य कब से शुरू हो जायगा?

श्री धर्मसिंह—यह कार्य थोड़ा-थोड़ा आरम्भ हो गया है, और आगे चल और भी अधिक हो जायगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बिजली किन कार्यों के लिए दी जायगी?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इस से उठता नहीं। क्योंकि आपने केवल शाहगंज में बिजली लगाने के आयोजन के बारे में पूछा था।

जिला रायबरेली में बिजली की योजना पर व्यय

*३०—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में बिजली लगाने की बाबत उसने कोई योजना बनायी है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां।

*३१—श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)—यदि हां, तो कितना रुपया उस पर खर्च होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तखमीने बनाये जा रहे हैं।

गृह उद्योगों पर बिक्री कर

*३२—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कौन-कौन से गृह उद्योग हैं जिन पर बिक्री कर लिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—गृह उद्योग द्वारा तैयार की गयी निम्नलिखित चीजों पर बिक्री कर नहीं लिया जाता है :—

(१) हथकरघे पर बनी दरियां।
(२) हथकरघे पर बनी निवार।
(३) हथकरघे पर बने ऊनी कम्बल और धुस्सा।
(४) ऊनी कालीन जो भारत के बाहर निर्यात के लिए हों।
(५) नकासी की हुई लकड़ी के सामान।
(६) हाथी दांत के सामान।
(७) संगमरमर के सामान।
(८) दफ्ती के बक्स।
(९) हाथ की बनी कैंची और चाकू।
(१०) चिकन।
(११) भारत में बने गणित सम्बन्धी परिमापन यन्त्रादि। (मैथेमेटिकल सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स)।
(१२) हथकरघे पर तैयार किये गये सब किस्म के कपड़े।
(१३) सींग के कंघे-कंघियां।
(१४) गोटा, लचका, ठप्पा, गुलरू और सलमा।
(१५) कलाबत्तू (सिर्फ बनाने वालों से)।
(१६) हाथ का कता सूत।

गृह उद्योग द्वारा तैयार की गयी बाकी चीजों पर बिक्री कर लिया जाता है।

श्री पुत्तूलाल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन-जिन चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता है, वह किस आधार पर नहीं लिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—क्योंकि वह इस तरह की चीजें हैं जो उद्योगधंधे की हैं और सरकार यह चाहती है कि उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए नहीं लिया जाता।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि शू काटेज इन्डस्ट्री के ऊपर किस आधार पर सेल्स टैक्स लिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—क्योंकि इस पर आमदनी ज्यादा होती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कालीन म लगने वाले ऊन पर सेल्स टैक्स लिया जाता है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि शमशाबाद बाजार, इलाहाबाद के लोटे के व्यापारियों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र आया है कि बिक्रीकर लगने से उनके रोजगार में बाधा पड़ रही है ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार का कोई भी पत्र नहीं आया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि बनारस जिले के आबिद नगर ग्राम से लोटे के रोजगार पर से बिक्री कर उठाने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो सरकार ने कमेटी सेल्सटैक्स के मामले की जांच करने के लिए बिठायी है, उसकी कोई बैठक हुई या नहीं ? यदि हुई, तो उसमें क्या नतीजा हुआ ?

श्री धर्मसिंह—उसकी एक बैठक हो चुकी है। लेकिन उसने क्या निर्णय किया है यह अभी सरकार के पास नहीं आ सका है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद की तरफ से कोई डेपुटेशन सोडे के व्यापार पर सेल्स टैक्स न लेने के लिए आया था ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

चमड़ा तथा जूता उद्योग पर बिक्री कर

*३३—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष चमड़ा तथा जूता गृह उद्योग पर बिक्री कर से सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

श्री धर्मसिंह—पिछले साल गृह उद्योग के रूप में तैयार किये गये चमड़े के सामान पर बिक्री कर से सरकार को ५०,००० रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

*३४—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत मार्च, अप्रैल के माह में जूता गृह उद्योग के बिक्री कर हटाने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा सरकार को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह—पिछले साल मार्च में सरकार को श्री बाबूलाल मित्तल, एम० एल० ए० का एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने आगरा के जूता गृह उद्योग को बिक्री कर के मामले में कुछ सहूलियतें देने की सिफारिश की थी। जिस समय श्री मित्तल की सिफारिश पर सरकार गौर कर रही थी, उसी दौरान में आगरा जूता उद्योग सलाहकार बोर्ड की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल ने वित्त मन्त्री से भेंट की। वित्त मन्त्री ने प्रतिनिधि मण्डल से यह कहा कि इसके पूर्व कि जूता व्यापारियों को बिक्री कर से मुक्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार करे यह जरूरी है कि वे सरकार के पास कुछ जरूरी सूचनायें और आंकड़े भेज दें। बोर्ड ने अभी तक ये जरूरी सूचनायें और आंकड़े नहीं भेजे हैं। इसी बीच छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों को, जहां आवश्यक हो, बिक्री करके सम्बन्ध में छूट देने का सुझाव देने के उद्देश्य से उनके मामलों पर

विचार करने के लिए 'उत्तर प्रदेश स्माल स्केल ऐन्ड काटेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड" के अधीन एक उप. समिति कायम कर दी गयी। इस सम्बन्ध में इस उपसमिति की सिफारिशें अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। यदि इस उप समिति ने जूता गृह उद्योग को बिक्रीकर के मामले में कोई सहूलियतें देने की सिफारिश की, तो उस पर उचित ध्यान दिया जायगा।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पिछले वर्ष प्रतिनिधि मण्डल सरकार से मिला था, उस से कौन से आंकड़े मांगे गये थे ?

श्री धर्मसिंह—व्यापारियों से ये आंकड़े मांगे गये थे कि कितनी उनक यहां पैदावार होती है, कितना कास्ट आफ प्रोडक्शन पड़ता है, कितनी आमदनी होती है, और कितना वह मजदूरों को देते हैं, इसी तरह से बहुत से आंकड़े मांगे गये थे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जूता उद्योग, सलाहकार बोर्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं ? यदि है, तो कब से ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की सूचना तो कोई है नहीं, कि है या नहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार जो कमेटी बनी हुई है, सेल्स टैक्स पर अपनी सिफारिश करने के लिए, उसमें देर होने के अन्देशे की वजह से जूते के व्यापार की गिरती हुई हालत को देख कर जूते पर से सेल्स टैक्स हटा देने का विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं। वह कमेटी तो अभी बैठी है। देरी का प्रश्न अभी ज्यादा होता ही नहीं है। ज्यों ही उसकी कार्यवाही की रिपोर्ट आयेगी, सरकार उस पर विचार करेगी और निर्णय देगी।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतान का कष्ट करेंगे कि जूते व्यवसाय पर सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगता है या मल्टिपिल प्वाइंट ?

श्री धर्मसिंह—सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगता है।

*३५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[२१ मार्च, १९५५ के लिए प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३६—३७—श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)—[७ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

टेहरी-गढ़वाल में धरासू से जंगलात के बंगले तक सड़क पर व्यय

*३८—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल में जंगलात विभाग ने धरासू नामक स्थान पर आम पैदल सड़क के जंगलात के बंगले तक जो मोटर सड़क बनवाई है, वह कितनी लम्बी है, और उस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

वन उप—मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—यह सड़क ५ फर्लांग १ जरीब और ५२ फीट लम्बी है, और ३१ मार्च, १९५४ तक उस पर कुल ८,६७३ रु० व्यय हुए।

*३९—श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि जिन स्थान से जंगलात विभाग ने मोटर मार्ग बनाया है, वहां तक पहुंचने के लिए न तो कोई मोटर मार्ग है, और न वहां तक मोटर जाने के लिए धरासू नदी में मोटर का पुल है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह सड़क कब बननी शुरू हुई थी और कितनी बनने को बाकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो बन चुकी है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अब आम सड़क से बंगला लगभग आधे फरलांग की दूरी पर है, तो इस मोटर सड़क के बनाने की क्या आवश्यकता प्रतीत हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिस से कि बंगले में ठहरने वाले सुभीते से पहुंच जायं।

*४०-४२—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[१४ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

बनबसा पावर हाउस से अल्मोड़ा जिले में बिजली ले जाने का विचार

*४३—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के किन किन स्थानों में बनबसा से बिजली ले जाने की योजना सरकार की है ?

श्री धर्मसिंह—बनबसा (खटीमा) पावर हाउस से जिला अल्मोड़ा के अल्मोड़ा और रानीखेत कस्बों को बिजली देने का विचार है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा बिजली कब तक पहुंच जायगी ?

श्री धर्मसिंह—उस पर कार्य हो रहा है, और जल्दी ही पहुंच जायगी।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या अल्मोड़ा और रानीखेत के अलावा पिथौरागढ़ और लोहाघाट में भी बिजली देने का इरादा है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बनबसा में कितने किलोवाट बिजली तैयार होती है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनबसा पावर हाउस से अल्मोड़ा से अन्य किन किन जिलों को बिजली देने का वह विचार रखते हैं ?

श्री धर्मसिंह—अल्मोड़े के अतिरिक्त नैनीताल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर, खेरी, सीतापुर और लखनऊ।

अल्मोड़ा जिले में धौला देवी-छड़ोजा मार्ग को मोटर मार्ग में परिगत करने की मांग

*४४—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार के पास जनता की ओर से वन विभाग (अल्मोड़ा) के धौला देवी छड़ोजा मार्ग को मोटर मार्ग में परिणत करने की मांग आयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

*४५—श्री गोवर्धन तिवारी—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी सरकार का इस मार्ग को मोटर मार्ग बनाने का कोई इरादा नहीं है। इसको मोटर मार्ग बनाने से कोई तत्कालीन लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस मार्ग के दोनों सिरों पर किसी मोटर मार्ग का सम्बन्ध नहीं है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि सड़क बन जाने से चीड़ के लीसे से सरकार को हजारों रुपये की आमदनी हो सकती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, यह तो ठीक है, कि हो सकती है, लेकिन दोनों सिरों पर मोटर मार्ग नहीं है, बीच में चलाने से क्या होगा।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को पता नहीं है कि धौलादेवी तक मोटर मार्ग बन चुका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी बना नहीं है, शायद पी० डब्लू० डी० बना रहा है, शेष भाग में जंगलात विभाग बना लेगा, तभी यह लाभदायक हो सकती है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में इसको बना देगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी तो पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं हुई है, मगर आशा की जाती है कि यह बनेगी।

अल्प बचत योजनाओं में प्राप्त धनराशि

*४६—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्प बचत योजना के अनुसार ३० नवम्बर, १९५४ तक किस जिला में कितना धन जमा हुआ और कितना उसका निर्धारित लक्ष्य था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य की मेज पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें १ अप्रैल, १९५४ से ३० नवम्बर, १९५४ तक अल्प बचत योजनाओं में प्राप्त धनराशि का जिलेवार विवरण तथा ३१ मार्च, १९५५ तक के लिए प्रत्येक जिले का निर्धारित लक्ष्य अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ पर ३६९–३७०)

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि कहीं-कहीं देहातों में अल्प बचत योजना के लिए सख्ती और दुर्व्यवहार भी किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर सरकार को ज्ञात होता, तो फौरन ही यह चीज बन्द कर दी गयी होती।

श्री गेंदा सिंह—इस योजना के अनुसार कुल कितनी रकम वसूल हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हर जिले के टोटल को जोड़ने में तो काफी वक्त लगेगा, क्योंकि ५१ जिले हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी भारतवर्ष के अन्य राज्यों के मुकाबिले में देखेंगे कि इस राज्य में सब से कम रुपया इकट्ठा हो पाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस समय दूसरे प्रदेशों के बारे में नहीं कह सकता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी उन तीन जिलों के नाम पढ़ देने की कृपा करेंगे जहां पर सब से कम रुपया वसूल हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को जो उत्तर मिल चुका है, उसमें से आप देख लें, मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश में अल्प बचत योजना में उनका निर्धारित लक्ष्य क्या था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी बाबत तो मैं निवेदन करूंगा कि सब जिलों का जोड़ कर मैं नहीं बतला सकता, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है बजट के सिलसिले में या राज्यपाल के भाषण के सिलसिले में मैंने जिक्र किया था कि ४ करोड़ के करीब ३१ मार्च तक वसूली हो जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अल्प बचत योजना में बुलन्दशहर जिले से कितनी धनराशि एकत्रित हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बुलन्दशहर में ३१ मार्च तक वसूल करने का लक्ष्य ४५,०६,००० हजार था, जिसमें से ३० नवम्बर तक ११,६०,५१७ रुपये वसूल हुए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कोई ऐसा परसेन्टेज निर्धारित करेगी कि जिस जिले से अल्पबचत योजना का जितना धन आया है, उसका उतना भाग उस जिले को दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, अलग-अलग जिले में इस तरह से कुछ नहीं किया गया है।

सहजनवा जूट मिल की तालाबन्दी के विषय में दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव एक ही विषय के सम्बन्ध में आये हैं। एक श्री नारायण दत्त तिवारी जी का है और दूसरा श्री झारखंडे राय का है। दोनों का मजमून करीब-करीब एक सा है। मैं श्री नारायण दत्त तिवारी का प्रस्ताव पढ़ कर सुना देता हूं।

"सहजनवा जूट मिल में १३ जनवरी, सन् १९५५ से लगातार हो रही तालाबन्दी के कारण १२३६ मजदूरों की बरखास्तगी और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निरन्तर निष्क्रियता बरती जाने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ पत्र जो प्राप्त किये एक तो श्री नरसिंह पांडेय, उपसभापति, 'सहजनवां जूट मिल' का पत्र मेरे पास भेजा है जिसमें ब्योरेवार शिकायत है। तो मैंने उसको पढ़कर यह देखा कि यह प्रश्न १३ जनवरी को उत्पन्न हुआ और उसके बाद दूसरी बार २३ फरवरी को जूट बेचने के बारे में और कच्चा माल बाहर भेजने के बारे में आक्षेप पैदा हुआ, श्रम मंत्री जी का जो विभाग है उसके अनुदान पर ४,५ मार्च को विचार हुआ और मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने इन प्रश्नों के बारे में भी कर दिया। अगर उसमें कुछ अरजेंसी होती और अधिक महत्व होता तो मैं समझता हूं कि इस विषय को उसी वक्त विवाद में विस्तार से उठाया जा सकता था जब ऐसा नहीं हुआ तो इस से यह मालूम होता है कि खुद ही जिन लोगों ने शिकायतें भेजी हैं, मैं माननीय सदस्य के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने पास शिकायत आते ही इसको पेश कर दिया लेकिन जिन्होंने शिकायत भेजी उनको मालूम होता है कोई अरजेन्सी प्रतीत नहीं हुई थी। इसलिये मैं इस प्रश्न की अरजेंसी न होने के कारण कामरोको प्रस्ताव पेश होने की इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, क्या आप सरकार से इतना निवेदन हमारी ओर से कर सकेंगे कि यह जो सहजनवां जूट मिल में दो महीने से हड़ताल हो रही है और जो तालाबन्दी के कारण वहां के १२३६ मजदूरों का सवाल है, उसके बारे में वह कोई बयान सदन में दे।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय श्रम मंत्री इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देना उचित समझेंगे ? यदि हां, तो वह किसी दूसरे दिन दे सकते हैं।

श्री मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—जी हां, दे सकते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र द्वारा माल मंत्री के १४ मार्च, १९५५ के भाषण पर आपत्ति

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, सोमवार को मेरे प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसी बात कही जो मेरे लिए आपत्तिजनक मालूम पड़ी, मैं उस समय यहां नहीं था, अब आया घर से तो मैंने यह सुना, अब देर हो गई, अगर कल मुझे अवसर दिया जायगा तो मैं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—जो कुछ उन्होंने कहा है वह मेरे पास से कार्यवाही में देख लें। आपने दूसरों से सुना, यह तो गोल बात हुई। आज अगर समय बाधक है तो कल भी वह बाधक रहेगा। अगर आज देर नहीं हुई है तो कल भी देर नहीं हो सकेगी इतना मैं मानता हूं।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष, १९५५-५६ ई० के लिए आय-व्ययक में अनुदानों पर विचार होगा।

क्या यह सही है कि यह तय हुआ है कि केवल २ दिन में ही इन अनुदानों को समाप्त कर दिया जाय ? मेरे पास अभी ऐसी सूचना अधिकारपूर्ण रीति से नहीं आयी है, माननीय वित्त मंत्री जी बतायें क्या बात है।

सहकारिता उप मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—अपोजीशन की ओर से मांग हुई कि बजाय ३ दिन के इन मांगों के लिए २ दिन दिए जांय, उस पर हमने बात करके यह तय कर लिया कि १७ और १८ को यह अनुदान चलेंगे और २१ से ४ दिन पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और एजूकेशन वगैरा के अनुदान चलेंगे।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि इन अनुदानों के लिए दो दिन और जो आगे के अनुदान हैं उन के लिए एक दिन बढ़कर चार दिन हो जावेंगे। अब श्री जगन्नाथ मल्ल बतलावें कि २ दिन का बटवारा इन अनुदानों पर विचार के लिए किस तरह से चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, आज केवल २ अनुदान ले लिए जायं, एक तो कोआपरेटिव वाला, अनुदान संख्या २६, जिसमें ढाई घंटा लगे, और दूसरा अनुदान संख्या ५—वन जिस में डेढ़ घंटा लगाया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—श्रीमन् "वन" के लिये कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप उसके लिये और दूसरे के लिये कितना-कितना समय चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—दोनों के लिये दो-दो घन्टे कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—इधर जो वनों के निवासी हैं उनसे पूछ लिया था लेकिन यदि आप ज्यादा समय चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष उनको ज्यादा समय दे दें। वैसे सहकारिता ऐसा विषय है जिसके लिये हम तो पूरा दिन चाहते थे लेकिन जैसा मल्ल जी ने कहा है ढाई घंटे और डेढ़ घंटे ही रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष— थोड़ा सा समय आप अधिक चाहते हों तो आप को मिल जायगा।

अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता

*श्री मंगला प्रसाद—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता के आधार पर ऋण के अंतर्गत ७०,३७,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

सहकारिता के बारे में माननीय सदस्यों को काफी जानकारी तो है लेकिन आज तो जो उसकी इम्पार्टेन्स बढ़ रही है उसको सामने रखते हुये कुछ बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उसको एक कोआपरेटिव स्पिरिट से ही हम देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारे देश में सहकारिता का कार्य मद्रास और बम्बई से काफी है। मद्रास और बम्बई में इसमें कोई शक नहीं है कि० करीब ६५ करोड़ रुपये का काम सालाना हो जाता है। मद्रास में और इससे कुछ कम बम्बई में हो जाता है और इस प्रान्त में यह काम सन् १९०४ में शुरू हुआ लेकिन वहां पर इस कार्य पर ज्यादा जोर दिया गया। २० वर्ष पहले से ही मद्रास में भी और बम्बई में भी और वहां के खास बड़े-बड़े कार्यकर्ता उस प्रान्त के उसमें लग गये और तभी से उसमें उन्होंने प्रगति करना शुरू कर दिया और उसका संगठन करना शुरू कर दिया। हमारे प्रांत में यह कार्य शुरू तो हो गया था सन् १९०४ में लेकिन बाकायदा काम जो शुरू हुआ वह सन् १९४७ से शुरू हुआ, उसके पहले थोड़ा सा काम लेन-देन का होता था और उसके अलावा और कोई कार्य उसमें नहीं था। सन् १९४७ के बाद आपको यह मालूम है कि कंट्रोल का कारोबार बड़े जोर से चला। उस समय सरकार की ओर से कंट्रोल का कार्य काफी सहकारी संस्थाओं को दिया गया और वह कार्य उस वक्त तक जारी रहा जबतक कि कंट्रोल रहा। कंट्रोल के जमाने में सहकारिता की नींव को मजबूत करने का बहुत प्रयत्न नहीं हुआ और सब लोग कंट्रोल के सामान के वितरण में लगे रहे।

श्री अध्यक्ष—माननीय सद य जरा शान्ति रखें। बहुत आवाजें आ रही हैं।

श्री मंगला प्रसाद—और कंट्रोल खत्म होते ही यह खयाल पैदा हुआ है आमतौर से लोगों के दिमागों में कि अब सहकारिता का काम चलने वाला नहीं है। सन् ५२-५३ में जब यह कार्य मेरे सुपुर्द हुआ तो उस वक्त जहां कहीं जाते थे एक भावना दिखायी पड़ती थी, नाउम्मीदी और परेशानी की और हर जगह जहां देखो वहां नुकसान ही नुकसान दिखायी पड़ता था। कपड़े में, चीनी में और जितने काम किये सब में नुकसान था। अगर उस वक्त के जमाने को याद करें तो हर साथी को यह फिक्र थी कि आगे क्या होगा, यह तो खत्म होने वाला है। लेकिन हमारे आफिशियल और नान आफिशियल साथियों ने जो कार्य उसके बाद इसमें किया उसका नतीजा यह हुआ कि हम दिनों दिन उसमें तरक्की करते चले जा रहे हैं। जो आंकड़े रक्खे गये हैं उनको आपने देखा होगा तो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि रोजबरोज हम इसमें तरक्की करते चले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सहकारिता के जरिये से इस देश के स्तर को ऊंचा करें, उसके आर्थिक ढांचे को इतना मजबूत करें ताकि आयन्दा चल कर हम तमाम काम उसके जरिये से कर सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि अब भी सहकारिता में बहुत सी खामियां हैं और वे इसलिये हैं कि अब हमारी सहकारिता के अन्दर जैसे ऊंचे आदमियों के आने की आवश्यकता है वैसे अभी आ नहीं रहे हैं। इसको छोटी चीज समझ रखा है, इसके बरअक्स जैसा मैंने कहा बम्बई और मदरास में खासे ऊंचे तबके के लोग आये, ऐसे लोग आये जिन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ दी है और मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद आज वे सहकारिता के बड़े काम करने वाले और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री मंगला प्रसाद]

पंडित हैं जिनसे कि हमको भी जोश होता है, तसल्ली और हिम्मत होती है कि हम आगे बढ़ें। तो इस बात की आवश्यकता है कि इसमें जो प्रांत में थोड़े से चुने हुये लोग हैं, वे इस काम में लग जायं ।

मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा जिनसे आप यह तै कर सकेंगे कि सहकारिता में कितनी तरक्की हुयी और यह भी बतलाने की कोशिश करूंगा कि आयन्दा हम उसको कितनी दूर तक ले जाना चाहते हैं। हमारे बहुत से साथी शिकायत करेंगे कि रेट आफ इंट्रेस्ट अभी हमारे सूबे में ज्यादा है। जब मैंने इस कार्य को ५२-५३ में लिया था तो उस वक्त साढ़े १० से लेकर १५ फीसदी तक सूद सहकारी विभागों में लिया जाता था, अब सदस्यों से ९ फीसदी से ज्यादा सूद नहीं लिया जाता और जो सोसाइटीज हैं उनमें ७ फीसदी तक लिया जाता है। बम्बई और मदरास में ७ रुपये १३ आने फीसदी लिया जाता है। वहां हमसे कम सूद लिया जाता है, इसके बहुत से कारण हैं लेकिन जिस तेजी से हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं, जिस तेजी से हमारे बैंक्स का काम बढ़ रहा है वह अगर बढ़ता रहा और एस्टेब्लिशमेंट के कास्ट में खर्चा कम हुआ तो हम भी थोड़े दिनों के अन्दर ७ रु० १३ आ० तक पहुंच जायंगे। कहा यह जाता है कि एक कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया की बैठी थी। उसने यह कहा कि सहकारिता के जरिये यहां पर बहुत कम कर्जा किसानों को, ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को दिया जाता है। उन्होंने सिर्फ उसका लिहाज किया कि जो नकद रूप में रुपया हम किसानों या एग्रीकल्चरिस्ट्स को देते हैं, उन्होंने उसका ख्याल नहीं किया कि करीब ढाई करोड़ रुपया तो हम सीड (बीज) के लिये भी किसानों को देते हैं, केन में २ १/२ करोड़ रुपया और हमारी प्राइमरी सोसाइटीज जो हैं वह व्यक्तियों को ४ सौ रुपया तक अपने सदस्यों को देती हैं और इसके अलावा कुछ और लांग टर्म और कुछ मीडियम टर्म रुपया भी लोगों को देते हैं, इस सब को मिला कर कुल ९ करोड़ रुपये के हम सालाना लोगों को देते हैं और इस सब का ख्याल उस कमेटी ने नहीं किया। मैं समझता हूं कि करीब ९ फीसदी रुपया हम सहकारिता के जरिये से किसानों को दे पाते हैं। यह सही है कि इस कार्य में बम्बई प्रांत और मद्रास हम से आगे है। हमारी सरकार भी इस बात का प्रयत्न कर रही है कि हम इसमें और आगे बढ़ें किन्तु इसमें हमारा कानून कुछ बाधक है। कानून के अनुसार हम जो रुपया उधार देते हैं उसे आसानी से वसूल नहीं कर सकते। अगर हम इस बाधा को निकाल दें तो हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से और रिजर्व बैंक से काफी रुपया ले करके इस क्रेडिट के काम को, इस उधार के काम को और आगे बढ़ा सकते हैं और जो आज हम ९ करोड़ देते हैं वह अगले साल १८ करोड़ दे सकते हैं और आगे के चार-पांच वर्षों में हम ५० या १०० करोड़ रुपया भी लोगों को उधार दे सकेंगे।

एक खुशी की बात और आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ने, जो अभी तक कुल १ साल के लिये रुपया दिया करता था, अब कुछ रुपया तीन साल के लिये भी देना शुरू किया है। यह रुपया वह सरकार की गारंटी पर देता है और यह रुपया वह देता उतना ही है जितना कि प्रांतीय कोआपरेटिव बैंक के शेयर होते हैं। उतने रुपये तक ही वह देता है। चुनांचे ५५ लाख रुपया हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से मांगा है और उसके लिये गारंटी दे दी है। यह एक नयी बात हुयी है और मुझे आशा है कि इस तरह से बहुत बड़ी-बड़ी रकमें जिनको कि अभी हम सोच नहीं रहे हैं वह हमें इस कार्य के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलती रहेंगी। और हमारी सरकार उस के लिये गारंटी देती रहेगी।

इसके अलावा, इस सिलसिले में एक दो बातें और कहनी हैं। पिछले साल यानी १९५२-५३ में हमारे पास काफी पैसा बेकार था जिसका कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। करीब २ करोड़ रुपये के हमारे यू०पी० बैंक में हमारे पास बेकार था जिसका कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाये थे। हमने पिछले साल ड्राइव किया और उसका नतीजा यह हुआ कि दो करोड़ रुपया तो वह खपत हो गया और हमने रिजर्व बैंक से ७२ लाख रुपया लिया। फिर भी काम नहीं चला तो ३० लाख रुपया हमने सूबाई गवर्नमेंट से कर्जा लिया और उसके बावजूद भी चारों

तरफ़ से हमारे ऊपर बैंकों की मांग इतनी थी कि उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उस ड्राइव का नतीजा यह हुआ कि हमने ५० लाख रुपया तो शेयर मनी इकट्ठा किया और एक करोड़ सात लाख रुपया डिपोज़िट बैंकों में अपने इकट्ठा कराया, सोसाइटीज़ के बैंकों में, सब मिला कर १ करोड़ ७ लाख इकट्ठा किया और यह खुशी की बात है शायद बहुत से लोग यह कहेंगे कि कुछ उसमें ज्यादती होती होगी। जहां कहीं मैं जाता हूं ५० हजार, एक लाख, यहां तक कि गोरखपुर ने पौने ६ लाख रुपया मुझको दिया था, वहां के बैंक का कारोबार बढ़ा; गोरखपुर के बैंक का काम बहुत अच्छा है। करीब ४० लाख वर्किंग कैपिटल है तो पौने ६ लाख इकट्ठा होना बहुत नहीं है, लेकिन एक वातावरण तो इस तरह का पैदा हुआ है। जहां कहीं मैं जाता हूं वहीं ५० हजार, १ लाख, २ लाख, ३ लाख रुपया लोग देने के लिये प्रस्तुत रहते हैं सहकारिता के कार्य के लिये। कुछ शहरों में भी रुपया देते हैं। इस साल जो गुजश्ता साल है उसमें १ करोड़ २२ लाख रुपया के करीब हमने कर्जा दिया, शहरी हिस्से में भी बहुत से कामों के लिये जो हमारी सहकारिता समितियों के सदस्य हैं। इसके पहले ७६ लाख रुपया दिया था। इस तरह उसमें भी काफी प्रगति है।

हमारी ब्लाक यूनियन्स हैं उनकी तादाद भी काफी बढ़ी है, हमारी जो सोसाइटीज हैं उनकी तादाद भी बढ़ी ८ हजार के करीब। जैसा मैंने कहा ५० लाख उसका शेयर मनी बढ़ा और ५ लाख नये मेम्बर बढ़े। इस तरह की प्रगति हमारी एक साल के अन्दर हुयी है तो सहकारिता के इतिहास में अभी तक कमी हुयी नहीं। इसी सिलसिले में यह कहना मुनासिब ही होगा कि सन् ५२-५३ में जितना हमने कुल काम किया था वह करीब २३ करोड़ रुपये का था और वह पीक डेज थे कन्ट्रोल के और अब इस साल जो हमने काम किया है, जो साल खत्म हुआ है उसमें ४१ करोड़ रुपये का काम किया और जो साल जा रहा है इसमें हम आशा करते हैं कि ५० या ५४ करोड़ रुपये के करीब काम करेंगे, यानी सन् १९५२-५३ के काम से अब जो काम हमने किया है वह दुगुना हो जायगा। थोड़े दिनों पहले गवर्नमेंट ने ऐग्रीकल्चर विभाग से उनके बीज भंडारों को लिया था जिनकी तादाद थी ५६७ या ६६७। अब उनकी तादाद हो गयी है १०४१। उस वक्त गल्ला था करीब साढ़े सात लाख मन के, अब हो गया १६, १७ लाख मन तो वह बीज दिया जाता है किसानों को। और जो बीज हमारे पास था उस वक्त वह 'सी' क्लास था। अब हमारे पास इस १६ लाख ७२ हजार मन बीज में से ९ लाख ७३ हजार मन 'ए' क्लास सीड है। अभी यह शिकायत थी कि जो हम बीज रखते हैं वह खराब मकानों में रखते हैं जिसकी वजह से बीज खराब हो जाता है और जब बोया जाता है तो काफी उगता नहीं। अब हमने मकान बना दिये हैं और इस साल के आखिर तक करीब ४००, ४७५ हमारे बीज भंडार पक्के तैयार हो जायेंगे, अब तक करीब-करीब २७५ तैयार हो चुके हैं।

एक योजना हमारी कोआपरेटिव की है, दूध की, आपको मालूम है कि अब आपको दूध ८ आने सेर मिलता है। जहां तक कोआपरेटिव का दूध है सिर्फ यहां नहीं बल्कि सूबे के हर हिस्से में मिलता है। पहले १० आने से १४ आने तक मिलता था। जहां-जहां हमने कोआपरेटिव मिल्क यूनियन्स खोली हैं वहां एक भाव है, उसी के हिसाब और लोगों ने भी भाव कर दिया है। इस साल सरकार की दो नयी मिल्क यूनियन्स खोलने के लिये भी बजट में प्रोवीजन है, मुरादाबाद और देहरादून में। इस तरह से हमारे ९ मिल्क यूनियंस हो जाते हैं। आप जानते हैं कि मिल्क यूनियंस के सिलसिले में बाम्बे सरकार ने तो करीब तीन चार करोड़ रुपये लगाकर के एक बहुत बड़ा मिल्क यूनियन खोल रखा है। हमने थोड़े से पैसे में काफी काम जहां तक दुग्ध के बढ़ाने का, उसकी देखभाल करने आदि का है, वह शुरू किया है और उसमें काफी सफलता हमें मिली है। हम यही नहीं करते कि कोई सिर्फ दूध इकट्ठा करते हों, बल्कि यह भी करते हैं कि जगह-जगह पर कई शहरों में जानवरों की भी तरक्की करने का प्रयत्न करते हैं, अच्छी-अच्छी भैंसें उनको खरीदकर देते हैं और फिर उनकी चराई वगैरह का इन्तजाम करते हैं। इसलिये जहां कहीं प्रदर्शन होता है जानवरों का तो आप देखेंगे कि वहां के जानवर और दूसरे जानवरों से काफी अच्छे दिखायी पड़ते हैं, काफी उनका दूध होता है और काफी उनकी तरक्की हो रही है। इस साल हमने अपने बैंक से इस काम के लिये दस लाख रुपये रखे थे कि इसमें

[श्री मंगला प्रसाद]

से हम लोगों को लोन देंगे जो कि वह तीन-चार वर्षों में वापस कर देंगे। लेकिन यह हम वहीं देंगे जहां हमारी मिल्क यूनियन्स चल रही हैं, क्योंकि उसकी हम देखभाल आसानी से कर सकते हैं।

जहां तक गुड़ का सवाल था, सरकार ने जो स्कीम रखी है, आपको मालूम है और अभी बहुत से सवालात भी हुए हैं जिनसे आपको और भी मालूम हो गया होगा।

हमारे सूबे में भट्ठे का काम काफी चल गया है और वह काम जो हमने चलाया है वह ज्यादातर देहाती हिस्सों में चलाया है, शहर से पंद्रह बीस, तीस मील के फासले पर चलाया है। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ५०, ४०, ३५ रुपये इस भाव से सारे सूबे भर में आपको ईंटे मिला करती थीं। लेकिन अब आपको २०, २१, २२ या २३ रुपये के भाव में ईंटें पर्याप्त रूप से चारों तरफ मिल जाया करती हैं। कहीं-कहीं २३,२४ भी भाव रखा गया है। तो इस काम में हमने काफी प्रगति की है। यह मैं नहीं कहता कि जितने भट्ठे हमारे यहां चल रहे हैं, उनमें कोई खराबी, कोई त्रुटि नहीं है। नया काम शुरू किया है। लेकिन ज्यादातर हमारे भट्ठे काफी अच्छे चल रहे हैं। उनमें आमदनी है। उन्होंने काफी सेवा जनता की की है और डेवलपमेंट के काम में तथा स्कूल, कालेज आदि बनाने में बड़ी आसानी पैदा की है। यह अफसोस की बात है कि कन्ज्यूमर्स स्टोर्स हमारे बहुत खराब हालत में हैं। उनका काम नहीं चल रहा है। लेकिन ५०, ६० स्टोर्स अब भी ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कन्ज्यूमर्स स्टोर्स का काम और भी प्रान्तों में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मद्रास में एक कोई ट्रिपिल केन या क्या नाम है उसका, वह दो तीन करोड़ रुपये का काम कर लेता है और ६०, ६५ ब्रांचेज हैं उसकी मद्रास के अन्दर। इस तरह से अगर सब कन्ज्यूमर्स स्टोर्स मिलकर काम करें जिसका कि प्रयत्न हम कर रहे हैं तो शायद हम सफलतापूर्वक उनको चला सकते हैं और लोगों को आसानियां दे सकते हैं जिससे उनको सस्ते में अच्छा माल मिल जाय।

एक खास बात आपसे खुशी की बताने की है और वह यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने करीब तीन करोड़ रुपया हाउसिंग के लिये, ५ सौ रुपये से कम आमदनी वालों के लिये दिया है। उस काम को सहकारिता विभाग के सुपुर्द किया गया है। उसमें से दो करोड़ चालीस लाख रुपया सहकारिता विभाग को मिलेगा और वह सूबे में जहां जहां सहकारी समितियां हैं, हाउसिंग की जो समितियां हैं, जिनके पास जमीन है, उन पर फौरन ही काम शुरू कर देंगी। ऐसे तो बहुत सी गवर्नमेंट्स को यह आफर था, कोई इस रुपये को लेने को तैयार नहीं था। हमारे यहां सहकारी विभाग इस बात के लिये तैयार था और उसके पास आंकड़े भी तैयार थे। फौरन उन्होंने मांग कर दी और फौरन साढ़े छः करोड़ की मांग गवर्नमेंट आफ इंडिया को गयी। सहकारी विभाग फौरन इस काम को चालू कर देना चाहता है। हमारे यहां करीब २०५ हाउसिंग सोसाइटियां हैं, लेकिन सबके पास जमीन है। जिनके पास जमीन है उन पर हमारा सिर्फ साढ़े छः करोड़ रुपया सर्फ हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। ८,००० रुपये से अधिक किसी को नहीं दिया जायगा। उससे कम मिल सकता है और २,००० यानी ३० फीसदी उस आदमी को उसमें अपने पास से लगाना चाहिये। जमीन के रूप में या पैसे के रूप में—जो आदमी उस पैसे को ले। लेकिन हम यह काम उसी के लिये करने जा रहे हैं जिसके पास जमीन है। क्योंकि जमीन अक्वायर करने में १०–१५ साल तक लग जाते हैं और ४–५ साल भी लग सकते हैं। तो उस काम को आज शुरू कर नहीं सकते। जिनके पास जमीन है ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जो सहकारी समितियों में शामिल नहीं हैं। उनके पास जमीन हो तो अपनी सोसाइटी बना करके उसमें पैसा लेने के अधिकारी हो जायेंगे। यह भी मुमकिन है कि जो हमारी समितियां हैं उसमें भी बहुत लोग शामिल हो जायं जिनके पास जमीन है और उसको जोड़ करके उस कार्य को हम चला सकते हैं। तो यह खुशी की बात है। हम इसमें भी आपका सहयोग चाहेंगे, जिस से हम जल्द से जल्द इसको शुरू कर सकें वरना हम को काफी पैसा सूद के रूप में केन्द्रीय सरकार को देना पड़ेगा। यह रुपया हम ५ फीसदी में देंगे। जो आदमी रुपया

लेगा उसको ५ फीसदी सूद देना पड़ेगा और यह ३० वर्ष तक का भी हो सकता है। लेकिन जो संस्था कम दिनों में दे सकती है—क्योंकि ३० वर्ष तो मैक्सिमम है—तो उससे ऐसा भी किया जा सकता है।

हमारे आर्गेनाइजेशन में और बहुत प्रकार के काम हो रहे हैं। टाइम तो ढाई घंटे का है। सब बातों पर कहने में काफी समय लग जायगा। इसलिये उन सब बातों के बारे में तो नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि इन सब कामों पर आंख रखने के लिये सुपरवीजन करने के लिये हमने आडिट का काम भी बहुत मजबूत बना रखा है और उसके लिये एक आडिट आफिसर रखा है और सूबे को ५ हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और ५ जगह बड़े-बड़े आफिसर हैं और करीब साढ़े तीन सौ आडिटर्स से काम लिया जा रहा है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी सोसाइटियां बढ़ रही हैं, लेजिस्लेचर से हमारे लिये रुपया बढ़ रहा है तो हमारा जो पुराना स्टाफ था उससे काम नहीं चल रहा है। हमें और आदमियों की आवश्यकता होगी। पिछले साल यह शिकायत हुयी थी कि हर जिले में सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर्स की कमी है। इस साल ३०० सुपरवाइजर्स और ६० इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन भी कर लिया है और इरादा यह है कि उनको ट्रेनिंग शुरू कर दें और ट्रेनिंग होने के बाद जो कि ९ महीने में समाप्त हो जाती है, हम आपको जल्दी से जल्दी उनको दे सकें। डेढ़ सौ को हम पहले ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनका बटवारा भी जिलों में कर रहे हैं। ३०० को जब ट्रेनिंग दे देंगे तो उनसे जो काम हमारा बढ़ रहा है वह भी पूरा हो सकेगा। मैं यह कह देना चाहता हूं कि बहुत से भाई यह कहेंगे कि यह ३०० भी कम हैं। यह सही है। इस वक्त सुपरवाइजर्स की कमी है और जहां सीड स्टोर वगैरा हैं वहां काम इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके लिये सुपरवाइजर्स की आवश्यकता है। लेकिन पैसे के अभाव से अभी काफी आदमी हमको नहीं मिल रहे हैं। आशा है कि आइंदा बजट में आप देखेंगे कि तीन चार सौ की फिर मांग होगी। उसको भी फिर गवर्नमेंट देगी ही। पिछले साल हमने यह कहा था कि हमारा कोआपरेटिव ऐक्ट बहुत पुराना है, यह सन् १९१२ ई० का है। हम आयन्दा साल इसको पेश कर सकेंगे। लेकिन इस साल हम बहुत बिजी रहे और बहुत से काम खत्म नहीं हुये। लेकिन जहां तक कोआपरेटिव विभाग का ताल्लुक है वह तैयार है लेकिन मौका नहीं आता है कि उसको आपके सामने पेश करें। मैं समझता हूं कि अगर बहुत देर तक हम बैठे तो अभी यह आपके सामने आ जायगा नहीं तो इस साल जो आयन्दा सेशन्स होने वाले हैं उनमें अवश्य यह ऐक्ट आपके सामने रिवाइज करने के लिये आ जायगा।

अब मैं आपके सामने, माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, चंद बातें और रखना चाहता हूं और वह यह है कि हम आयन्दा क्या काम करने वाले हैं। उनको मैं थोड़े में कह देना चाहता हूं। आयन्दा साल हम ५० लाख का शेयर मनी इकट्ठा करना चाहते हैं। एक करोड़ ६० लाख के करीब डिपौजिट इकट्ठा किये थे। इस साल हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर २ करोड़ करें। इस साल हम रिजर्व बैंक से दो ढाई करोड़ रुपया कर्ज ले रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आयन्दा साल उनसे ४, ५ करोड़ रुपया ले सकेंगे। उनका तरीका यह है कि हमारा जो शेयर मनी होता है उसके हिसाब से वह देते हैं। इसको हम बढ़ाने वाले हैं। हमारी गवर्नमेंट भी सोच रही है कि यू०पी० गवर्नमेंट का शेयर ५० लाख का और खरीद ले। अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है लेकिन उम्मीद है कि कामयाबी होगी। इसके माने यह हुये कि यू०पी० कोआपरेटिव बैंक के जितने सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं उनके शेयर्स एक लाख ७० हजार के करीब जैसे छोटे बड़े वह बैंक्स हैं, खरीद लेगा, इससे उनकी ताकत बढ़ेगी। इस प्रकार से हमारा शेयर कैपीटल बढ़ जायगा और ५० लाख हम बढ़ायेंगे और ५० लाख का शेयर गवर्नमेंट ले लेगी तो करीब एक करोड़ डेढ़ करोड़ के हमारा शेयर कैपीटल हो जायगा। तो हम रिजर्व बैंक से इंटरमीडियट लोन डेढ़ दो करोड़ का ले सकेंगे और रिजर्व बैंक साल भर के लिये शार्ट टर्म लोन भी देता है वह हम अपने शेयर कैपीटल से दुगुना ले सकते हैं ५-६ करोड़ तक ले सकते हैं।

[श्री मंगला प्रसाद]

इसी बीच हम अपने कानून को भी बदलना चाहते हैं। हमारे साथी इस पर कुछ हंसते हैं। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि अन्य प्रांत बम्बई तथा मद्रास रिजर्व बैंक्स से ८–९ करोड़ रुपये ले रहे हैं। लेकिन हमारा कानून ऐसा है, जब तक नया कानून नहीं बन जाता है, कि हम लोगों को रुपया देकर आसानी से वसूल नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमारी बहुत सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से हम ज्यादा रुपया नहीं ले सकते हैं। मद्रास प्रांत में इतनी आसानी से पैसा इकट्ठा हो रहा है कि उनको कोई परेशानी नहीं होती है और उनके पास बहुत सा पैसा रहता है और वह इसलिये रहता है कि उनको डेढ़ दो फीसदी पर मिल जाता है जो और कहीं नहीं मिलता है। वहां ढाई तीन फीसदी पर मिलता है। हमारे यहां ४ फीसदी में मिल रहा है। इस लिए हमारी दिक्कतें हैं।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि बम्बई और मद्रास में कोआपरेटिव इन्श्योरेंस का काम चल रहा है। यहां भी हम उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव इंश्योरेंस कम्पनी खोलना चाहते हैं, इसका हम इन्तजाम कर चुके हैं। यहां के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स की भी हम मीटिंग कर चुके हैं, और उन की राय भी ले ली है। जिन-जिन बातों पर उन्होंने ध्यान देने के लिए कहा है, उसको हम देखने वाले हैं। उसमें हम ज्यादातर ऐग्रीकल्चरिस्ट्स का ही इंश्योरेंस करेंगे और २००, २५० से लेकर १,००० तक करेंगे। कुछ लोगों की यह राय है कि कोई चाहता है तो बढ़ाने में कोई रुकावट न हो, लेकिन नीचे वाला २०० रुपया हो जाय, तो ठीक है। हमारा बड़ा प्रान्त है। हमारे यहां दूसरी जगह मद्रास की कोआपरेटिव इंश्योरेंस कम्पनी यहां पर काम कर रही है। हमने सोचा कि जो यह हमारे यहां काम करती हैं, और उनसे जो पैसा हमको मिल रहा है, उस पैसे को हम अपने यहां काम में लगा सकते हैं और उसको हम लांग टर्म के काम में लगा सकते हैं, उसको अपने तरक्की के कामों में लगा सकते हैं और अपने उद्योगधंधों में और जितने भी हमारे कारोबार होते हैं, उनमें लगा सकते हैं। इसलिए हम इसको और भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से काम करने की बात चारों तरफ है। मैं समझता हूं कि सहकारिता के जरिये से हर प्रकार का काम हो सकता है। अभी चकबन्दी हो रही है। उसके जरिये से हम कोआपरेटिव फार्मिग कर सकते हैं। कलेक्टिव फार्मिग भी हो सकती है। इस प्रकार से आसानी से काम करने वालों के जरिये से, कोआपरेटिव फार्मिग के जरिये जोर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब वह दिक्कत है कि किसी आदमी की जमीन कहीं पर है और दूसरे की कहीं पर है जिसकी वजह से वह कोआपरेटिव फार्मिग नहीं कर पाते हैं और उन को मुश्किल होती है लेकिन अगर चकबन्दी हो जायगी तो चकबन्दी के बाद कोआपरेटिव फार्मिग करने में बहुत सहूलियत होगी और किसानों को भी उसकी एवज में काफी सहूलियत दी जा सकती है। इस प्रकार से बहुत सा काम हमारा हो सकता है।

हमारे यहां थोड़े दिनों के बाद ५, ७ वर्ष के अन्दर बिजली सब जगह आने वाली है। अभी एक सवाल के जवाब में बतलाया गया कि अल्मोड़े के कुछ गांवों में कई जगह बिजली आने वाली है, और १०, १५ वर्ष के अन्दर तो यह अवस्था हो जायगी कि गांव-गांव में बिजली पहुंच जाय। बिजली पहुंचने का अर्थ यह होता है कि हम उसके जरिये से उत्पादन बढ़ायें। लोगों को रोशनी के लिए जरूरत है, वह भी उन की जरूरत पूरी की जाय, और दूसरे काम भी हों, लेकिन जो जरूरी काम उस से होने वाला है, वह यह है कि छोटे-छोटे कारखाने को खोलकर उसके जरिये से तरह-तरह के अपने देश में उद्योगधंधे बढ़ाये जायं। अभी तो गवर्नमेंट के पास काफी सरमाया नहीं है, और जितने भी दूसरे डेवेलपमेंट के काम हैं, उन को ही पूरा करना है, चाहे वह पढ़ाई का काम हो, सिंचाई का हो, या सड़क का हो या अस्पताल का। इस तरह से बहुत से काम हैं। वह उम्मीद करना कि वह छोटे–छोटे कारखाने जो गांवों में खोले जायेंगे, उनके लिए काफी सरमाया सरकार से मिल सकेगा इसमें मुझे बहुत शक है। इस कारण मैं समझता हूं कि हमको इस तरह से कार्य करना चाहिए कि हम उस कमी को पूरा कर सकें। मेरा ख्याल यह है कि उस काम को सहकारिता के जरिये से ही पूरा कर सकते हैं। अभी हमारे यहां हमारी

१८, १९ यूनियन हैं। उनके केन्द्र होते हैं। जहां १५, २० गांव मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, तो वही आपस में एक यूनियन बनाते हैं, वहां इसके अन्दर आम तौर से कहीं कहीं एक बीज भंडार है, कहीं कहीं उसके भट्ठे हैं। इस तरह से चारों तरफ वह काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि हमारी जिस प्रकार से प्रगति चल रही है, थोड़े दिनों के अन्दर हमारे यहां यूनियन बढ़कर ३ या ४ हजार यूनियन हो जायंगी, और इन यूनियन की अपनी पक्की इमारत भी हो जायगी, और यहां पर हमारे इतने साधन इस तरह के हो जायेंगे कि हम सही तरीके से सहकारिता के जरिये से काम कर सकते हैं यानी काश्तकारों और गांव वालों की जो पैदावार होगी उनको सही मारकेट में भी देने की कोशिश कर सकेंगे। जो सामान खरीदना चाहेंगे, उनको सस्ते दाम पर वह चीजें दिलाने का प्रयत्न कर सकेंगे। अभी थोड़े दिनों के अन्दर यानी, ५, ६ साल के ही अन्दर हम अपनी यूनियन में कोई ५० हजार, कोई १ लाख, कोई १।। लाख कर्ज तक ले सकेंगे। तब हम अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तब हमारे पास इतना धन होगा कि उससे काम करने वालों का अच्छी तरह से संगठन कर सकेंगे। थोड़ी बहुत जो टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है, वह टेक्निकल एजुकेशन के आदमी भी हमारे पास होंगे। जहां पर टेक्निकल एजुकेशन हो, पैसा हो, काम करने वाले आदमी हों, वहां पर कारोबार चल सकता है। इसलिए हम हिसाब किताब रखने और किस तरह से सहकारिता का काम किया जाय, इसकी जानकारी के लिए, और गांवों को आगे ले जाने के लिए हम अपने यहां अफसरों आफिशियल और नान-आफिशियल को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। और इस नान-आफिशियल ट्रेनिंग पर हम ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए कि आजकल जो बहुत सी खराबियां होती हैं, वे हिसाब किताब और कायदा कानून को न जानने के कारण ही होती हैं, उसमें काफी रुकावटें हो जायंगी, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हम सहकारिता के आन्दोलन को ज्यादा तरक्की दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस सिलसिले में हर तरफ से इम्दाद मिलेगी। इससे ज्यादा इस वक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता यदि, कोई खास बात इस बीच में कही गयी तो आखिर में उस बारे में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय उपमन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सहाकरिता ऐसा विषय है जिसमें किसी कोने से विरोध में कोई आवाज नहीं उठ सकती हैं। यह विषय राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है। जब माननीय उपमन्त्री ने सहकारिता की कमियों का स्वयं अनुभव करते हुए अपना भाषण दिया है, उस समय मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। हम जानते हैं कि उस काम में खामियां रही है लेकिन यह मानता हूं कि जब से माननीय मन्त्री जी ने इस विभाग को संभाला है, पिछले दो तीन साल से, तब से इसमें काफी प्रगति हुई है। सोसाइटियों की संख्या १९५०-५१ में २६३९०, १९५१-५२ में २७२९३ और ५२-५३ में २७८२१ रही। इन तीनों बजट वर्षों में कोई खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन ५३-५४ में उनकी संख्या बढ़कर ३२२९० तथा ५४-५५ में ४२०३३ हो गयी हैं। इसके लिए माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। स्वतंत्र आडिट की व्यवस्था जो माननीय मन्त्री जी ने की है, वह भी इसको अच्छा रूप देने के लिए अत्यावश्यक थी। इसकी आवश्यकता थी और माननीय मन्त्री जी ने उसको पूरा किया है। यह भी बड़े हर्ष की बात है कि सहकारिता की स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि कन्ट्रोल के टूट जाने के बाद यह आशंका हो चली थी कि अब इस विभाग को कैसे चलाया जायगा। लेकिन उसके बाद भी उनका ८ करोड़ ज्यादा का काम होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह माननीय मन्त्री जी की बधाई के लिए काफी है।

श्री मंगला प्रसाद--१७ करोड़ ज्यादा का काम हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तब और भी अच्छा है । कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या बढ़ी है, वह इतना बिजनेस करती है, स्वतंत्र आडिट का महकमा खोल दिया गया है, यह इतने ज्यादा महत्व की बात नहीं है, बल्कि उसमें जनता की सहकारिता और क्रियाशीलता अधिक से अधिक हो, इसका महत्व है । यदि कामकाजी पूंजी बढ़ गयी है, इसमें भी कन्ट्रोल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ज्यादातर जो बिजिनेस बढ़ा है, वह ईंटों का बढ़ा है । मैं समझता हूं कि इसके अन्दर काफी खामियां है । यह बड़े अफसोस की बात है कि १९१२ के ऐक्ट के बाद कांग्रेस सरकार ने १९३६ से आज तक कोई परिवर्तन इस कानून में नहीं किया जब कि और कई कानूनों में कई कई बार परिवर्तन हो गये है । इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कमेटी भी नहीं बैठायी । १९३६ में आर० ओकडन कमेटी बिठायी थी । मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार ने इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझी । इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन यह है कि माननीय मन्त्री जी इस विषय में एक घोषणा करें ।

श्री मंगला प्रसाद—एक मालवीय कमेटी बैठी थी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—वह आपके रिकार्ड में नहीं है । तो हमें यह देखना है कि हमें किस दिशा में प्रगति करना है । माडर्न बाईलाज में बहुत पुराने हैं, और अध्यक्ष महोदय, उसमें भी काफी सुधार की आवश्यकता है । गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने सन् १९४५–४६ में कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी बनायी थी, और उसने भी इस प्रकार का सुझाव दिया था कि क्रेडिट कार्पोरेशन हर प्रदेश में बनाये जायं इसके स्थान पर यदि सहकारी बैंक भी चलाये जायं, तो यह काम चलाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के बैंक नाम को ही बने हैं, और इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है । माननीय मन्त्री जी खुद मानते हैं कि बम्बई और मद्रास में इस प्रकार के बैंकों को काफी प्रोत्साहन दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे हंसी तो इस बात पर आयी कि सरकार ने उस बैंक के जिसका इतना महत्वपूर्ण कार्य है, सिर्फ ५ लाख के शेयर खरीदे, जब कि बम्बई ने २६ लाख के शेयर खरीदे । और जिला बैंकों के ६ १/४ लाख के शेयर खरीदे । हंसी तो इसीलिए आयी कि ५ लाख के तो शेयर हैं और साल भर के अन्दर ही ६ करोड़ की घोषणा कर दी गयी । अगर वाकई यह सही बात हो जाय, तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कि ५ लाख से चलते चलते ५ करोड़ तक की व्यवस्था तो हो गयी, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि जनता का कितना सहयोग होता है, यह विभाग असरकारी लोगों की सहायता पर ही चल सके और जनता के सहयोग के लिए कितनी आवश्यकता ह, किस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता है, इस पर माननीय मन्त्री जी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है । इसके लिए जो पुराने सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और यह कोशिश होनी चाहिए ताकि वह बिलकुल असरकारी लोगों के बल और मदद पर ही वह चल सके । इसमें भी जो बुराइयां पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग में हैं, न आनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के हर सदस्य इस बात का अनुभव करते हैं कि काफी मनमानी सुपरवाइजर और इन्स्पेक्टर लोग करते हैं । मैं एक छोटी मोटी कोआपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं, और मैं उनकी पेंतरेबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ हूं और मैं समझता हूं कि किस तरह से सारे प्रदेश के असरकारी कार्यकर्ता इस व्यवस्था से परेशान होंगे । वे हमेशा जैसा कि रेवेन्यू विभाग में लोग हैं, वे इस बात की कोशिश करते हैं कि कोई बाहरी आदमनी हो । जो भी नया प्रेसिडेंट होता है,उसको वे लोग मिलाने की कोशिश करते हैं और इस तरह का टर्म आफर करते हैं, ताकि वे उनके चक्कर में फंस जाय । गांवों में तो अधिकतर अशिक्षित लोग होते हैं तो बजाय इसके कि उनको उनके अधिकार बतलायें, उनको क्रियाशील बनावें, वे यही कोशिश करते हैं कि सोसाइटी सरकारी कर्मचारियों के ही अधिकार में हो, ताकि वे अपनी मनमानी कर सकें । इसलिए सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि असरकारी लोगों का भी सहयोग मिल सके । मैं समझता हूं कि जनता के अन्दर सहकारिता की भावना पैदा करने

की विशेष आवश्यकता है। माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि यद्यपि हमारे यहां संगठन काफी है, लेकिन हमारे यहां की २ प्रतिशत जनता भी कोआपरेटिव सोसाइटीज का मेम्बर नहीं है। अभी ९८ प्रतिशत जनता को कोआपरेटिव संस्था का सदस्य बनाना है। इसका सन्देश पहुंचाना है।

जहां तक सूद की बात है, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में इस वक्त सूद की दर साढ़े ९ प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक है, जब कि मद्रास में सवा ६ और साढ़े ७ प्रतिशत है, बम्बई में सवा ६ प्रतिशत है, उड़ीसा में ८ प्रतिशत है, और पंजाब में ६ से साढ़े १२ प्रतिशत है और हैदराबाद में सवा ६ प्रतिशत तथा कोचीन में ९ प्रतिशत है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की प्लानिंग कमेटी ने भी सुझाव दिया है कि लांग टर्म कर्ज में तो ४ प्रतिशत सूद हो और शार्ट टर्म लोन में सवा ६ प्रतिशत सूद हो। तो जहां तक हो सके कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर सूद की दर कम होनी चाहिए। कहा यह जाता है कि हमारे यहां बहुधंधी सोसाइटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सोसाइटी क्रेडिट का काम करती है, या कोई भट्ठे वगैरह का काम शुरू कर देती है, बस उसी को बहुधंधी सोसाइटी का नाम दे दिया जाता है। इस-लिए मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इस बात की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि सही माने में ये सोसाइटियां सहकारिता के आधार पर प्रगति कर सकें। इसके लिए सोसाइटीज को यह भी काम करना चाहिए कि ग्रामीणों को सस्ती से सस्ती चीजें पहुंचायी जायं और उनकी जो चीजें पैदा हों उनकी मारकेटिंग की सुन्दर व्यवस्था हो। काम तो सैकड़ों हैं जिनको कोआपरेटिव सोसाइटीज कर सकती हैं लेकिन जब तक हम अपने सूबे की गरीब जनता को सस्ता सामान पहुंचाने और साथ ही साथ उनकी उपज के सामान के ठीक से मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं करते, जब तक हम उन के और कन्ज्यूमर के बीच से मध्यवर्ती को नहीं निकालते और जो ठीक समय पर उनसे अनाज खरीद कर लाभ उठाते हैं, उनसे नहीं बचाते तब तक हमारे प्रदेश में सहकारिता की प्रगति नहीं हो सकती।

इस साल ब्लाक ग्रान्ट्स कोआपरेटिव सोसाइटीज और फेडरेशन की बढ़ायी गयी हैं, लेकिन इस दो तीन लाख रुपये की बढ़ोत्तरी से क्या हो सकता है? मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी उस को बढ़ाने की तरफ विचार करें। दूध के व्यापार के सम्बन्ध में भी सहकारिता का कार्य ९ स्थानों पर चलाया जा रहा है। एक इस साल से दूध की समिति चलेगी, कुछ ३ साल से चल रही हैं, और कुछ उस से पहले से चल रही हैं, लेकिन सरकार को उन में भी घाटा उठाना पड़ रहा है, हालांकि व्यापार की दृष्टि से तो उन में लाभ होना चाहिए, यह हो सकता है कि उस से जनता के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव हो रहा हो, लेकिन जब उन का व्यापारिक दृष्टिकोण है तो सरकार को देखना चाहिए कि वह अलाभकर न हों। और भी बहुत सी चीजें हैं जिन की तरफ सरकार को देखना चाहिए लेकिन समय कम है इसलिए एक बात और कहूंगा। अभी मुझे माननीय नेता विरोधी दल से मालूम हुआ कि बनारस में ४ साल से एक महोदय मार्केटिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, शिकायतें भी की गयीं, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह देखें कि इस तरह की ढिलाई न हो। एक बात यह भी है कि इस विभाग के लोगों में एक हीन भाव या इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स है और वह सरकारी लोगों के प्रभाव में आते रहे हैं और न उन को किसी सरकारी विभाग से अपने को कम समझना चाहिए और उनको लोगों के दबाव में पड़ कर ऐसे काम न करना चाहिए जिस से सहकारिता के जो उद्देश्य हैं कि जनता की सेवा और उसमें कार्यशीलता लायी जाय, वह कम न हों। इस लिए सहकारिता के साथ वह काम करते हैं, जो सरकार भी आसानी से नहीं कर सकती। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और मुझे आशा है कि मन्त्री जी इन सुझावों पर गौर करेंगे और विभाग की इन कमियों को दूर करेंगे।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने सही कहा है कि कोआपरेटिव मूवमेंट एक ऐसा विषय है जिसके विरोध में कोई भी नहीं उठेगा। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश में जो

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

कोआपरेटिव की प्रगति हुई है उस का वर्णन किया और उन के वर्णन से सहमत या असहमत होने के बारे में न कह कर मैं केवल इस विषय को उन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो एक मुख्य दिक्कत और परेशानी कोआपरेटिव मूवमेंट में उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में हमारे सामने आती है। वह यह है कि इस कोआपरेटिव मूवमेंट को इस देश में किस प्रकार सफलतापूर्वक चलाया जाय जहां कि कोआपरेटिव मूवमेंट जनता से एमनेट न हुआ हो किन्तु सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार जनता की भलाई के हेतु जनता के बीच में इस मूवमेंट को चलाना चाहिये। कोआपरेटिव मूवमेंट के इतिहास को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोआपरेटिव मूवमेंट का आरम्भ उन्हीं परिस्थितियों में हुआ जहां जनता ने उचित समझा कि वह सामूहिक रूप से काम करे ताकि जो चंद व्यक्तियों ने की मानोपाली हो या परेशानियां उन व्यक्तियों की वजह से उठानी पड़ती है उनका मुकाबला वह सामूहिक रूप से कर सके। यह मानने के बाद इसप्रदेश में ही नहीं बल्कि समस्त हिन्दुस्तान में कोआपरेटिव मूवमेंट जनता से नहीं उठा किन्तु वह सरकार की ओर से आया। इस में सबसे प्रथम जो दिक्कत पैदा होती है वह यह है कि इस बात को मानने के बाद कि हिन्दुस्थान की जनता अशिक्षित है दूसरी परेशानी जो आती है कि कैसे इस अशिक्षित जनता के बीच में इस मूवमेंट को हम सफलतापूर्वक चलावें। किसी भी मूवमेंट को यदि सरकार सफलतापूर्वक चलाना चाहे तो उसका मुख्य तरीका यही होगा कि या तो स्वयम् जनता उस को अपना ले या यदि वह संम्भव न हो तो अवश्य होगा कि सरकार जनता के सामने एक सफल उदाहरण रखे। कंट्रोल के बारे में अधिक कहा गया और उसका उल्टा मतलब यह लगाया गया कि कंट्रोल के जमाने में कंज्यूमर्ज कोआपरेटिव सोसाइटीज अधिक सफलता पूर्वक चलें और कंट्रोल के उठाते होते ही इन सोसाइटीज का काम उतना अच्छा न रहा। यह मैं मानता हूं किन्तु साथ ही यह भी चाहूंगा कि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि क्यों कंट्रोल के जमाने में हमारी कंज्यूमर्स सोसाइटीज की ब्रांचेज सफलता पूर्वक चली। मेरी एनेलसिस यह है कि उस समय यह परिस्थिति थी जब उन के पास एक स्पेसल प्रिविलेज था यानी वे ही गल्ला बेच सकती थी। उस परिस्थिति में जो सफलता उन्होंने प्राप्त की उससे कोआपरेटिव मूवमेंट को बहुत अधिक लाभ पहुंचा और यदि उससे आज सबक न लिया जाय तो मैं समझता हूं कि गलत होगा।

कंट्रोल का जमाना अब चला गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा बिचार यह है कि अब कंट्रोल के स्थान पर कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज को चंद विषयों पर एक प्रकार से मोनोपली दे दें। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में न कह पाऊंगा जानकारी कम है इसलिये लाचारी से केवल मात्र जिन जिलों के सम्बन्ध में मुझे जानकारी है वहां के बारे में कहूंगा। पिछड़े जिलों और विशेषकर टेहरी-गढ़वाल जिसमें सर्वप्रथम स्थान रखता है उसमें कोआपरेटिव मूवमेंट को चलाने के लिये एक यही तरीका होगा कि सरकार उनको प्रोत्साहन दे और वह प्रोत्साहन केवल इस तरीके से नहीं कि वहां कोआपरेटिव इंसपेक्टर और आफिसर्स को भेजकर पट्टी-पट्टी में कोआपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड करवा दें बल्कि उन को स्थापित करने के बाद उनको इस योग्य बनावे कि उन के छोटे मनिलैंडर्स और बनियों के साथ लड़ सके जो हर गांव-गांव में बैठे हुए हैं और जिन के कारण वहां का भविष्य काफी अंधकारमय है। मैं पूछता हूं कि जब तक ये बनिये और मनीलैंडर्स हर गांव में दुकाने खोले हुये बैठे हुये हैं तब तक आप का कोआपरेटिव मूवमेंट वहां कैसे चल सकता है? इन बनियों का स्थान कुछ हद तक अपने हाथ में सरकार को लेना ही पड़ेगा। जहां तक क्रेडिट का सवाल है सरकार को स्वयम् जिले में बैंक की शाखा खोल कर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जहा तक कंज्यूमर्स गुड्सको सप्लाई करने का सवाल है कोआपरेटिव सोसाइटीज की दूकान उन दूकानों से कम्पेटीशन कर पायेंगी यह समझना एक मूर्खता होगी और यह तभी हो पायेगा जब कि चन्द विषयों में जैसे उदाहरण के लिये चीनी हुई, मिट्टी का तेल हुआ, नमक हुआ इन आवश्यक वस्तुओं के लिये कंज्यूमर्स की सोसाइटीज को एक प्रकार से मानोपली दे दें। मैं समझता हूं कि कंट्रोल के जमाने में जो सफलता कोआप-

रेटिव मूवमेंट को मिली उस से हम इस सबक पर आते हैं कि जब तक यह कोआपरेटिव मूवमेंट जनता में एक प्रबल फोर्स न ले और जब तक वह इस को न समझ ले कि इस से क्या लाभ होता है तब तक सरकार को दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में इस कोआपरेटिव मूवमेंट से क्या-क्या लाभ जनता को मिल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने थोड़ा ही जिक्र किया था मगर मैं टेहरी-गढ़वाल के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से इतना अवश्य कहूंगा कि कोआपरेटिव बैंक का खोलना वहां आवश्यक है। जहां तक मुझे अपने मित्रों से बातचीत करके मालूम हुआ है, पिछड़े जिलों को छोड़ कर और जिलों में कुछ हद तक, कोआपरेटिव द्वारा किसानों को कुछ हद तक क्रेडिट मिलता है। मित्र त्रिपाठी जी ने बताया कि सूद तो अत्यधिक ऊंचा है, यह सब मानता हूं लेकिन मन्त्री महोदय की तकरीर जो मैंने सुनी, तो उसमें उन्होंने पहाड़ी जिलों को विशेष परिस्थिति पर कोई प्रकाश नहीं डाला। यह भी मैं जानता हूं कि यहां पर कोआपरेटिव मूवमेंट की प्रगति बहुत कम हुई है। मैं कोई दोष उन पर नहीं डालूंगा। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि पहाड़ों के सम्बन्ध में जो वहां विशेष परिस्थितियां हैं उनको माननीय मन्त्री ने सही रूप से व्यक्त नहीं किया। सर्वप्रथम यही उनके सामने दिक्कत है। अब कोआपरेटिव मूवमेंट के सम्बन्ध में जनता के बीच में एक प्रकार की घृणा पैदा हो गयी है। पिछले दिनों चन्द एक व्यक्तियों ने पूरे कोआपरेटिव मूवमेंट के नाम को काला कर दिया। कोआपरेटिव सोसाइटीज पर अधिकार जमा कर गबन किया और उस काले दाग को मिटाने के लिए जो सुझाव मैंने मन्त्री जी महोदय के सामने रक्खा है, उसे उन्हें अपनाना चाहिए। कोआपरेटिव मूवमेंट को सफल रूप दे कर ही मन्त्री महोदय जनता के बीच में कह सकेंगे कि जो कुछ कलंक उन पर रहा है, वह चन्द कारणों से था और उन कारणों को दूर होने के बाद वास्तव में कोआपरेटिव मूवमेंट जनहित की एक चीज होगी।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस अनुदान के लिए मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने यह भी वायदा किया है कि आगे चल कर वे इस विभाग में बहुत कुछ सफलता के साथ काम करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं चन्द बातें उनके सुझाव के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं, इस इरादे से नहीं कि कोई उनकी कटु आलोचना हो बल्कि इस इरादे से कि अगर हम इस सहकारिता के आन्दोलन को अपने देश में कामयाब बनाना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए एक लाजिमी चीज हो जाती है कि हम उन गलतियों से बचें, जो हम पिछले समय में कर चुके हैं। सहकारिता के आन्दोलन में हमने थोड़े दिनों से हिस्सा लिया है। बरेली में भी यह चला तो वहां एक बड़ी भारी क्षति हुई, जिसको मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं। वहां ८ कंज्यूमर स्टोर्स खुल गये और उनको प्रत्येक की पूंजी ११, १२ हजार तक हो गयी लेकिन नतीजा यह हुआ कि सरकार ने हालांकि शुरू शुरू में उनकी मदद की और उनकी आमदनी हुई और उनके शेयर्स १०० परसेंट के स्थान पर २०० और ३०० परसेंट तक पहुंच गये, लेकिन बाद में राशनिंग विभाग और सहकारिता विभाग में एक कांनफ्लिक्ट हो गयी, उसके कारण वे तबाह हो गये। हुआ यह कि उन को गेहूं दिया गया और बेचने को दिया गया लेकिन इस बीच में कन्ट्रोल टूट गया। कन्ट्रोल टूटने पर वह गेहूं वहीं पड़ा रहा। कंज्यूमर स्टोर्स ने राशनिंग विभाग और सहकारिता विभाग से प्रार्थना की कि उनको उस गेहूं के बेचने की इजाजत दे दी जाय, लेकिन यह आज्ञा न मिली और इसके कारण १२, १३ हजार रुपये का जो गेहूं दूकानों में जमा था, वह सब सड़ गया। नतीजा यह हुआ कि उनकी आमदनी की हालत यह हो गयी कि जो १०, १० रुपये लोगों के जमा थे वे भी वापस न हो सके। ऐसी सूरत में मुसीबत यह पड़ती है कि अगर हम आन्दोलन फिर शुरू करते हैं और लोगों से कहते हैं कि वे सहकारिता के आन्दोलन में हिस्सा लें तो वह कहते हैं कि एक दफा तो आपका कहना हमने मान लिया और उसमें हमारे शेयर गये, अब हम दुबारा उसी काम को कर के क्या करें। यह माना कि उस समय कन्ट्रोल था और उस के कारण उन को काफी सुविधा मिली, काफी सुभीता रहा, उनको चीजों के मिलने में लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी अगर यह कांफ्लिक्ट न पैदा होता और उस कांफ्लिक्ट का यह

[श्री नौरंग लाल]

डिजास्टरस रिजल्ट न होता तो बहुत अच्छा होता, और हमें अपने काम में बड़ी सफलता मिलती। थोड़ी सी दूरदर्शिता न होने के कारण हमको एक ऐसा धक्का लगा कि जिसको हम अपने शहर में मुश्किल से ही सम्हाल पायेंगे। वैसे तो जो आन्दोलन आप देंगे, उसको सफल बनाने के लिए हम प्रयत्न तो करेंगे ही, लेकिन जो एक डिफिकल्टी हमको पड़ेगी वह हम जानते हैं और यह पहली बात थी जो मैंने कही। हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का कांफ्लिक्ट गवर्नमेंट के किन्हीं डिपार्टमेंट में न होने पाये, क्योंकि इस से गवर्नमेंट का और पब्लिक का नुकसान होता है और एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है कि वह कहते हैं एक डिपार्टमेंट है कि हम क्या करें, हमें ऊपर से आर्डर ही इस तरह के हैं और दूसरे डिपार्टमेंट भी इसी तरह की बात करता है और हमें यह समझ में नहीं आ पाता कि हम क्या करें।

एक सदस्य—वह सब तो अब खत्म हो गया है।

श्री नौरंग लाल—खत्म हो गया है इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इसमें हमें एक सबक लेना चाहिए।

इसके अलावा एक दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सहकारिता आन्दोलन के बारे में, कि उन्होंने दूध के डेयरीज का जिक्र किया। सही है, दूध की डेयरीज की जरूरत है और इनसे बड़ा फायदा है और दूध भी सस्ता मिलता है। लेकिन एक शिकायत पब्लिक को है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ताकि मन्त्री जी उसको जान जायं और वह शिकायत यह है कि दूध के जो कूपन्स बिकते हैं, वह पब्लिक को नहीं मिल पाते हैं और वह सब सरकारी अफसर ही ले लेते हैं। उनके घरों पर उन डेयरीज का दूध पहुंच जाता है। हमें यह देखना चाहिए कि दूध किस को पहले देना है। पहले हमें यही तय करना चाहिए। मैं इस सिलसिले में सुझाव देता हूं कि इसमें छोटे बच्चों का पहला हिस्सा होना चाहिए न कि कलेक्टर्स का या कमिश्नर्स का। स्कूल में बच्चों की काफी तादाद रहती है और मेरा ख्याल है कि जो कूपन्स बंटते हैं, उनको काटते समय यह चाहिए कि जिन माताओं के पास छोटे छोटे बच्चे हों, उनको सब से पहले कूपन्स दिये जायं ताकि उनको सस्ता और अच्छा दूध मिल सके। अगर हमें अपने बच्चों की नस्ल को सुधारना है और भगवान की नजरों में और देश की नजरों में अपने को ऊंचा उठाना है तो उस के लिए मेरा सुझाव है कि यह तरीका काम में लाया जाय और बच्चों के लिए सब से ज्यादा कूपन्स दिये जायं।

एक और छोटी सी बात है। सरकार से बड़ी भूल हो जाती है। अल्मोड़े में जैसा अभी हमने देखा डेढ़ लाख रुपया दिया गया लेकिन डेयरी अभी तक नहीं खुली। डिपार्टमेंट की एडवाइस के खिलाफ भी सरकार ने Loss को पूरा किया, जिस से वहां डेरी न खुल सकी। इससे तो हमारे सहकारिता आन्दोलन पर लांछन आता है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमने ऐग्रीकल्चर से सीड स्टोर्स लेकर सहकारी विभाग को दे दिये लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। जब तक वे ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हाथ में थे, वह ठीक हालत में थे, लेकिन आज उनकी हालत अच्छी नहीं है। यह भी हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक लांछन है। यह माना कि यह एक नया डिपार्टमेंट है और उसमें सुधार होना आवश्यक है, लेकिन अगर हम इन शिकायतों को नजरन्दाज कर देंगे, और इन पर न सोचेंगे, न विचार करेंगे, तो आगे चलकर इस आन्दोलन में हमें कामयाबी नहीं हो सकती।

अन्त में मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि यह एक ऐसा विषय है, और यह एक ऐसा आन्दोलन है कि जिसमें सब से ज्यादा पब्लिक संगठन की जरूरत है। किसी मुल्क में यह ऊपर से पब्लिक पर लादा नहीं जा सकता। अगर इसमें हमें कामयाबी हासिल करना है तो उस के लिए पब्लिक का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है और जहां तक यह सहयोग नहीं है वहां कामयाबी नहीं हो सकती है। पब्लिक सहयोग के लिए प्रोपेगेन्डा की आवश्यकता है, जिस पर हमें काफी ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपके

द्वारा मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो दो तीन सुझाव मैंने दिये हैं, और मेरा ख्याल है कि ऐसी ही और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, अगर उनका हम खयाल नहीं करेंगे और उनकी परवाह नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा एक यह सहकारिता का आन्दोलन चलेगा नहीं। मैं समझता हूं कि अगर हमें अपने देश को कम्युनिज्म से बचाना है और जैसा हमने अभी निश्चय किया देश में एक समाजवादी प्रकार की सरकार कायम करने का, वह अगर कायम करनी है, तो वह काम सहकारिता आन्दोलन के जरिये से ही हो सकता है और वैसा समाजवाद सहकारिता से ही लाया जा सकता है और इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हमारे सामने नहीं है।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को उनके काम के लिए जो गत २, ३ वर्षों में उन्होंने किया है, बधाई देता हूं। मन्त्री महोदय के हाथ में जब से यह विभाग आया है, निःसन्देह यह विभाग हर तरफ से उन्नति करता रहा है। मैं एक बात बतला देना आवश्यक समझता हूं। हमारे जिले में आजमगढ़ में ७२ भट्ठे चल रहे हैं। सहकारिता के आधार पर और उन भट्ठों के कार्य में उन्नति हुई है। दो वर्षों से यह भट्ठे चल रहे हैं, इसके पहले कोई सामान हमको नहीं मिलता था और जब से यह भट्ठे चलने लगे हैं, हर दिशा में उन्नति हुई है। विकास के काम भी हो रहे हैं, ईंटों के जरिये से हमारे हजारों कुएं भी बने हैं और अब भी उन से कई किस्म के विकास के कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं मन्त्री महोदय की सेवा में एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और सहकारिता के सम्बन्ध में जो हम लोगों को कुछ तजुर्बे हुए हैं, उनको भी बतलाना चाहता हूं। जो सहकारिता आन्दोलन है, उसमें मुझको तजुर्बा है, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है, एक यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते। इसमें गड़बड़ी यह हो रही है कि जो सुपरवाइजर हैं, उनके दिमाग में अब भी वह पुरानी अफसरशाही घुसी हुई है। जनता में उतने प्रेम से वे नहीं मिलते जितना कि उनको मिलना चाहिए। जब तक कि सहकारिता आन्दोलन के जो कार्यकर्त्ता हैं, अपने को जनता के सम्पर्क में नहीं रखेंगे और जनता के साथ घुल मिल कर काम नहीं करेंगे, तब तक इस आन्दोलन की सफलता में सन्देह रहेगा। मैं मन्त्री महोदय से आशा करूंगा कि वे इन सुपरवाइजरों को जो कोआपरेटिव सोसाइटीज में काम कर रहे हैं, इस बात का आदेश दें, बल्कि अच्छा यह होगा कि जैसा अभी किसी एक सदस्य ने इस सदन में कहा है कि अच्छा यह होगा कि सुपरवाइजरों को रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग दी जाय और उनको बतलाया जाय कि जनता के साथ हिलमिल कर कैसे काम किया जा सकता है।

दूसरी बात यह होती है कि कोआपरेटिव आफिसर्स का ज्यादा समय दफ्तर में ही व्यतीत होता है। जरूरत यह है कि वे कम से कम महीने में २० दिन गांवों में घूमें और सोसाइटियों का निरीक्षण करें, देखें कि उनमें क्या कमियां हैं, उनको दूर करने का तरीका बतायें। सच्ची बात यह है कि अभी यह आन्दोलन और यह विभाग बहुत पीछे है और बहुत कुछ इसमें प्रगति की आवश्यकता है और अब जब तक अधिकारी लोग इन सोसाइटीज का निरीक्षण नहीं करेंगे, उतनी प्रगति नहीं हो सकेगी। मेरे ख्याल में साल में २, ३ मर्तबा प्रत्येक सोसाइटी का निरीक्षण होना चाहिए, जो कठिनाइयां होती हैं उनका हल बताना चाहिए ताकि जनता में इसका प्रचार हो। उन्हें साथ ही साथ यह भी चाहिए कि जनता की जो कठिनाइयां उनके समक्ष आती हैं, उनका हल निकालें। हमने देखा है कि ज्यादातर कोआपरेटिव आफिसर्स अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और उसी पुरानी मनोवृत्ति नौकरशाही का प्रदर्शन करते हैं, यह मनोवृत्ति इन कोआपरेटिव आफिसर्स को छोड़नी होगी जितना जनता के साथ उनका सम्पर्क होगा, उतना ही जनता का लाभ होगा और इसी में सभी का लाभ निहित है और कितनी और ऐसी यूनियन्स हैं कि जिन्हें इस बात की शिकायत है कि उन्हें मकान बनाने के लिए, बीज भंडार के लिए, बहुत से रुपयों की आवश्यकता है।

[श्री व्रज विहारी मिश्र]

लेकिन जब कभी उसमें रुपया पाने के लिए प्रस्ताव होता है तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि रुपया नहीं है। इसलिए उनको सहायता भी जिले से नहीं मिल सकती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना आपके द्वारा, करना चाहता हूं कि कुछ अनुदान ऐसा भी रखें कि जिससे अधिक सहायता उन संस्थाओं को मिल सके जिस से वह अपने बीज भंडार या ऐसे ही अच्छे अच्छे काम कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जो बजट सदन में पेश किया गया है, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। इस समय हिन्दुस्तान के प्रत्येक गांव में गांव की उन्नति के लिए जिस ढंग से यह पार्टी या संस्था काम कर रही है, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। गांवों की हालत और गांवों के किसानों की हालत बड़ी शोचनीय हो गयी थी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से गांवों मे, किसानों में, गरीबों में शक्ति प्रदान करने के लिए सोसाइटियों का संगठन करना शुरू किया है, यह हिन्दुस्तान के लिए बहुत लाजिमी चीज थी। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ सरकार को बार-बार धन्यवाद देना पड़ता है कि सरकार ने गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए इस संस्था का जन्म देकर इसे जोर से चलाने की कोशिश की है।

मैं अपने जिले जौनपुर के लिये और अपनी तहसील मड़ियाहूं के लिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारी तहसील में लगातार कई साल से सूखा पड़ने के कारण किसानों की हालत बड़ी चिन्ताजनक होती चली जा रही है। इसलिये उन्हें कर्ज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो मंत्री महोदय से मैं आशा करता हूं कि मड़ियाहूं तहसील में सोसाइटी के द्वारा बैंको का आज प्रचार करें और उस तहसील में किसी प्रकार से किसानों की गरीबी को दूर करने की व्यवस्था सोसाइटीज से करें। हमारी तहसील में वहां बीज गोदामों की भी बहुत कमी है जिसकी वजह से किसान को अच्छा बीज मिलने में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं मन्त्री महोदय से यह आशा करूंगा कि उस जगह बीज गोदाम के लिए भी व्यवस्था करें और एक बात और मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं। श्रमदान के समय मैं अपनी तहसील के हर गांव में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि गावों के लोग सोसाइटियों की तरह अधिक उत्साहित दिखलायी दे रहे थे। लेकिन वहां कोई सुपरवाइजर नही है जिसकी वजह से गावों का संगठन सोसाइटियों द्वारा करना मुश्किल हो गया है।

इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि उस तहसील की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे जहां सूखा बराबर कई साल से पड़ रहा है। अभी करीब करीब १४० गावों में जहां तक मुझे ख्याल है, ओला इतना अधिक पड़ा है कि किसानों की हालत शोचनीय हो गई है। ऐसी परिस्थिति में यही एक संस्था है जो उन किसानों को कर्ज दे सकती है और किसानों को अच्छे प्रकार से किसी न किसी रोजगार की व्यवस्था में लगा सकती है। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट के लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री सहीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के लिए माननीय उपमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और साथ ही उनके संचालन में इस विभाग ने जो उन्नति की है उसके लिये वह विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन-तन्त्रीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए सहकारिता के आन्दोलन का एक विशेष महत्व है और इस आन्दोलन के द्वारा इस थोड़े से समय में हमारे प्रदेश ने जो उन्नति की है उसके फल भी सराहनीय हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन शब्दों के पश्चात् मैं एक दो सुझाव माननीय उपमंत्री महोदय को देना अति आवश्यक समझता हूं जिनकी आवश्यकता इस विभाग के कार्य-संचालन में मैंने अपने जिले के अनुभव पर समझी है। पहली मुख्य बात तो यह है कि कृषि की उन्नति के साथ साथ हमें अपने प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने के लिये गृहोद्योगों को भी प्रोत्साहन देना है। लेकिन सहकारिता विभाग की ओर से औद्योगिक क्षेत्र में जो कार्य हुआ है मैं यह कह सकता हूं कि वह नहीं के बराबर है। इसका कारण मैं नहीं जानता क्या हो सकता है। अब तक मैं यह सोचता हूं कि उद्योग और सहकारिता विभाग का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है जो लोग दस्तकार हैं वह अपनी सोसाइटियां बनाना चाहते हैं तो उनसे हमारे सहकारी विभाग की ओर से यह कह कर असमर्थता प्रकट की जाती है कि यह कार्य तो उद्योग विभाग का है और उद्योग विभाग सोसाइटियों को अपने सुपरवाइजर तथा अन्य स्टाफ देने में असमर्थ रहता है। नतीजा यह होता है कि उद्योग विभाग की ओर से जो सहायता कारीगरों को पहुंचनी चाहिये वह नहीं पहुंचने पाती। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह अपने विभाग के द्वारा औद्योगिक सोसाइटियों को संगठित करायें और सरकार के उद्योग विभाग से जो अनुदान और ऋण के रूप में धन मिलता है उसको पाने के सही अधिकारियों तक पहुंचाने में जनता के सहायक हों।

दूसरी बात मैं इस विभाग के कार्य संचालन के बारे में कहना आवश्यक समझता हूं। मुझे अपने जिले के अनुभव पर यह कहते हुए जरा भी झिझक नहीं होती कि इस विभाग के आय-व्ययक का हिसाब बड़ा गलत और गड़बड़ चलता है और उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता। मेरे जिले में इस विभाग के गैर सरकारी कार्यकर्ताओं ने एक लाख और ५३ हजार रुपये का गबन किया है और वह गबन वर्षों तक चलता रहा और इस विभाग के अधिकारी उसको पकड़ने में असमर्थ रहे। यही नहीं उन्हीं के द्वारा--एक ही यूनियन की बात मैं नहीं कह रहा हूं--हाउसिंग सोसाइटीज में भी वहां गबन चल रहे हैं। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के कर्मचारियों का हाथ है और उसका नतीजा यह है कि सरकारी आदमी कुछ यह समझ कर कि पूरी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उपेक्षा करते हैं, या यों कहिये कि यह संगठन पूरे तरीके से गैरसरकारी आदमियों के हाथ में नहीं है और सरकारी आदमियों की सहायता से कुछ गैरसरकारी लोग, जिनका प्रभुत्व इस विभाग पर रहता है, वह जनता के रुपये से खेल खेलते हैं और इस विभाग के कर्मचारी उस सदन को और उस पैसे के दुरुपयोग को रोकने में एक तरह से असमर्थ रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने भाषण में कहा भी है कि वह कोई स्पेशल आडिट विभाग स्थापित करने जा रहे हैं। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। इसी रुपये की गड़बड़ का नतीजा यह है कि लोगों का विश्वास इस विभाग से उठता जा रहा है। साथ ही मैं एक अनुरोध सरकार से और करना चाहता हूं कि मेरे जिले में जनता में सोसाइटियों को संगठित करने का उत्साह है लेकिन विभाग अपने सुपरवाइजर और दूसरे अधिकारियों को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ रहता है। एक साल लगातार कोशिश करने के बाद माननीय उपमंत्री महोदय की कृपा से मैं वहां की औद्योगिक सोसाइटियों को संगठित कराने के लिए एक सुपरवाइजर बमुश्किल तमाम पा सका। इसके अलावा सहकारी दूध संघ की बात माननीय उप मंत्री जी ने अपने भाषण में कही, इसकी ओर मैं अपने जिले के अधिकारियों का ध्यान वर्षों से दिलाता चला आ रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है और मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये पुनः बधाई देना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर गया है और सहकारी दूध संघ मुरादाबाद में स्थापित होने जा रहा है। इसकी मैं पूरी बधाई तो उसके आरम्भ होने पर दूंगा, क्योंकि मुझे संदेह है कि बजट

[श्री महीलाल]

में ही यह पैसा न रह जाय और यह कार्य रूप में परिणत न हो । मैं माननीय मंत्री महोदय को उनके कार्य के लिये पुनः बधाई देता हूं ।

श्री मंगला प्रसाद--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुदान कब तक चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--साढ़े तीन बजे तक ।

श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारी जनता की भलाई का कोई प्रगतिशील कार्यक्रम हो तो भी जिसको सरकार छू देती है वह सब का सब शक्तिहीन हो जाता है । हम सब लोगों को मालूम है जिस तरह से कविता में पारस पत्थर का जिक्र आया करता है कि वह लोहे को छू दे तो वह लोहा सोना हो जाता है , इसी तरह से गांव के लोग यह कहते हैं कि छंछूदर अगर अच्छे से अच्छे लोहे को छू दे तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है । ऐसे ही हमारी सरकार जिस काम को छू देती है वह बिलकुल शक्तिहीन हो जाता है । श्री महीलाल जी ने इस बात को थोड़ा सा बतलाया है । पंडित ब्रजविहारी मिश्र ने एक जिले का जिक्र किया और आपने बतलाया कि ७२ ईंटों के भट्ठे इस विभाग की ओर से आजमगढ़ जिले में चलाये जा रहे हैं, लेकिन आपने यह नहीं बतलाया कि उनमें कितने ऐसे हैं जिनमें गबन नहीं हुआ है । एक डी० सी० एफ० का भट्ठा आजमगढ़ जिले में है, जिसमें इस सरकार के सभी मंत्री जा चुके हैं । इस भट्ठे पर एक लाख ईंट पर २५-३० टन कोयला खर्च हुआ है और इस दुरुपयोग को बिल्कुल साबित भी कर दिया गया, डी०सी० एफ० की मीटिंग में कि फलां फलां आदमी अपने घर ईंटें ढोकर ले गये जिसमें डी० सी० एफ० का उन ईंटों पर नम्बर भी पड़ा है और मकान बनाये हैं । लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई , उन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ।

पंडित ब्रजविहारी मिश्र एक भट्ठे के अध्यक्ष हैं । मेरा भी सम्पर्क उनके सेक्रेटरी साहब से है । मैं उनके सेक्रेटरी महोदय की तारीफ जरूर करता हूं । लेकिन यह सोसाइटी जब उनके हाथ में आयी, मैं जानता हूं कि तब उस कोआपरेटिव सोसायटी पर १० हजार रुपया कर्जा था और वह इस भट्ठे से पूरा कर रहे हैं । उनके भट्ठे का हिसाब लेकर मैंने एक हिसाब माननीय बनारसीदास जी को दिया था । उस हिसाब से मैंने साबित कर दिया था कि १५ रुपये प्रति हजार ईंटों की लागत है, उस हिसाब में सब बाकायदा ढुलाई, पथाई और सूद वगैरा का खर्च लगा लिया गया था और सब मिलाकर १५ रुपये प्रति हजार की लागत आती है । आज भी कोआपरेटिव सोसायटी के भट्ठों पर ईंटें २४,२५,२७ रुपये प्रति हजार बेची जा रही हैं । श्रीमन्, कोआपरेटिव सोसाइटी का एक ही काम नहीं है कि वह मुनाफा कमाये बल्कि मैं समझता हूं कि उसका कर्त्तव्य होना चाहिये कि जितना सस्ता हो सके थोड़े मुनाफे पर लोगों की जरूरत को पूरा किया जाय । मगर उस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है । मनमाना जितना हो सके उतना मुनाफा लिया जाय, यह तरकीब वहां पर लगायी जाती है । उस मुनाफे को लेकर जो शेयरर हैं उनमें बांट दिया जाय । यह भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं बता सकता है कि उचित मूल्य जो बचत का है उसके शेयर में जोड़ा गया । एक भट्ठे का मैंने आपको बताया कि जिसका काम इमानदारी से होता है । वहां पर भी १० हजार रुपया कर्जा हो गया था और वे नये मंत्री अब उसको पूरा कर रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि शेयररों को भी इससे मुनाफा नहीं हो रहा है जो खरीदारों से लिया जाता है । होता क्या है ? होता यह है कि सहकारी संघ सरकारी कर्मचारियों का चरागाह है । जब रुपये की जरूरत पड़ी तो वहीं से लिया जाता है चाहे वह माननीय मंत्री जी के आने के बारे में या किसी के बारे में हो, आज कोआपरेटिव सोसाइटी को सरकारी अधिकारियों ने अपना चरागाह मान लिया है । यह बजट जो आज हमारे सामने है उसमें एक मद को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गये । अभी तो किसान पानी मिलाकर दूध पिलाता था लोगों को, लेकिन अब इस कोआपरेटिव सोसाइटी के सुपरवाइजर और दूसरे कर्मचारी जो वहां पर काम करेंगे वह मक्खन निकाल कर दूध में पानी मिला कर लोगों को पिलायेंगे । यह सहकारी संघ की हालत है ।

पंडित जी ने बतलाया कि आजमगढ़ में ७२ भट्ठे चल रहे हैं। बहुत सोसायटी ऐसी भी होंगी जो भट्ठे नहीं चलाती होंगी सबको मिलाकर सैकड़ों होंगी, लेकिन उनमें ऐसी सोसायटी ७५ फीसदी हैं जिनके कर्मचारियों ने गबन किया है और बहुत से कर्मचारी गबन में पकड़े गये हैं। उनके सम्बन्ध में इस हाउस में सवाल पूछा गया है। सरकार ने क़बूल किया है, मगर वे कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं और अगर निकाले गये हैं तो वे बगल में ही दूसरी तिजारत खोल करके काम कर रहे हैं। इसलिये जितने भी ये सहकारी विभाग के कर्मचारी हैं वह सब जनता के पैसे को लूट रहे हैं। यही विरोधी दल के लोग सहकारिता के नाम पर वोट मांगते थे, लेकिन अब इनकी जबान पर ताला लग गया है। क्योंकि सहकारिता के नाम पर आज गांव के लोग यह कहते हैं कि यह वही लोग हैं जो रुपया इकट्ठा करके खा पी जाते हैं इससे हम लोग भी बहुत परेशान हो गये हैं

श्रीमन्, मेरे इतना कहने के बाद मंत्री जी तथा सरकार का कर्त्तव्य है कि इस हाउस के मेम्बरों की एक इन्क्वायरी कमेटी बिठायें जो इस बात का पता लगाये कि ये ७५ फीसदी कोआपरेटिव सोसाइटी पब्लिक का पैसा खा रही है या नहीं। आप पहले इसकी जांच करायें कि यह जो गबन हो रहा है और रोज हो रहा है वह क्यों हो रहा है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के अनुदान पर आज मुझे बोलते हुए बड़ी प्रसन्नता है और उसका कारण यह है कि सहकारिता का हमारी जरूरतों में, हमारी कृषि की उन्नति में, हमारे गांवों की उन्नति और प्रसार में उसका बड़ा भारी सम्बन्ध है और सम्बन्ध ही नहीं बल्कि हम यह कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक उन्नति में एक बड़ा भारी आधार है। हमारे प्रान्त में जो कुछ भी सहकारिता के नाम पर किया गया है इसमें सन्देह नहीं कि हम लोग उस पर गर्व कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमें अपने प्रान्त की और अपने प्रान्त के किसानों की हालत ठीक करना है। यदि हम कृषि की हालत को ऊपर उठाना चाहते हैं तो सहकारिता के क्षेत्र में इसको आधार मानकर बहुत कुछ करना है। जब हम पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि भारतवर्ष के अन्दर जितनी भी कृषि की व्यवस्था होगी सहकारिता के आधार पर ही आधारित होगी। यदि हमको अपने प्रांत के किसानों को और अपने प्रांत को सहकारिता के आधार पर स्थापित करके उनको समाजवाद की तरफ ले जाना है तो हमको अपनी इस सहकारिता की ओर ही देखना होगा कि वहां के किसानों की दशा और उनकी कृषि का प्रोडेक्शन किस तरह से बढ़ सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे इस विभाग के जो अधिकारी हैं उनके मस्तिष्क में यह बात नहीं बैठ रही है कि सहकारिता के आधार पर किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से हमारे प्रांत में कृषि की हालत, किसानों की माली हालत ऊपर उठायी जा सकती है, किस प्रकार से खेती की पैदावार प्रति एकड़ बढ़ायी जा सकती है। अब प्रश्न हमारे सामने यह आ जाता है कि कोई भी तरीका अपनाया जाय उससे कृषि व्यवस्था की तरक्की होनी चाहिये जिसके द्वारा किसानों को अच्छा बीज दिया जाय, अच्छी खाद दी जाय और अच्छे इम्प्लीमेंट्स दिये जायं।

इसमें संदेह नहीं कि महाजनों को आपने खत्म कर दिया है, प्रदेश से उनको निकाल दिया है और अब लोगों को कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा ऋण दिया जाने लगा है। यह तो ठीक है लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज का गांव में काम क्या है इसकी ओर अभी पूरी तौर से बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है। यह बड़े दुःख की बात है कि सहकारिता को हमारे प्रांत में उसके सच्चे रूप में नहीं अपनाया गया है और जब तक जनता उसको सही रूप में नहीं अपनायेगी तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। कृषि के क्षेत्र में अच्छे बीज का प्रबंध करना, इम्प्लीमेंट्स का प्रबंध करना, पानी की व्यवस्था करना यह सब कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्तर्गत ही आता है। इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही गांवों में अच्छी कृषि व्यवस्था को लाना होगा, कृषि व्यवस्था के स्वरूप को आगामी पंचवर्षीय योजना में हमें सुधारना है। कोआपरेटिव सोसाइटीज को कृषि सोसाइटीज का रूप देना है। उसके द्वारा हमें गांवों में नया

[श्री शिवकुमार शर्मा]

जीवन पैदा करना है और जनता को शिक्षित करके लोकजागरण पैदा करना है। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है इस ओर तो कुछ ध्यान दिया भी गया है लेकिन गांवों में उद्योग धंधे के बारे में सहकारिता विभाग की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उद्योग धंधों का कोना बिलकुल अछूता ही है। अतः हमारा यह ध्यान होना चाहिये कि हमें कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों को भी लेकर आगे बढ़ना है। यदि हम गांवों की सच्चे अर्थ में उन्नति करना चाहते हैं तो कृषि के साथ उद्योग धंधों को लेकर ही हम अग्रसर हो सकते हैं।

हमें उत्तर प्रदेश में ऐसी मिसाल पैदा करना है कि दूसरे लोग भी उसकी कापी कर सकें। बिजनौर में जब जब केवल कृषि के आधार पर सहकारिता के प्रयोग किये गये तब तब हम असफल रहे हैं। मैं आखिर जानना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम सहकारिता के बारे में जनजागरण नहीं कर पाये हैं। दूसरा कारण इसका यह है कि जो लोग सहकारिता के अन्दर घुसे हुए हैं उनको स्वयं इस सहकारिता पर विश्वास नहीं है। वे कैपेटलिस्टिक मनोवृत्ति में पले हुए हैं और उसी पर विश्वास करते हैं और हर चीज में वे अधिक से अधिक मुनाफे की खोज करते हैं। वे चाहते हैं कि मुनाफे में अधिक से अधिक वृद्धि की जाय और उसको बांट दिया जाय। इस सिद्धांत को लेकर सहकारिता कैसे पनप सकती है? अगर हम सच्चे अर्थों में सहकारिता को बढ़ाना चाहते हैं, सोशलिस्टिक पेटर्न पर देश को ले जाना चाहते हैं तो हमको इस मनोवृत्ति को लेकर नहीं चलना है। अगर हमें सहकारिता को बढ़ाना है तो हमें अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यह समझाना होगा कि सहकारिता को कामयाब बनाने के लिये हमें जनजागरण करना होगा, बीज भंडार खोलने होंगे, अच्छे इम्प्लीमेंट्स किसानों को बांटना होंगे और इस प्रकार से जो कृषि व्यवस्था होगी वह सहकारिता पर आश्रित रहेगी। जिसमें सोसाइटीज को अधिक महत्व दिया जायगा और उसमें रह कर सब लोग सहयोग से काम करेंगे। उनके लिये छोटी छोटी कृषि समितियां कायम करनी होंगी और उन कृषि समितियों के आधार पर हमें खेती को अपनाना होगा। इस प्रकार से गांव का ज्वाइंट मैनेजमेंट होगा और मुनाफे का हिस्सा बांट कर आपसी सहयोग के तौर पर काम करना होगा। एक पंचवर्षीय योजना तो समाप्त होने जा रही है लेकिन अभी तक कोई रूपरेखा कृषि सहकारिता की तैयार नहीं हुई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना आ रही है उसमें इस आधार पर हमें रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिये और अधिकारियों को उसके अनुसार चलाने का प्रयत्न करना चाहिये। जहां तक उद्योगों की बात है इस क्षेत्र में तो अभी कुछ किया ही नहीं गया, इस क्षेत्र में अभी सहकारिता का नाम भी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि सहकारिता के आधार पर टैक्सटाइल इंडस्ट्री खोली जाय, मैं यह भी नहीं कहता कि शुगर इंडस्ट्रीज खोली जायं मैं यह भी नहीं कहता हूं कि आप बड़े उद्योगों की तरफ जायं लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप सहकारिता की बात सोचें और ग्रामीण क्षेत्रों में उतरें तो मालूम होगा कि वहां अभी भी बहुत सा मैदान खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिये कौन प्रयत्न करे।

*श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने माननीय मंत्री महोदय को हृदय से बधाई देता हूं क्योंकि जब से यह सहकारी विभाग उनके अधिकार में आया तब से दिन प्रति दिन इतनी अधिक उन्नति हुई है इसके प्रत्येक कार्य में जो कि हमें इन तीन साल के पूर्व के वर्षों में नहीं दिखलायी दी। अभी हमारे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने कहा भट्ठों के बारे में। क्या श्रीमन् जी, मुझे यह बतलायेंगे कि जहां आपने १५ रु० हजार ईंट का प्रश्न किया, कितना आपने उन भट्ठों वालों को सहयोग दिया और कितना आपने उन कर्मचारियों को सहयोग दिया कि दूसरे भट्ठे वाले भी १५ रुपये हजार ही ईंट बेंचें? क्या विरोधी दल वाले केवल विरोध करना ही चाहते हैं, क्या केवल उन कर्मचारियों पर दोषारोपण करना ही जानते हैं?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उमाशंकर—१५ रु० हजार उसकी लागत है।

श्री हरिसिंह—क्या वे सारे कर्मचारी बेईमान हैं, क्या वे हमारे भाई नहीं हैं, क्या वे हमारे साथी नहीं हैं, मैंने माना कि गबन होता है लेकिन वह गबन कौन करता है? क्या आप किसी विभाग के बारे में बतला सकते हैं कि वहां किसी वक्त किसी एक गरीब मजदूर ने गबन किया है? वे सब आपके ही साथी जो सरमायेदार हैं वे ही गबन करना जानते हैं और वे गबन करते हैं। किसी भी किसान मजदूर को आप नहीं बतला सकते हैं कि उसने गबन किया है। आप उनके ऊपर बेकार दोषारोपण करते हैं। सहकारिता वह चीज है जिसके द्वारा अपना देश स्वावलम्बी बन सकता है और सहकारिता से आपकी पंचवर्षीय योजना सफल हो सकती है। जो आज सहकारिता द्वारा गांव गांव में सड़कें बनी हैं उसमें भी सहयोग किसानों और मजदूरों ने ही दिया, आपने नहीं दिया। आप तो केवल विरोध करना जानते हैं और कर्मचारियों पर दोषारोपण करना जानते हैं। मेरे यहां भी सहकारिता द्वारा भट्ठे चलते हैं, आप जाकर देखें कि उन भट्ठों में कितना मुनाफा है। माना कि कमी होती है लेकिन बजाय इसके कि हम उसके लिये किसी को दोष दें, हमें चाहिये कि उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें ताकि वह कमी आयन्दा न होने पावे। यह नहीं कि बराबर केवल दोषारोपण ही करते रहें।

मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से सुझाव के रूप में यह बिनती करना चाहता हूं कि यह जो मकानों की व्यवस्था का प्रश्न आया है, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि आप जो ये मकान बनवायेंगे वे किसानों के लिये बनवायेंगे, मजदूरों के लिये बनवायेंगे या उन्हीं सरमायेदारों के लिये ही बनवायेंगे जिनके लिये हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य कहते हैं? क्योंकि जब आप ८ हजार रुपये तक कर्ज देंगे और उसका सूद है ५ प्रतिशत तो इसका माने यह हुआ कि ८ हजार रुपया का सूद हुआ ४०० रु० साल यानी प्रति माह ३३ रु० ५ आ० ३ पाई। तो एक किसान या मजदूर जो अपना मकान बनायेगा वह गरीब मजदूर और किसान को जिन्दगी भर सूद ही देता रहेगा और वह रुपये की अदायगी नहीं कर सकेगा। जब मैंने हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि यह मामला तो बनिये से भी आगे बढ़ गया। चूंकि हिन्दुस्तान में आज तक सूद की व्यवस्था से कोई लाभ नहीं दिखायी दिया है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस किस्म के कर्जे के लिये तो कोई भी सूद न होना चाहिये। सूद की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर होनी चाहिये और यदि सूद लिया भी जाय तो वह २ प्रतिशत से अधिक न हो। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि जितने कोआपरेटिव बैंक हैं उन सब में सरमायेदारों का ही हाथ है, एक भी किसान या मजदूर इन बैंकों में नहीं है जिससे उनका सुधार हो और वह रुपया गरीब मजदूर या किसानों में वितरित किया जाय। इस तरह से कोआपरेटिव बैंकों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। जहां तक दस्तकारी का प्रश्न है हम जानते हैं कि उद्योग विभाग बहुत देर लगाता है और सहकारी विभाग में बहुत जल्द रजिस्ट्री हो जाती है और इंडस्ट्री विभाग में सालों गुजर जाते हैं और रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, मेरठ में जुलाहों की सोसाइटी बनी लेकिन उसकी आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई दो साल हो गये। इसलिये मैं समझता हूं कि सहकारी विभाग के द्वारा ही अगर इन सोसाइटियों को कर्जा मिला करे तो ठीक होगा।

जहां तक दुग्ध संघों का प्रश्न है उनमें भी गरीब लोग दूध लाते हैं और वही दूध लाकर वहां बेंच जाते हैं। उस में भी जहां सारा काम वह गरीब लोग करते हैं, बड़े बड़े घरों के लोग शामिल हो गये हैं बजाय इसके कि उन गरीब दूधियों को उस में शामिल किया जाता। कहा जाता है कि वह दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं और मक्खन निकला दूध बेचते हैं। आपको मालूम नहीं है कि इन कर्मचारी लोगों की क्या दशा है। क्या वह दूध से मक्खन नहीं निकाल लेते हैं और क्या वह जनता को धोखा नहीं देते हैं, क्या वह असली दूध देते हैं? इसलिये मैं चाहूंगा कि दूधियों को भी उसमें शामिल किया जाय और उन गरीबों को भी उस से लाभ पहुंचना चाहिये। यह कोई समाजवाद का प्रचार नहीं है कि उनको शामिल न किया जाय और शहर के बड़े बड़े लोग ही दुग्ध संघ का फायदा उठाये जायं। आप उन्हीं की सोसाइटी

[श्री हरिसिंह]

बनावें जो दूध वाले हैं ताकि उनको भी रोजगार मिले और सही मानों में कोआपरेटिव का काम हो। वह आप के ही भाई बन्द हैं आप उन्हीं को दोषी ठहराइये। आपने कभी किसी गरीब के लिये भी सोसाइटी बनाने की दरख्वास्त दी ?

भट्ठों की सोसाइटी और यूनियनों के द्वारा वाकई गरीबों को सही और उचित लाभ पहुंचता है वर्ना उनको वह भी न मिलता। उसका पैसा उन्हीं गरीबों को बांटा जाता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन गरीबों का ख्याल कर के आप इन गरीबों के द्वारा ही भट्ठे चलवायें और इस तरह से किसान मजदूर का भला करें और उनका साथ दें। यही सच्चा समाजवाद होगा, जिसके लिये लोग चिल्लाते हैं।

श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन में उपस्थित किया गया है उसका समर्थन करते हुए पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जबसे जमींदारी प्रथा का विनाश हुआ तभी से महाजनी प्रथा भी अपने आप समाप्त होती जाती है और जहां किसान को जमींदारों के खत्म हो जाने से राहत मिली वहां उस के सामने अब एक दूसरी समस्या है कि किसानी के काम के लिये जो पैसे की आवश्यकता होती है वह पैसा उसको कहां से मिले। उसका अब एक ही इलाज नजर में आता है और वह है कोआपरेटिव सोसाइटियां। अगर सूबे में कोआपरेटिव सोसाइटीज न रहें तो किसान को बड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, किसानी के लिये जिन चीजों की जरूरत होती है जैसे बीज, खाद, औजार और खेती को समुन्नत बनाने के दूसरे सामान, उनके लिये उसको पैसा चाहिये। इसमें शक नहीं कि हमारे सूबे की सहकारिता में पिछले दो ढाई सालों में जो तरक्की हुई है उसको ईमानदारी से अगर देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि यह किसानों के लिये बहुत राहत पहुंचाने वाला महकमा साबित हुआ है। सहकारी समिति के द्वारा वक्त जरूरत उसको अपने कामों के लिये पैसा मिल जाता है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कोआपरेटिव सोसाइटीज का ऐक्ट है वह कुछ दूषित है लोगों को रुपया बड़ी कठिनाई से मिलता है और जब वसूल होता है उस समय भी किसान को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है।

कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में ऐसा संशोधन होना चाहिये जिससे किसान को जरूरत के वक्त आसानी से रुपया मिल जाया करे और जब उसके पास रुपया देने के वास्ते हो और उसकी फसल तैयार हो जाय तभी उससे लिया जाया करे तथा उस वक्त उसको परेशान न किया जाय जब उसकी फसल तैयार न हो।

कुछ भट्ठों का भी जिक्र किया गया और विरोधी दल की ओर से आवाज आयी कि कोआपरेटिव के भट्टों में बहुत भ्रष्टाचार होता है, यह बात सत्य से दूर है। किसी किसी में हो सकता है लेकिन जब उन्होंने यह कहा कि १५ रुपये में ईंटें बनती हैं तो मुझे ताज्जुब हुआ। हो सकता है कहीं बनती हों लेकिन तभी बन सकती हैं जब गरीब मजदूरों का गला काटा जाय और जब पूरे पैसे दिये जाते हैं तो १५ रुपयों में ईंटें नहीं बन सकती हैं। उसके साथ ही साथ वह यह भूल गये कि ईंटें कागजी हिसाब से नहीं बना करतीं। वह तो कुदरत के नियमों पर बनती हैं। अगर कहीं पानी बरस जाता है तो नहीं बन पातीं या आग ठीक से न लगी तो नहीं बनेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के साथी तो कोआपरेटिव के भट्ठों से इतने नाराज हो गये हैं कि अब कोआपरेटिव के नाम से चिढ़ने लगे हैं और वह पनाह मांगने लगे व्यक्तिगत भट्ठों की, और कोआपरेटिव की तरफ देखने से भी भागने लगे। लेकिन मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि इस तरह के कामों में हिम्मत के साथ मर्दानगी से काम लें और बतायें कि सचमुच कहां बेईमानी है और अगर वे उसको दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि स्वयं ईमानदारी की तरफ बढ़ें केवल कोसने से कोई संस्था दुरुस्त नहीं हुआ करती।

इन शब्दों के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इन भट्ठों का काम चलाने वालों को अक्सर कठिनाइयां पड़ती हैं और वह कठिनाइयां हैं अव्वल तो वक्त पर कोयला नहीं मिलता। आप ऐसा उपाय करें कि कोयले की कमी न पड़े। कभी यह भी होता है

कि वैगन्स की कमी के कारण कोयला उस वक्त मिलता है जब उनके पास पैसा नहीं होता है और एक बड़ी शिकायत जो कोआपरेटिव के भट्ठेवालों की है वह यह है कि पी०डब्ल्यू०डी० के लोग जितनी ईंटें खरीदते हैं वह कोआपरेटिव के भट्ठों से ईंट लेना बराया करते हैं अभी मैंने देखा कि ग्रांड ट्रंक रोड और दूसरे मार्गों के किनारे खड़ंजे लगे हैं। वह ईंटें जो ली जाती है वह आम तौर से प्राइवेट भट्ठों से ली जाती हैं और कोआपरेटिव भट्ठों से ईंटें लेने में उनको आनाकानी होती है। तो मुझे शक होता है और यही कहना पड़ता है कि "कोई माशूक है इस परदये जंगारी में"। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मैं एक निवेदन तो पहले ही कर देना चाहता हूं कि हमारी ओर से यदि कोई वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला जाता है तो सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं कि हमारे इंटेंशन पर अटैक, भावना पर आक्रमण हो रहा है और इतनी देर से मैं इस सदन में सरकारी पक्ष के लोगों का भाषण सुन रहा हूं कि एक साहब तो यहां तक कह गये कि विरोधी पक्ष के कुछ लोगों के भट्ठे हैं निजी, इसलिये इस तरह के भावों को व्यक्त किया जा रहा है। मैंने इसका हवाला केवल इसलिये दे दिया कि भाई अगर औरों के लिये झूठ बातें कहो तो दूसरों के सत्य को सुनने के लिये तैयार भी रहो। बस इतना ही निवेदन करूंगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंगलाप्रसाद जी, जहां तक कि उनकी कर्मठता उनकी उदारता और उनकी और तमाम बातों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उनमें वे गुण विद्यमान हैं। लेकिन मैं मंगला प्रसाद जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि कोआपरेटिव के विकास को वह किस माने में देख रहे हैं। केवल कुछ कोआपरेटिव सोसाइटियां बढ़ गयी या कुछ वर्किंग कैपिटल बढ़ गया इसी से जो सहयोगी आंदोलन है उसकी सफलता देखना चाहते हैं या उसमें कोई मौलिक परिवर्तन उन्होंने अपने तीन साल के जीवन काल में किया है। हमने जहां तक देखा है कि कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो पाया। इतने सालों के कोआपरेटिव आंदोलन के बाद भी जब जनता में स्वतः प्रेरणा न हो और जनता स्वयं सहयोग ढंग पर कारबार चलाने की इच्छा लेकर न आये तो इसको हम सब को मान लेना चाहिये कि इस आंदोलन में हम फेल हुए हैं। यदि इस बात को भी न माना जाय तो मैं यही कहूंगा कि केवल एक हठवादिता का परिचय दिया जा रहा है। अब भी हमें मालूम है कि जहां पर सही तरीके से सहयोगी भाव को चला कर लोग काम को चलाना चाहते हैं वहां पर मदद नहीं मिलती और ऊपर से जो एक लढ़ी है उसी में कड़ी पिरो कर चलने की बात होती है तो चाहे संगठन के रूप में, चाहे सलाह के रूप में, कहीं कहीं मदद मिल भी जाती है। इस बात को मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। मिर्जापुर के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं। वहां पर अदलपुरा में चमारों की बस्ती है। उनको कुछ काम नहीं रह गया था। उन सब चमारों ने फैसला किया कि हम ईंटें पाथ कर काम चलायेंगे। उन्होंने ईंटें पाथना शुरू कर दीं और ईंटों के भट्ठे भी लगाये। लेकिन साल भर लिखते लिखते मैं खुद परेशान हो गया वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को लेकिन किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली और जब वहां मैं गया तो उन लोगों से पूछा कि यह काम छोड़ क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने इसलिये छोड़ दिया कि हमें कोई सहायता नहीं मिली। आप देखेंगे कि पिछले तीन साल से बराबर कोआपरेटिव के सम्बन्ध में इस सदन में वादविवाद हुआ है यदि उसको देखा जाय तो किस मानी में सुधार हुआ है। दो आने की कटौती जो गन्ने की कोआपरेटिव के जरिये हुई थी यह पैसा किसानों का था उनको वापस होना चाहिये था, लेकिन माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं क्या उस पैसे की वापसी हुई?

श्री मंगला प्रसाद--इससे क्या इसका मतलब है?

श्री राजनारायण--वह भी कोआपरेटिव का मूवमेंट था। केन कोआपरेटिव एसोसियेशन के जरिये ही उसकी कटौती हुई।

श्री मंगला प्रसाद--उसका सम्बन्ध तो केन डिपार्टमेंट से है।

श्री राजनारायण—कोई न कोई बात तो कही ही जा सकती है कि फलां डिपार्टमेंट में चला गया, फलां डिपार्टमेंट में चला गया, बहुत सी शाखायें हैं लेकिन आपका भी तो कोई सम्बन्ध है उससे। १६ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से खेतिहरों को सहायता देने के लिये मिलना था तो वह रुपया क्यों नहीं लिया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतला सकते हैं कि तमाम केन्द्रीय तथा प्रांतीय कमेटियों ने साढ़े ४ और ६ परसेंट सूद पर किसानों को कर्जा देने की सिफारिश की मगर आज भी ९ १/२ प्रतिशत सूद लिया जाता है। अन्य प्रांतों के आंकड़े पेश किये गये। छोटे छोटे सूबे हैं जहां साढ़े ४ और ६ परसेंट का सूद कोआपरेटिव्ज लेती हैं लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है वह ९ १/२ परसेंट सूद लेता है तो यह साढ़े ४ और ६ परसेंट बहुत नीचा है, कब तक उस पर लायेंगे?

श्री मंगला प्रसाद—बहुत जल्द।

श्री राजनारायण—माननीय मंगला प्रसाद जी ने अपने पहले भाषण में कहा था, उसकी ओर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कोआपरेटिव्ज की नियमावली में बहुत कुछ खामियां हैं, उनको सुधारने की बात वे सोच रहे हैं लेकिन तीन साल का जीवन व्यतीत हो गया वे कमियां और खामियां और मजबूती के साथ जड़ पकड़ती चली जा रही हैं? तो फिर किस मानी में कहा जाता है कि हमने सोशलिज्म पेटर्न आफ सोसाइटी को विकसित किया है? कहीं कोआपरेटिव का विकास नहीं हुआ, आप केवल प्रवंचना कर लें। मैं भी जानना चाहूंगा कि यहां पर कौन से लोग निजी भट्ठों को चलाने के पक्ष में बोल रहे हैं, कौन चाहते हैं कि कोआपरेटिव न विकसित हो और कोआपरेटिव आंदोलन को अगर कोई विकसित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे तो क्या क्या करे? कोआपरेटिव का आइडिया (आदर्श) क्या है? उस आदर्श, आइडिये पर हमें जाना चाहिये। कोआपरेटिव का मूल मतलब होना चाहिये कि आज जितने उद्योग धंधे निजी पूंजीपतियों के हाथ में हैं, और एक पूंजीपति के हाथ में काफी पैसा है इसलिये वह उद्योग धंधे चला सकता है, तो उस उद्योग धंधे को समाज के हाथ में लेने के लिये यह कोआपरेटिव आंदोलन एक साधन है यानी बहुत से लोग जो एक काम करने के लिये पैसा नहीं रख पाते अगर वह सौ आदमी, ५० आदमी या १० आदमी मिल कर थोड़ा थोड़ा करके उसमें कांट्रीब्यूट करें और किसी भी उद्योग को, किसी भी रोजगार को अपने उस इकट्ठा किये हुए पैसे से चला सकें तो यही कोआपरेटिव आंदोलन है। मैं अब यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कितने नये पेशे इस तरह से उन्होंने चलाये कोआपरेटिव के जरिये से? चाहे वह खेती हो या बुनाई हो या और कोई काम हो, लेकिन ऐसे कितने नये काम शुरू किये गये? एक आंकड़ा उन्होंने दिया है नलकूपों का कि नलकूप कोआपरेटिव के जरिये बने मगर उन सब नलकूपों को धीरे धीरे सरकार ले रही है। आपकी रिपोर्ट यह कहती है कि नलकूप कोआपरेटिव के जरिये बने लेकिन उन सब को सरकार अपने हाथ में ले रही है। क्यों ले रही है? कोआपरेटिव अपनी तरफ से नलकूप खुदवाये और बनवाये और उसके बाद में सरकार ले ले? आज भी मैं मंगला प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि किसी जगह चले जायें और जो प्रोडेक्टिव काम है कोआपरेटिव के हाथ में, वहां चल कर देखें कि वहां के मजदूर की क्या हालत है।

ईंट के भट्ठे को ही ले लीजिये। क्या आज वहां पर, कोआपरेटिव के भट्ठों पर मजदूर की हालत अच्छी है? उसको क्या मजदूरी अच्छी मिलती है? या उसके काम करने के हालात अच्छे हैं? अगर हालत अच्छी होगी तभी तो वे समझेंगे कि कोआपरेटिव भली चीज है। मगर जब उसमें कोई सहूलियत उनको नहीं है, कोई अच्छाई उनके लिये उसमें नहीं है तो वह कोआपरेटिव को अच्छा कैसे समझेंगे? और जब हम यह तर्क देंगे तो मंगला प्रसाद जी कह देंगे कि यह तो जरूरी हो गया था भट्ठों को चलाने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें।

श्री राजनारायण—तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा माननीय मंगला प्रसाद जी से कि वह जरा मौलिक बातों को देखें। एक उदाहरण आजमगढ़ जिले का मैं दूं। एक साहब हैं

सुखदेव जी, सराय रानी के ईमानदार आदमी हैं। कोआपरेटिव के अफसर कहते हैं कि ईमानदार हैं, सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि ईमानदार हैं मगर इन लोगों के उनको ईमानदारी की सनद देने के बावजूद भी आज उनको मुअत्तल किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है ? इसलिये कि वह सारी की सारी पुरानी खामियां और गबन को और गड़बड़ी को दोहराना नहीं चाहता है। पुरानी गड़बड़ियों को पकड़ना चाहता है, इसीलिये वहां की यूनियन तोड़ी जा रही है। हर जगह यही जाल बट्टा कोआपरेटिव मूवमेंट में हुआ है। अगर माननीय मंगला प्रसाद जी इस सदन में केवल आंकड़े बतला कर और इधर उधर की बातें करके यह समझें कि हमने सही मानों में सहयोगात्मक भाव पैदा किया है तो मैं समझता हूं कि वह भ्रम में हैं। मैं इतना ही निवेदन करके उनसे यह आग्रह करूंगा कि शुरू में जब उन्होंने यह विभाग सम्हाला था और उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था उसी के भाव को पूर्ण करने के ख्याल से यदि वह काम करें तो ज्यादा अच्छा हो।

*श्री मंगला प्रसाद—मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और उसके बाद मुझे उससे जो बल मिला उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय उमाशंकर जी को बहुत जोर के साथ शिकायत हुई। मुझे खेद है कि उनको ऐसा मौका हुआ लेकिन मैं उमाशंकर जी के बहुत निकट हूं और आज तक उन्होंने कभी भी मुझसे किसी एक भट्ठे के बारे में या किसी भट्ठे के बारे में इस तरह की बात नहीं बतलायी। पहले मैंने जब भट्ठे का जिक्र किया था तो उस वक्त कहा था कि यह ज्यादातर भट्टे अच्छे चल रहे हैं लेकिन कुछ भट्ठे ऐसे हैं कि जो खराब हालत पर चल रहे हैं और जिसका एक का उदाहरण उन्होंने दिया। जब मैं वहां जाता हूं तो उनको देखने की कोशिश करता हूं और बहुत जगह मैंने इसको गिरफ्तार किया कि एक ही जिले में एक, दो भट्ठे ऐसे हैं जिसमें २२,२५,२३, टन खर्च होता है और उसी जिले में ऐसे भट्ठे हैं जिसमें १८, १९ टन खर्च होता है। कायदे से जो सर्कुलर है वह यह है कि १८ टन खर्च होना चाहिये। लेकिन नये भट्ठे में ज्यादा लग जाता है, कहीं अगर जमीन गीली होती है तो कुछ ज्यादा खर्च हो जाता है। इस तरह शुरू में होता है लेकिन आम तौर से १८,१९ टन के बीच में होना चाहिये तभी सही माना जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि और यह दरख्वास्त भी करूंगा कि यदि उनकी जानकारी में २,४,६ भट्ठे या ७२ में से कुछ के बारे में अगर वह मुझको जानकारी करायेंगे तो मैं जरूर जांच करूंगा। किसी जिले में किसी जगह अगर हमको यह मालूम हो जाता है कि वहां पर ज्यादती होती है तो मैं उसकी जांच करने की कोशिश करता हूं और जहां मैं स्वयं जाता हूं तो चीजें देखने की कोशिश करता हूं, बीज भंडार को खुलवा कर देखता हूं और ऐसी जगहें देखता हूं जहां लोग सोच नहीं सकते। तो उनका यह ख्याल कि ७२ भट्ठे सभी खराब हैं, आजमगढ़ के एक, दो, चार भट्ठों के तजुर्बे से सूबे के हर भट्ठे को खराब कह देना ठीक नहीं है। थोड़ा चरिटी का बर्ताव होना चाहिये हमारे साथ। श्री रामनारायण जी, बड़ी खुशी है आखिरी वक्त वह भी आ गये और उन्होंने भी कुछ कहा, पहली शिकायत जो उन्होंने मुझसे पहले भी कही थी और आज रामनारायण जी ने रख दी, उसके सिलसिले में कहना चाहता हूं कि चुनाव हुआ था बनारस में उस चुनाव की पेटीशन दाखिल हुई उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ मैंने पूछा तो आज मुझे मालूम हुआ वहां के जो कायदे कानून हैं उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर है वही हो सकता है। एक जगह लिखा हुआ है कि डायरेक्टर नहीं है वह भी हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है। तो उसको बनारस में न रख करके वह आजमगढ़ के डी०सी०ओ० या असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कोई हों.....

श्री रामनारायण—आजमगढ़ नहीं बस्ती।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मंगला प्रसाद—खैर, उनके पास भेज दी गयी है और उसकी २३ तारीख मुकर्रर हुई है और यह हमारी तरफ से आदेश हो गया है कि २३ तारीख को उसका फैसला कर दें। आगे उसको न टालें और जैसा राजनारायण जी ने कहा कि डायरेक्टर न होने पर कोई आदमी अगर चुन लिया जाय तो गलत होगा। अगर उसके रूल्स में कुछ नहीं है, जैसा उन्होंने बतलाया था तो वाजिब मालूम होता है, लेकिन वह चूंकि हमारे पास नहीं हैं इसलिये इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो सही बात होगी वह फैसला करने वाला करेगा।

मुझे महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने यह कहा कि एक बैंक का खोलना आवश्यक है टेहरी-गढ़वाल में। हम उस पर सोच रहे हैं और शायद बहुत जल्दी एक बैंक को टेहरी-गढ़वाल में खोल सकेंगे। वहां पर कोआपरेटिव का काम बहुत कम रहा है और नम्बर भी कम है। हम जब बैंक खोलेंगे तो उसके लिये काम होना चाहिये। इसलिये हमारी यह भी कोशिश होगी कि काफी वहां पर जोरों से काम किया जाय, जिससे सोसाइटीज ज्यादा बनें और बैंक के लिये काफी काम हो जाय और जो कमी है उसमें प्रगति हो। हिल के बारे में काफी कहता हूं और करने के लिये भी तैयार रहता हूं। वहां चन्द ही काम होते हैं। एक तो हर्बस का काम काफी हो सकता है, बढ़ाने की गुंजाइश है और उसका काम सब जगह हो सकता है। दूसरे फ्रूट प्रिजरवेशन का काम हो सकता है और उसका वितरण चारों तरफ हो सकता है। कुछ लकड़ी का काम हो सकता है कोआपरेटिव ढंग से। आज चन्द आदमियों के हाथ में लकड़ी का काम है सूबे भर का अगर वह चन्द आदमियों के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में पहुंच जाय तो शायद काफी लोगों को लाभ हो सकेगा और काफी जनता का फायदा होगा।

मैं यह बताऊं आपको कि जो ब्रिक किल्न्स हैं, जो भट्ठे हैं उनमें ४५ हजार आदमी काम करते हैं। तो जहां भट्ठों से यह लाभ है इतने फायदे लोगों को हैं और स्कूल बनाने के लिये कालेज बनाने के लिये, अस्पताल के लिये, सबके लिये इतनी सहूलियत है, वहां एक यह भी हम समझते हैं कि ४५ हजार आदमियों के परिवार का उसमें भला हो रहा है। उसमें थोड़ा लाभ हो या नुकसान हो, यह दूसरी बात है, वह तो अपनी जगह पर अलग है लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें कितने आदमी लगे हुए हैं। फिर आप यह भी देखें कि इसका भाव ४५, ५०, ३५ रुपये पहले था, मेरा इतना जोर होते हुए भी, अपने कालेज के लिये ४५ रुपये के भाव से ईंट खरीदनी पड़ी, लेकिन आज वह २२,२३,२४, २५ के भाव में मिल रही है। तो इसलिये हमको उसमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिये। जितने रुपये दाम रखे गये हैं, वह वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहां की अवस्था देखकर दाम रखे हैं, कोआपरेटिव सोसाइटीज ने नहीं रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जहां जो दाम तय कर दिया उसी दाम पर वहां ईंट बिकती है। कोआपरेटिव सोसाइटीज इसके लिये बहुत जिम्मेदार नहीं हैं। एक बात और है। ईंटें जब बनायी जाती हैं तो वह कई प्रकार की होती हैं। फर्स्ट क्लास की होती हैं, सेकेंड क्लास की होती हैं, थर्ड क्लास की होती हैं और कुछ बहुत खराब होती हैं जिनकी कहीं बिक्री नहीं होती और वह दो रुपये, तीन रुपये हजार में बिक जाती हैं। इसलिए जो दाम एवरेज आता है, उसमें वह नहीं बिकती हैं। फर्स्ट क्लास ईंट महंगी बिकती है, सेकेंड क्लास उससे कुछ कम महंगी, थर्ड क्लास उससे भी कम दामों पर बिकती है। तो सब का निचोड़ इस प्रकार से रखा जाता है। पन्द्रह रुपया जो कहा गया, जो औसत निकलता है, उसके हिसाब से वह सही नहीं है। हो सकता है कि कहां पन्द्रह रुपये में बेंची गई हो। लेकिन अगर बिल्कुल ठीक हिसाब रखा जाय तो साढ़े सोलह या सत्रह इतना कम से कम पड़ता है। अगर थोड़ी खराबी हुई कहीं पर तो इससे भी अधिक पड़ जायगा। इसलिए एक तरह का दाम सब जगह और एक तरह की चीज सब जगह होनी मुमकिन नहीं है। जहां तक सवाल है मौलिक ढंग से काम करने का तो जब से मैंने इस चीज को शुरू किया अगर लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, पहले जब मैं दौरा करता था, अब तो कम करता हूं, तो मैंने इस बात के लिए कोशिश की है कि यह मौलिक रूप से चले। इसमें अधिक से अधिक नानआफिशियल्स आवें, इसमें हिस्सा लें और

इसका जो ढंग है वह आफिश्यल से नान आफिश्यल हो जाय। हमने अपने अधिकारियों से इस बात को कहा। लेकिन फर्क यह है कि बाम्बे में और मद्रास में जब यह काम शुरू हुआ तो यह ज्यादातर नान आफिश्यल्स के जरिये शुरू हुआ। यह ख्याल बालेन्दुशाह जी का गलत है। बाम्बे और मद्रास में खासतौर से दो जगह यह काम नानआफिश्यल्स के जरिये ही शुरू हुआ। लेकिन हमारे सूबे में भाग्यवश या दुर्भाग्यवश आफिश्यल्स से यह शुरू हुआ। तो एकदम उसको परिवर्तित कर देना मुमकिन नहीं है। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि इसमें हम काफी आगे बढ़ेंगे और जो आप चाहते हैं वह पूरा हो जायगा।

इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों का जहां ख्याल यह है कि सवा छः परसेंट इंटरेस्ट है मद्रास में। वहां पर उसका खर्चा भी और लगता है वह खर्चा लगा कर के ७ १३/१६ वहां इंटररेस्ट पड़ता है और यही इतना इंटररेस्ट बाम्बे वालों का पड़ता है। लेकिन यह तो सोचिये कि वहां बैंक कैसे हैं? एक-एक बैंक की दो-दो करोड़, ढाई-ढाई करोड़, तीन तीन करोड़ की वर्किंग कैपिटल है। जिनका इतना बड़ा कैपिटल होगा उनका खर्चा कम पड़ेगा और उनको आसानी होगी। दूसरी बात क्या होती है कि उनके यहां जो डिपाजिट्स होते हैं वह ढाई परसेंट या तीन परसेंट में एनी एमाउंट उनको मिल जाता है। आपके यहां साढ़े तीन, चार, तीन परसेंट से कम में मिलता नहीं। इसलिये हम एकाएक रेटस् रिडयूस नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से हम अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं और बैंकिंग के काम को बढ़ा रहे हैं, २३ करोड़ से ४३ करोड़ तक पहुंच गया, और इस साल ५० करोड़ तक पहुंच जायगा, तो धीरे-धीरे हमारे वहां भी यह चीज हो जायगी और हम अपने इंटरेस्ट को कम कर सकेंगे। इधर हमारा ध्यान है। और हम बम्बई और मद्रास से पीछे रहने वाले नहीं हैं इंटरेस्ट के मामले में और किसी और मामले में। यह मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जहां तक ट्यूबवेल का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में आपको कुछ गलत खबर कहीं से मिल गयी। कोई ट्यूबवेल, जहां तक मेरी जानकारी है, जो हमने बनाया है वह सरकार के हाथ में नहीं है। हमारे यहां ट्यूबवेल कई तरह के है। एक १५,००० वाले हैं जिसमें सरकार खर्चा देती है। दूसरे मुरादाबाद और गोंडा में बनाये हैं जो कि रिवोल्यूशनरी है। उनको आप क्रान्तिकारी कह सकते हैं। वहां ढाई हजार में ट्यूबवेल बना है जो १२ हजार गैलन पर आवर पानी फेंकता है। वह चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। एक जगह हमने बनाये २० तो ४० वहां की जनता ने बनाये, और वहां पर जमीन सैचुरेटेड हो गयी, कोई पानी की जरूरत बाकी नहीं रही। गोंडा में जो बनाया वह ३,००० का बनाया जो कि दूसरे तरीके से बनाया गया है। वह १२,००० तो नहीं, लेकिन ५-६ हजार गैलन पानी फेंकता है। उसकी कास्ट ३,००० की है। इसके अलावा अगर आपको जानकारी करनी होगी तो मैं अलग से बताऊंगा, इस समय डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय कम है। केवल इतना कह सकता हूं कि १९ हजार और कुछ रुपये में ८ ट्यूबवेल बने, ४ मशीनें खरीदी गयीं जो कि १२-१२ घंटे चलती हैं, और कास्ट को हमने रिडयूस किया। यह एक क्रान्तिकारी चीज हम कर रहे हैं जिसकी दूसरे नकल कर रहे हैं। ढाई हजार में बनाये गये हैं और काफी तादाद में बनाये हैं, काफी तादाद में बनने जा रहे हैं और बनेंगे।

जहां तक अकाउंट्स का सम्बन्ध है, मैंने तमाम अकाउंट्स आफिसर्स को बुलाया था और उन्होंने कहा कि डेढ़ पौने दो वर्ष से यह काम शुरू हुआ है। जैसी अकाउंटिंग पहले थी उससे अब बेटर है। जो पहले खराबियां और कमियां थीं वह कम हैं। यह कहना कि उसमें कोई खराबी, गड़बड़ी और एम्बेजिलमेंट नहीं है, हिन्दुस्तान के इन्सान ईश्वर हो गये, खुदा हो गये, इसको मैं मानता नहीं हूं। खराबी है, हमको सुधार करने

[श्री मंगलाप्रसाद]

की जरूरत है। इसलिये मैंने कहा कि आपके सहयोग की जरूरत है जिससे हम उसको कम कर सकें।

मकानों के लिए ८,००० रुपये की बात कही गयी कि सबको कैसे दिया जायगा? तो ८,००० कोई ऐसी रकम नहीं है कि जो सबको दी जा सके। कोई ८ हजार लेगा, कोई ४,००० लेगा, कोई २,००० लेगा। जैसा मकान बनायेगा उसी हिसाब से वह रुपया लेगा। इसलिए उसमें हर तरह के लोग आ सकते हैं जो आना चाहें। लेकिन मैंने जैसा कहा था पहले कि जिसके पास आज जमीन है उसी को दे सकते हैं। रही सूद की बात तो हमको जो यह रुपया मिला है उस पर हमें साढ़े चार परसेंट सूद गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को देना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट का और कोआपरेटिव का नीचे का खर्चा लगाना है, लिहाजा यह कहना कि सूद नहीं लेना चाहिये तो वह ५ परसेंट से कम तो हो ही नहीं सकता। इसलिये वह रेट कम है। लोगों को देना बहुत कम पड़ेगा। ८,००० रुपये वाले को ४३ रुपया माहवार देना पड़ेगा। ४,००० लेने वाले को साढ़े इक्कीस रुपया, दो हजार पर पौने ग्यारह रुपया पड़ेगा। उसमें कैपिटल और सूद भी शामिल है। अब समय बहुत कम है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कहीं, सबका जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। मड़ियाहूं के सिलसिले में खास तौर से कोशिश की जायगी कि वहां सुपरवाइजर रहे। हर जगह हम सुपरवाइजर रखना चाहते हैं। हमें काफी मिल गये हैं। जैसे जैसे ट्रेन्ड होते जायंगे हम हर जिले में उनको भेजते जायंगे। जितने मिले हैं वह काफी नहीं हैं। उनके अलावा और भी ट्रेन्ड करके भेजे जायंगे।

हमारी कोशिश इस काम को आन्दोलन के रूप में चलाने की है। चलाने का मैं प्रयत्न भी करता हूं, लोगों की भावना बदलने की कोशिश करता हूं और उसी का नतीजा यह है कि जहां कहीं जाता हूं लाख, दो लाख, ४ लाख रुपये प्रजेंट किये जाते हैं। काफी धूम-धाम भी होती है। यह चीज जरूर है, जो हमारे यहां है कि ऊपर से चीज चल रही है, नीचे से नहीं चल रही है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, छिपाने की बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे-जैसे वह ट्रेनिंग करते जा रहे हैं और वह ट्रेन्ड हो जायंगे अपने अधिकारों को समझने लगेंगे, अपने काम को समझने लगेंगे और अपने अकाउंट को समझने लगेंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर हम मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जितनी दिक्कतें हैं वह दूर हो जायंगी। आपने जो सजेश्न्स दिये हैं उनका जवाब नहीं दिया गया है लेकिन उनको नोट कर लिया गया है, जिन पर विचार करने की जरूरत होगी, उन पर विचार किया जायगा, जिनमें दुरुस्ती करने की जरूरत होगी उनमें दुरुस्ती की जायगी और जिसमें जैसी जरूरत होगी वैसा किया जायगा, इस भवना से मैंने उनको नोट कर लिया है। मैं श्री उमाशंकर जी से कहना चाहता हूं कि उनके यहां जो दिक्कतें हैं, अगर उनको वह बतलायेंगे तो उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामलखन त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय पर सब ने अपनी सहमति प्रगट की है और जो बुराइयां बतलाई हैं वह विभाग की बुराइयों को दूर करने के लिये बतलाई गई हैं। मुझे माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि सहकारी समितियों द्वारा मकान बनाने की योजना चलाई जा रही है, उसमें ३० वर्ष में ५ प्रतिशत सूद के हिसाब से आप २० हजार रुपये लेंगे जिसमें १२ हजार रुपया सूद का हुआ और ८ हजार रुपया मूलधन का है, तो यह किस तरह से जनता की सहायता होगी? मैं चाहता हूं कि इसको बिना सूद के किया जाय या कम किया जाय तभी यह योजना सफल हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि गन्ने का किसानों का कटौती का रुपया कुछ अभी तक बाकी है.....

श्री मंगलाप्रसाद--दे दिया गया है। जो मर गये हैं उनका नहीं दिया गया है। बाकी सबका वापस कर दिया गया है।

श्री रामनरायण त्रिपाठी--श्री गेंदासिंह जी ने बतलाया था कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के जिम्मे यह काम था और उन्होंने यह भी बतलाया कि २६ लाख रुपया अब भी बाकी है।

टयूबवेल के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि जो टयूबवेल कोआपरेटिव के द्वारा बनाये गये वह सस्ते पड़े, लेकिन ठेकेदारों वगैरा के जरिये ऐसी दिक्कतें पड़ीं कि उनकी कास्ट ज्यादा हो गई। इसलिये अब यह मांग हो रही है सरकार उनको अपने हाथ में ले ले। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि एटा में यही मांग हो रही है और बनारस में भी सिंचाई मंत्री से कहा जा रहा है तो उसकी क्या बुनियाद है, इस पर भी ध्यान दिया जाय।

सुपरवाइजर्स के बारे में हाउस ने हर तरफ से शिकायत की है। सहकारी विभाग के कर्मचारियों में मिशनरी स्प्रिट होनी चाहिये। उनको तो नमूना पेश करना चाहिये। जैसा कि मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि यह आन्दोलन ऊपर से चल रहा है, ऐसी हालत में अगर नीचे के लोगों में मिशनरी स्प्रिट नहीं होगी तो यह आन्दोलन सफल नहीं होगा। ऐसे-ऐसे सुपरवाइजर्स हैं जो १०, १५ साल से एक ही जगह पर हैं और वहां पर उन्होंने पार्टीबाजी कर रखी है और अपने रसूकात पैदा कर लिये हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों का तबादला हुआ करता है उनका भी तबादला होना चाहिये। तीन साल बाद एक जगह से दूसरी जगह उनका तबादला होना चाहिये और ५ साल के बाद तो जरूर ही हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसके आंकड़े रखेंगे।

दूसरी बात यह है कि सहकारी सोसाइटियों से जो चुनाव सहकारी संघ के लिये होता है वह सुपरवाइजर्स ही कराते हैं और चुनाव ९० प्रतिशत फर्जी होते हैं और जब तारीख रखी जाती है उसी समय चुनाव कर दिये जाते हैं। इसलिये एक सुपरवाइजर या इंसपेक्टर के यहां चुनाव दूसरे हल्के के सुपरवाइजर या इंसपेक्टर द्वारा कराये जाने चाहिये या दूसरी किसी और तरह से कराये जायं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन मशीनरी ऐसी होनी चाहिये जिससे चुनाव में धांधली न हो। वरना कोआपरेटिव सोसायटी जो आज मुर्दा पड़ी हुई हैं, उनमें नये मेम्बर नहीं आयंगे और उनकी उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिये मंत्री जी को इस ओर कोई नया प्रयोग करना चाहिये। चुनाव से जो क्रियात्मक शक्ति पैदा होती है वह होनी चाहिये। इसलिये चुनाव ठीक तरह से होने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी मांग है कि इसके ऊपर और रुपया खर्च किया जाय और जो सरकार रुपया दे रही है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव जो मैंने पेश किया है वह मुनासिब नहीं मालूम होता है, इसलिये मैं उसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या २६--सहकारिता के आधार पर ऋण (लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता) के अन्तर्गत ७०,३७,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन (लेखा शीर्षक १०—वन) के अन्तर्गत १,५७,७०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहावत है कि अज्ञानता में सुख छिपा रहता है मगर उस सुख का अनुभव लोग तभी तक करते हैं जब तक कि उससे वह पीड़ित न हो जायं। और इसी अज्ञानता के कारण इस संसार में अनेक आपत्तियां आ रही हैं। लोग वनों को काट कर खेती के बढ़ाने में मिथ्या आनन्द का अनुभव कर रहे हैं, परन्तु भूमि और वन का संतुलन खो जाने से संसार में जिस प्रकार भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही है शायद उसकी तरफ अभी तक शिक्षित वर्ग का भी ध्यान उतना नहीं गया जितना जाना चाहिये और वह उदासीन सा है। सभी को यह भली भांति मालूम है कि राजस्थान का रेगिस्तान प्रति वर्ष आधे मील की प्रगति के साथ हमारी पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रहा है, और पूर्वी जिले भयंकर बाढ़ से प्रतिवर्ष पीड़ित होते रहते हैं। तब भी हमारे पूर्वी जिलों के भाई वन विभाग की ओर से उदासीन से हैं, और यह मैं इस वजह से कह रहा हूं कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने वन विभाग के लिये कम समय दिलाने की जो बात की वह उपेक्षापूर्ण सी प्रतीत होती है। तब भी मैंने यह समझा कि इसकी (वन) महत्ता को पूरी तरह से न समझने के कारण उन्होंने यह उचित समझा कि वन बजट पर विवाद करने के लिये समय कम दिया जाय, या यह भी हो सकता है कि उन्होंने यह समझा हो कि वन विभाग का सब काम ठीक चल रहा है और उस पर कुछ नुक्ताचीनी करने या सुझाव देने की कोई गुंजायश नहीं रही है। यदि ऐसा है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और सम्भव है यह बात ही हो।

दुनिया के प्राचीन इतिहासों को देखने से पता चलता है कि वनों का सभ्यता से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, या यों कहिये कि सभ्यता के उद्गम स्थान वन ही रहे हैं। इन बातों को दृष्टि में रखते हुये गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे राजनैतिक नेताओं की तरफ से वन महोत्सव की चर्चा चली और मनाये जाते आ रहे हैं। लोग इसको कोरी राजनैतिक बातें समझते हैं और कहा जाता है कि सभ्यता का वनों से क्या सम्बन्ध है? कितनी भयावह स्थिति हमारे देश में है, और हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में है। इसकी ओर कम से कम पढ़े लिखों का ध्यान तो अवश्य ही अविलम्ब जाना चाहिये। कुछ समय पूर्व नैनीताल में पढ़े लिखे लोगों की गोष्ठी हुई। उसमें हमारे एक वन विभाग के अधिकारी ने यह कहा कि जिन-जिन देशों में जब-जब जंगल कटते गये तब-तब वहां की सभ्यता भी लुप्त होती चली गई। फिलिस्तीन की जैसी पुरानी सभ्यता इसी कारण से लुप्त हो गयी कि वहां पर वनों का ह्रास हो गया था। जब से फिलस्तीन में रेगिस्तान हुआ तब से उसकी सभ्यता मिट गयी। अब चाहे किसी को यह हास्यास्पद बात मालूम हो, किन्तु यह एक तथ्य है, और इसको मानना होगा कि हमारी सभ्यता और हमारे देश की सभ्यता भी वनों से ही उत्पन्न हुई। नैमिषारण्य जैसे बड़े-बड़े वन थे वहां पर हमारी समस्त ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें और ज्ञानभंडार की श्रुतियां, स्मृतियां और समस्त शास्त्र लिखे गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि संसार का जो सिविलाइजेशन है उसका वन से बहुत अधिक सम्बन्ध है। लैंड स्कूल में श्री राधाकमल मुकर्जी ने कहा था कि पिछली सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोलूशन हुआ है उसमें लोगों ने नेचर को बहुत एक्सप्लाइट कर दिया है। जिस प्रकार बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग किया जा रहा है, उसी प्रकार से जंगलों का संतुलन स्थापित करने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये। लोगों ने अपने-अपने व्यवसायों के लिये जंगलों से अधिक मात्रा में रा मेटीरियल को लेने से वहां के बैलेन्स को नष्ट कर दिया है, और बढ़ती हुई आबादी ने भी वनों को ही काट कर खेती के लिये उपयोग में ले लिया है, और उस पर

मैकेनाइज्ड ढंग से खेती करना आरम्भ कर दिया, बड़े-बड़े फार्म बना लिये गये । इस प्रकार हमारा जंगलों का बैलेन्स नष्ट हो गया है। हमारे प्रदेश में भी एक ओर तो हमें रेगिस्तान की रोक थाम के लिये प्रयत्न करना पड़ रहा है और दूसरी ओर बाढ़ों की समस्या हमारे सामने आ गयी है । अब भी अगर श्री रामनारायण जी न समझें तो बाढ़ और रेगिस्तान से हमारे देश का बहुत सा भाग नष्ट हो जायगा । बाढ़ के कारण पूर्वी जिलों में ज्यादा भयंकरता है। मैं आपके सामने इस बात को रख रहा था कि वन विभाग ने डेजर्ट को रोकने के लिये एक ब्रजभूमि नाम का वन डिवीजन खोल दिया है । इसके अतिरिक्त आपके यहां बाढ़ रोकने के निमित्त जो बांध बनाये जा रहे हैं उनकी रक्षा के लिये गोमती-राप्ती डिवीजन बनाया गया है। क्योंकि यह भय है कि डैम्स जो बनाये गये वे कुछ ही सालों में सिल्ट के जमा होने से भर जायंगे और सारी मेहनत बेकार न चली जाय? इसको रोकने के लिये यह कोशिश की जा रही है कि जो बांध बांधे गये हैं उनके कैचमेंट्स पर वन लगा दिये जायं जिससे वे बांध सिल्ट से भरने से रुक जायं।

हम इन योजनाओं को कामयाब बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस साल बजट में कुछ रुपया बढ़ाकर रक्खा गया है। इसमें कुछ बढ़ोत्तरी लीसे के काम के लिये है। गत वर्ष विरोधियों की तरफ से खास तौर पर यह कहा गया था कि इन चीजों को निकालने के लिये जंगलों में सड़कें बनायी जायं, इसलिये कुछ विशेष प्रकार की सड़कों को बनाने के लिये रुपया रखा गया है। तो इन सब चीजों के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। वनों के सम्बन्ध में दो चीजें महत्व की हैं;—(१) रिजनरेशन यानी उत्पादन, और (२) एक्सप्लायटेशन यानी उपयोग । अंग्रेजों के जमाने में हम लोग उत्पादन के लिये प्रकृति पर ही ज्यादा निर्भर रहते थे। प्रकृति जितना पैदा कर दे वही हम पर्याप्त समझते थे। परन्तु अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भिन्न-भिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिये रॉ मेटीरियल की जरूरत होती है । लकड़ी, चूना, पत्थर, वावड़ घास, बांस, जड़ी-बूटी आदि आदि रॉ मेटीरियल हमें वनों से ही मिलता है। अगर हम इन स्रोतों पर ध्यान न देंगे तो हमारा संतुलन ही खराब नहीं होगा बल्कि औद्योगिक विकास भी समाप्त हो जायगा। पहले जो कृत्रिम रूप से वन लगाये जाते थे वह केवल नाम मात्र के लिये ५०० या १,००० एकड़ में ज्यादा से ज्यादा लगाये जाते थे लेकिन अब १५ हजार एकड़ में वन लगाये गये हैं। खेल के सामान के लिये शहतूत और ऐश के पेड़ ५०० और २५० एकड़ में लगाये गये हैं। इसके लिये हमारा लक्ष्य क्या है यह मैं आपको बता दूं। वह यह है कि ३,७५० एकड़ में इस तरह के पेड़ लगाये जायंगे। प्लाई वुड वगैरह, नये किस्म की चीजें भी चल रही हैं। इस प्रकार के उद्योगों में जो पेड़ काम में आते हैं उस प्रकार के पेड़ों को लगाने का टार्गेट भी ७ हजार एकड़ है। अभी जैसा कि श्री मंगला प्रसाद जी ने बतलाया कि उन्होंने सोख्ता का भी काम किया। मैं आपको बतला दूं कि इस साल हम लोगों ने ५०,७१,२५० मन शोख्ता जंगलात विभाग से जलाने के लिये दिया। जितनी रेलवे लाइनें चलती हैं उनके लिये भी स्लीपर्स (पटरियां) हमने ४७.८ लाख दिये। उसी प्रकार से रेजिन की भी बात है। इस साल करीब २ लाख ९८ हजार मन लिस्सा निकाला गया, जिससे तारपीन बनता है। हमारे सूबे में कई बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज इस तरह से चल रही हैं। यद्यपि उसका सब मुनाफा हमारी गवर्नमेंट को नहीं मिलता है लेकिन उसका कुछ हिस्सा केन्द्रीय सरकार द्वारा तो मिलता ही है। जैसे दियासलाई बनाने का जो वेस्ट इंडिया मैच कम्पनी है उसको हम बहुत सी लकड़ी सेमल की देते हैं। इसके अलावा करीब १६ हजार खैर के पेड़ से कत्था बना है। इसी तरह से पेपर मिल के लिये जो बैब ग्रास है, जिससे पल्प बनता है वह भी हमने स्टार पेपर मिल को २ लाख ३७ हजार मन दिया है। तेंदू के पेड़ जिससे बीड़ी बनाई जाती है वह भी हमने काफी तादाद में दिया है।

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

जैसा कि मैंने बतलाया कि उत्पादन की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रगति काफी नहीं है, इस बात को मैं स्वयं ही कहता हूं। लेकिन कहा है कि "तेते पांव पसारिये, जेते लम्बी सौर"। आखिर आपके खजाने में जितना रुपया है? उसी के अनुसार तो प्रगति की जा सकती है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रगति हो और उसके लिये यथासम्भव पूरी चेष्टा भी की जा रही है। फारेस्ट डिपार्टमेंट से करीब ३ करोड़ ७३ लाख ४४ हजार रु० की सरकार को आमदनी है, और करीब ४० लाख रु० की आमदनी जो तराई भाबर की है वह एक्सक्लूडेड (इसमें सम्मिलित नहीं) है। इस तरह से कुल आमदनी करीब ४ करोड़ से ऊपर के होती है। इसके अलावा जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मैचेज आदि कम्पनियों से मुनाफा मिलता है वह अलग है। तो इस तरह से अगर हिसाब लगाया जाय तो आमदनी बहुत होती है और हमारे सूबे की आमदनी हिन्दुस्तान के और सूबों से कम नहीं है—सिवा एक दो को छोड़ कर। लेकिन आपने देखा है कि इसमें खर्च कितना है। इस प्वायंट से भी हमको सोचना है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा स्टाफ है उस पर कितना खर्च होता है और डेवलपमेंट के कामों में कितना खर्च होता है?

इस राज्य की बात को हम छोड़ दें लेकिन अन्य राज्यों में, जैसे मद्रास में १२ प्रतिशत, बम्बई में १.१८ प्रतिशत, पंजाब में १८ प्रतिशत डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है, जब कि हमारे यहां पहले करीब २.३१ प्रतिशत खर्च था। वह अब ६ प्रतिशत से ऊपर बढ़ गया है। खर्चा जो ऐडमिनिस्ट्रेशन पर होता है उसको मिलाकर परसेंटेज काफी बढ़ जाता है। मगर एक बात इसमें यह है कि स्टाफ पर जो खर्चा होता है वह भी हमारी सम्पत्ति के वृद्धि के लिये ही तो होता है। अगर इतना स्टाफ न रखा जाय तो कोई भी गैर कानूनी तरीके से पेड़ को काट कर उनका विनाश कर सकता है। इसलिये इस तरफ भी ध्यान देना आवश्यक होता है। मगर जैसा कि मैंने कहा कि यह तो निर्भर करता है हमारी ट्रेजरी के ऊपर। कितना हमारे स्टेट में धन उपलब्ध है उसी के मुताबिक काम करना होता है। जहां तक उत्पादन की बात है, मोटे तौर पर मैंने आपको बतला दिया। अगर आप छोटी इंडस्ट्रीज के लिए देखें तो वनों से काफी चीजें मिलती हैं जिस पर हमारी बहुत कुछ आमदनी निर्भर करती है। जैसे कि इस साल 'जिपसम', जिसकी आवश्यकता सीमेंट बनाने में पड़ती है, वह १६३६ टन निकाला गया। शहद भी काफी हमारे यहां निकाला जाता है। रोहिणी, कमेला पावडर भी निकाला गया। ४ लाख ६६ हजार रिन्गाल भी गिनती में निकाले गए। केन भी निकाला जा रहा है और यह काम भी गोंडा में कोआपरेटिव के ही द्वारा हो रहा है। कत्थे का भी हमारा उद्योग चल रहा है और काफी कत्था खैर के दरख्तों से निकाला जाता है। चूना और चूने का पत्थर भी, जिसको लाइम स्टोन कहते हैं हम निकाल रहे हैं। यह हमारी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान गया है। अब उन (वनों) के एक्सप्लायटेशन का सवाल आता है परन्तु पूर्व इसके मैं कुछ कहूं थोड़ा सा प्रकाश उत्पादन पर और डाल दूं।

इन चीजों के उत्पादन का भी ध्यान रखा गया है, इनके अलावा प्लेन के ऊपर के रीजन में भी जलवायु के अनुसार हमने कोनीफेरस और ब्राड लीव्स वाले वृक्ष लगाने का प्रबन्ध किया है जो राइफिल बट्स और स्पोर्ट्स गुड्स में काम में आ सकते हैं और हम चाहते हैं कि काश्मीर की सी लकड़ी हम यहां पैदा करने लगें और खेल के सामान उससे तैयार करें। हम तो चाहते हैं कि हम इंगलैण्ड के ऐश को लगा कर के यहां स्पोर्ट्स गुड्स बना सकें और हमारी योजना है कि हम नैनीताल और मेरठ में खेल के सामान की फैक्टरी बनावें। इसके अलावा हम ऊपर अखरोट के फलदार पेड़ भी लगा रहे हैं और राइफिल बट्स और प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स में जिन पेड़ों की लकड़ी की जरूरत होती है वह भी हम लगा रहे हैं। लेकिन मैं यह भी कह दूं कि इन तमाम

कामों में बहुत धन की आवश्यकता होती है। हमें खेद है कि हमारे उस तरफ के सदस्य ही नहीं बल्कि इस तरफ के सदस्य भी बहुत सी बातें कहते हैं कि यह भी होना चाहिए और वह भी होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के नए खर्च के लिए हमें नए कर भी लगाने पड़ें तो उनकी आपत्ति न होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी सभ्यता एटम बम से इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, जितनी जल्दी वह हमारे जंगलों के खत्म होने से नष्ट हो सकती है जैसा कि राधाकमल मुकर्जी ने भी कहा है और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है, हमारे जंगल सुरक्षित रहने चाहिए और वह हमारे लिए बड़े प्रामिजिंग हैं। हमारे यहां अब बड़े प्लान्ड तरीके से एक्सपलायटेशन हो रहा है। जितना प्लानटेशन होता है उससे अधिक जंगल काटने नहीं दिया जाता है। वार टाइम में जो क्षति हुई उसको दूर करना कठिन है लेकिन अब हम कायदे से चल रहे हैं। फिर भी एक चीज है कि हमारे यहां जो वेस्टेज है वह ७५ फीसदी आता है। हमारे यहां के वेस्टेज को देख कर दूसरे लोग कहते हैं कि यह तो क्रिमिनल वेस्टेज है। हमारे यहां जंगल से चीजें निकालने का कोई वैज्ञानिक ढंग नहीं है और हम अभी तक अपने वही पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अच्छे वैज्ञानिक ढंग से काम किया जाय तो वेस्टेज का परसेंटेज बहुत कम हो सकता है। हम पेड़ के तने को ही काम में लाते हैं और उसके लौप्स तथा टौप्स (शाखाओं आदि) को फेंक देते हैं, अर्थात् सारे पेड़ के केवल २५ प्रतिशत भाग को ही काम में लाते हैं और बाकी ७५ प्रतिशत को बरबाद होने देते हैं। बांस के लौप्स और टौप्स का भी पल्प बन सकता है। होता यह है कि बीच की लकड़ी तो चिरान की इमारती लकड़ी बनाने के काम में आ जाती है और लौप्स एन्ड टौप्स का इस्तेमाल नहीं होता तो वेस्टेज बहुत होता है। अगर रॉ मेटीरियल का सही उपयोग नहीं होता है तो कच्चा माल प्राप्त करने में कमी पड़ेगी। इसलिये किसी भी एडवान्स देश की इंडस्ट्री अपने रॉ मेटीरियल का इतना वेस्टेज बरदाश्त नहीं कर सकती। हम धन की कमी की वजह से बहुत सी चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी थे, और जो वर्तमान मुख्य मंत्री जी हैं वह इस ओर काफी सतर्क हैं और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम वह स्कीम्स बनावें कि जिससे इस रा मेटीरियल का ७५ प्रतिशत वेस्टेज न हो और उसका ठीक उपयोग हो सके। अगर हम इस दिशा में कामयाब हुए तो हमें आशा है कि आय बढ़ने तथा नये-नये विकास कार्यों को करने से हमारा विभाग का टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन न रहेगा और बहुत लाभ होगा। बल्कि इसमें सही संतुलन करना होगा, यानी जितने डेवलपमेंट वर्क्स हैं और जितना स्टाफ है इसका संतुलन ठीक रखना होगा।

दूसरे यह तो निश्चित सी बात है कि वनों के मामले में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हमारी सभ्यता के लिये कलंक की बात है और इससे सारे देश की सभ्यता पर एक तरह का असर पड़ता है। मैं बोलना नहीं चाहता था जिससे माननीय सदस्यों को मौका हो, लेकिन वैसा क्रिटिसिज्म न हो जिनके लिये मैं सूचना दे सकूं और जो कमियां हैं उनको बता दूं तो उनकी आलोचना कुछ कम हो जाय, इसलिये मैं यह बता रहा हूं। माननीय सदस्यों ने इस अनुदान के बारे में देखा तो होगा। यों तो लोग जेनरल स्थानीय बातों की ओर कहा करते हैं जो स्वाभाविक है, क्योंकि सब जगह की बातें लोग उतनी नहीं पढ़ा करते हैं बल्कि उनकी [कांस्टीटुयेंसी के लोगों की जो तकलीफ होती है उसको कहा करते हैं। तो "आप डूबा, जग डूबा" की कहावत उनके लिये ठीक है। हम इस बात की कोशिश में हैं कि सब का हक सब को मिल जाय।

श्री राजनारायण--आप टैक्स तो सभी पर लगायेंगे न?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं तो टैक्स की बात इस समय नहीं कह रहा हूं, राइट्स दिलाने की बात कह रहा हूं। हमने स्कूलों के लिये, (इस समय मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता)

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

लेकिन पब्लिक इंस्टीटचूशन्स के लिये हजारों रुपये की लकड़ी फ्री दी है, और इंडिविजुअल्स को भी जहां-जहां मुसीबत आई, जैसे बाढ़ आई, जैसे झांसी में हुआ या पूर्वी जिलों में या देहरादून, सहारनपुर में, तो वहां भी फ्री दिया है।

अब मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं कि जहां-जहां पर जो जो कठिनाइयां हैं, जैसे जो जमींदारों के जंगल सरकार में निहित हैं उनमें हकों के बाबत जनता को बहुत कष्ट था। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यह जी० ओ० हुआ कि पूर्ववत् उनके हक उन्हीं को सुरक्षित रहेंगे। यह मैं मान सकता हूं कि कहीं-कहीं पर उनके अमल करने में कोई कमी हो गई हो तो उसके लिये व्यक्तिगत रूप से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर ऐसी कमी हमें बतलाई जायगी तो हम अपनी तरफ से उसके लिये कोशिश करेंगे और करते भी रहे हैं और जहां-जहां कठिनाइयां हैं वहां हमने जांच भी की है।

अब जहां तक टेहरी के डिमारकेशन की बात है, जो पारसाल उठाई गई थी उसके लिये मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि ह्यूमन हैबिटेशन का अर्थ उसकी मकान की दूरी मानी गई थी, लेकिन अब वह आबादी से डेढ़ सौ फीट की दूरी मान ली गई है।

अब जहां तक निजी फारेस्ट (स्वयं जंगल) की बात है उसके लिये रूल्स बन रहे हैं और वे तुरन्त ही जैसे ही फारेस्ट कमेटी से सुझाव यहां पर आ जायंगे उसके पश्चात् फौरन ही उसको वापस लिये जाने का विचार रखते हैं और इस मसले पर निश्चित रूप से इसलिये बाद में ही कहा जा सकता है।

इस साल हमने एक बात की कोशिश और की है कि सारे यू० पी० के अन्दर हर जिले में प्रत्येक गांव सभाओं को इस बात के लिये तैयार किया जाय कि यदि अपने यहां लकड़ी और चारे वग़ैरह को रिजर्व बनायें तो बहुत उत्तम हो। उस काम के लिये किसी गांव में अगर बंजर भूमि न हो तो गांव सभाओं से या जंगलात के अन्तर्गत जो बंजर भूमि या वन हैं उनसे भी दिया जाने पर विचार किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जनता के लोग हैं, नेतागण हैं या और कोई, वे सब कोशिश करके इस साल के वनमहोत्वस में राज्य भर के प्रत्येक ग्राम में एक फ्यूल एण्ड फाडर रिजर्व बना डालें। अन्त में जिस प्रकार सब लोग सहयाग देते हैं उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अभी माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो मुझे ऐसा विदित हुआ कि वे ओवरकांशस होकर यह कहने लगे जिससे शायद उनके विभाग की टीका-टिप्पणी न हो। हमारे उपनेता माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने इस विभाग के लिये कम समय देने के लिये कहा उसका यह कारण नहीं है जो माननीय मंत्री जी ने समझा। दूसरा कारण जो उन्होंने बतलाया शायद वही कारण था जिसकी वजह से माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने इसके लिये कम समय के लिये कहा। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि इस अनुदान में अधिक रुपये की आवश्यकता है, हम देखते है कि गत वर्ष के अनुदान से इस वर्ष के अनुदान में करीब ४ लाख ३९ हजार रुपये की वृद्धि इसमें की गई है। यह वृद्धि कुछ कामों के लिये की गई है और वे दो चार काम हैं जैसे नर्सरी, लीसा वग़ैरह के काम। लेकिन हम देखते है कि जो विशेषज्ञ फारेस्टरी के है उनका कहना है कि देश उन्नतिशील हो तो उसके लिये कम से कम जमीन का १/३ जंगल रखना बहुत आवश्यक है, जब कि हमारे देश में १० प्रति सैकड़े से अधिक जंगल नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह देखा जाय कि आखिर ये जंगल काटे क्यों जाते हैं? अभी हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि

हमारी सभ्यता जो है जंगली सभ्यता थी और माननीय मंत्री के कहने का जो आभास मुझे मिला वह यह कि जंगल में जो जनता रहती है वह उतनी ही सभ्य होती है, क्योंकि जंगल भी मनुष्य की आवश्यकताओं को उसी तरह से पूरा कर सकते हैं जिस तरह से जंगल काट कर खेत बनाये जायं और उनमें अन्न का उत्पादन करके मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। माननीय मंत्री ने कहा जैसे लीसे का काम है, उसके लिये भी कुछ रुपया दिया गया है। लेकिन मैं देखता हूं कि इस लीसे के काम से लोगों को अधिक लाभ नहीं होता है हालांकि मंत्री जी ओवरकांशस होकर कहते हैं कि इससे बड़ा लाभ होगा। यह सही है कि लोगों को जो वास्तविक तकलीफ है उस पर विभाग का ध्यान जाना चाहिये। यह हम मानते हैं कि जंगल बढ़ाये जायं, यह भी मानते हैं कि इसमें कुछ अधिक खर्चा किया जाय, प्लान्टेशन और जंगलात के बढ़ाने में।

इसमें मैं पूरे तौर से माननीय मंत्री जी के साथ हूं लेकिन दूसरी तरफ हम यह देखते है कि जंगलात का जो उत्पादन होता है उससे लोगों का निर्वाह नहीं होता, इतनी आय नहीं होती जिससे जंगल कटते चले जाते हैं चाहे वे फारेस्ट विभाग के हों या सिविल जंगल हों। यह इसलिये होता है कि उन जंगलों से वहां के निवासियों को लाभ नहीं होता। मैं लीसे का उदाहरण देता हूं। सोमेश्वर में, अल्मोड़े जिलें में, एक लीसा फैक्टरी है उसमें करीब ५ हजार मन लीसा दिया जाता है। अगर यही लीसा अमेरिकन ढंग से निकाला जाय तो मेरा अन्दाजा है कि कुमायूं डिवीजन में करीब ६ लाख मन के लीसा निकल सकता है और इस सोमेश्वर फैक्टरी से इस बक्त जहां करीब ४० आदमियों की रोजी चलती है वहां अगर ६ लाख मन लीसा निकाला जाय तो ८,४०० आदमियों का रोजगार चल सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे सोमेश्वर में यह फैक्टरी बनाई गई है उसी तरह से वह होना चाहिये कि जहां पांच हजार मन तक लीसा निकल सकता हो वहां तक फैक्टरी बना दी जाय। उदाहरण के लिये धनपुर गढ़वाल रेंज में यदि ५,००० मन लीसा निकला है तो इसे रिफाइन करने के लिये एक फैक्टरी खोली जाय। इसी तरह अन्य जगह भी ताकि वहां के रहने वाले लोगों को जंगल काटना न पड़े और उनको अपनी आजीविका भी प्राप्त हो जाय। टैपिंग जो लीसा से की जाती है अगर उसमें भी कुछ तरक्की की जाय तो ५० हजार आदमियों को उसमें काम मिल सकता है। यह एक उदाहरण मैंने दिया। इसी तरह से मैच फैक्ट्री है और उसके लिये सेमल के वृक्ष हमारे जंगलों से जाते हैं। इसमें ६ हजार पेड़ हमारे जंगलों से दिये जाते लेकिन वह उस फैक्ट्री के लिये कम हाते हैं और उसे नैपाल से और लकड़ी अपने उपयोग के लिये मंगानी पड़ती है। इसी तरह से प्लाई उड में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वह भी हमारे यहां पर्याप्त पैदा नहीं हाती है और इसी तरह से अन्य बातें हैं। मेरे पास समय कम है अन्यथा मैं एक-एक करके सभी बातें कहता लेकिन मुझे आशा है कि इस पर ही माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। जो उद्योग वहां चल सकता है, उसको चलाने का अगर वह प्रयत्न करें तो उन जंगलों से ही वहां के निवासियों का काम चल सकता है और उनको सेल्फ सफीशियेन्ट बनाया जा सकता है और उनको बिना जंगल काटे ही आजीविका का साधन अपने लिये मिलता रह सकता है। मेरे पहले कहने पर आपने कहा था कि अगर हम टैक्स लगायें तो उसके लिये आपको तैयार रहना चाहिये....

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आप उसको गलत समझे मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि मैंने यह नहीं कहा था कि टैक्स लगाया जाय.....

श्री गंगाधर मैठाणी--खैर, जो बातें आपकी इस पुस्तिका में दी हुई है अगर उनको भी आप ठीक ढंग से और बढ़ा दें तो बहुत काम हो सकता है। आपने कहा कि सड़कें एक दो बनाई जायंगी वह इसलिये कि वहां कम्युनिकेशन के साधन नहीं हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन के साधन बढ़ा दिये जायंगे तो उनके द्वारा जो वहां

[श्री गंगाधर मैठाणी]

का उत्पादन है, जो वहां की लकड़ी है और जो वेष्ट हो रहा है उसका उपयोग दूसरी जगह किया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि वहां ज्यादा मीन्स आफ कम्युनिकेशन बढ़ाना, वहां के लोगों के हित में होगा। बरेली मैच फैक्टरी को, जो कि एकमात्र मैच का उद्योग यू० पी० में है उससे भारत सरकार को डेढ़ करोड़ रुपये की इक्साइज आमदनी होती है वह भी हमारी ही आमदनी है। इस प्रकार जंगल की आमदनी से बहुत लाभ हो सकता है। इसके अलावा जड़ीबूटियों की बात कही गई। कुमायूं फारेस्ट मैनुअल में लिखा हुआ है कि:—

"Every resident of Kumaon has an inherent right to utilize and locally sell the herbs and forest produce."

तो यहां पर लोकली का अर्थ कुमायूं डिवीजन से है, क्योंकि जब वह मैनुअल बनी थी तो कुमायूं एक अलग डिवीजन था और इसलिये मैं समझता हूं कि यह काम जो कोआपरेटिव फेडरेशन को दिया गया है वह गलत सा है और इससे जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको क्षोभ होता है। एक बात चरागाह के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। टेहरी-गढ़वाल अगर कुमायूं का हिस्सा बन गया है तो वहां के लोगों को भी इसके लिये वही राइट होना चाहिये जो इस जिले के लोगों को हैं। वहां प्रत्येक आदमी को ग्रेजिंग का राइट है। वहां चुंगी इसलिये ली जाती है कि वह एक रेंज से दूसरे रेंज में जाना चाहता है। कुमायूं में कहीं भी ग्रेजिंग का राइट्स उनसे नहीं लिया जाना चाहिये, और जो फौरेस्ट मैनुअल है उसके रूल्स में भी यही बात है। क्योंकि लालबत्ती जल गई है इतनी बातें कह कर मैं मंत्री महोदय को एक बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने जो उत्साह अपने डिपार्टमेंट में दिखाया है उसके द्वारा फौरेस्ट डिपार्टमेंट में काफी धांधलियां रुक रही हैं। हम आशा करते हैं कि जो आपकी पर्सनल ऐक्जाम्पिल है उससे आपके विभाग के लोगों को शिक्षा मिलेगी जिससे जनता का लाभ होगा।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मंत्री महोदय के इस विभाग को धन्यवाद देता हूं कि यह विभाग दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। अभी हाल में मुझको गोवर्धन जाने का मौका मिला। मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ कि वहां अफारेस्टेशन की स्कीम बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुई है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही ध्यान अगर सरकार पर्वतीय प्रदेश की तरफ भी देती तो देश का बहुत ही हित हो सकता था। जो बजट हमारे सामने है इसका मैंने अध्ययन किया। मुझे दुःख इस बात का है कि सरकार ने एक तरफ तो ४ लाख बढ़ाये हैं, मगर डेवलपमेंट स्कीम में पिछले साल के बजाय १० लाख रुपया कम कर दिया है। इस साल १ करोड़ ५७ लाख का बजट है इसमें १० लाख सिर्फ डेवलपमेंट में ही काटे गये हैं, जिससे जंगलों का विकास हो सकता था। जितने इसटेब्लिशमेंट चार्जेज हैं, ओवर हैड चार्जेज हैं वे सब जैसे के तैसे हैं। मगर जिन खर्चों से जंगलों का विकास हो सकता था, नर्सरीज बन सकती थीं, रेस्ट हाउसेज बन सकते थे, सड़कें बन सकती थीं, उन चीजों में १० लाख की कमी कर देना मैं समझता हूं यह गलत पालिसी है, शौर्ट साइटेड पौलिसी है, जिससे वन का विकास होने के बजाय हानि होने की सम्भावना है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वनों के विकास को पर्वतीय प्रदेश के लिये एक नितांत जरूरत पैदा होती जा रही है, क्योंकि अफौरेस्टेशन अगर नहीं किया जायगा तो सायल इरोजन बढ़ता चला जायगा और इसके रोकने के लिये अफौरेस्टेशन की स्कीम ज्यादा से ज्यादा की जाय जिससे फ्लड रुक सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काश्मीर के पहाड़ों से कुमायूं के पहाड़ प्रकृति की देन में कहीं ज्यादा सुन्दर हैं, परन्तु मनुष्य ने उन पहाड़ों की ओर उदासीनता

प्रकट की, जिससे कुमायूं के पहाड़ काश्मीर के मुकाबले में कुछ नजर नहीं आते हैं। मेरा मतलब यह है कि कुमायूं के पहाड़ नंगे हैं दरख्त नहीं है इसी वजह से इतना महत्व उनका नहीं रह गया, जितना काश्मीर के एवर ग्रीन फौरेस्टों का है। वहां जहां भी आप जायंगे आपको देवदार, कैल, फर, साइप्रस और चीड़ के पेड़ जंगलों में घने पायेंगे जिसकी वजह से वहां टूअरिस्ट ट्रेड बहुत चलता है। फौरेस्ट की सड़कें बनी हुई हैं, आयात निर्यात के साधन बहुत अच्छे हैं, टूअरिस्टों के लिये वन विभाग के विश्रामालय बहुत अच्छे बने हुए हैं, मगर हमारे कुमायूं के फारेस्ट में इस किस्म की योजनाओं की तरफ सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है जिससे वनों की हालत दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। प्रकृति की तरफ से जितना वहां हो रहा है वह तो होता ही है मगर सरकार की तरफ से अफोरेस्टेशन की स्कीम अभी तक अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। सरकार का यह कहना है कि हमारे पास इतना धन नहीं है इसलिये हम इन सड़कों का विकास या फारेस्ट रेस्ट हाउसेज का विकास नहीं कर सकते तो मैं उनका ध्यान काश्मीर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जैसे काश्मीर में किया जाता है वहां पर हर एक कन्ट्रेक्टर जो फारेस्ट का लीज लेता है उसके साथ यह भी शर्त रहती है कि जहां वह जंगल का चिरान करेगा उस इलाके में सड़कों का निर्माण भी वही करेगा और वहां के रेस्ट हाउसेज, जो जरूरी समझे जाते हैं, वही कन्ट्रेक्टर बनायेगा, गो कि दरख्त उन रेस्ट हाउसेज के बनाने के लिये फ्री आफ कास्ट वहां की सरकार देती है। तो ऐसी ही योजना हमारे यहां भी बनाने की जरूरत है जिससे कि यहां के वन विभाग के जरिये वनों में अच्छे से अच्छे आयात निर्यात के साधन हो जायं और अच्छे से अच्छे विश्रामालय बन जायं ताकि गरीब से गरीब लोग मैदानों से पर्वतीय प्रदेश में जाकर गर्मी के दिनों में हवाखोरी कर सकें।

इसके अलावा एक्सप्लायटेशन का जो सवाल है उसकी तरफ सरकार का ध्यान मुझे दिलाना है कि सरकार की यही एक इच्छा बनी रहती है कि वन विभाग से आमदनी बढ़ायी जाय। यह एक बड़ा गलत तरीका है क्योंकि वन विभाग से आमदनी बढ़ाना तो बहुत सरल है, जंगलों को काट-काट कर आमदनी बढ़ायी जा सकती है। लेकिन यह बड़ी शार्ट साइटेड पालिसी है। वन प्रकृति की देन है और भावी सन्तान के लिए एक ट्रस्ट के रूप में है। उसके ट्रस्टी के रूप में हमें सिर्फ यही अधिकार है कि उसको हम कैपिटल समझकर उसके इंटरेस्ट को ही काम में लायें, उसके ब्याज को ही काम में लायें न कि मूलधन को ही खाकर बैठ जायं। कहने का मतलब यह है कि ४ करोड़ रुपया जो फारेस्ट डिपार्टमेंट से आमदनी हो रही है, मैं नहीं जानता कि ४ करोड़ ब्याज जिस कैपिटल का हो सकता है? वह मूलधन क्या कम है। तो इतना मूलधन हमारे यहां है। तो जो अंग्रेजों के जमाने में डीफारेस्टेशन होता चला आ रहा है, उसे हम रोकें और एफारेस्टेशन किया जाय। मैंने बंगाल और पंजाब का भी बजट देखा। उसमें तीन चौथाई जो आमदनी होती है, उसको एफारेस्टेशन और नर्सरी इत्यादि के विकास में और उसके डेवलपमेंट के काम में वह खर्च करते हैं। लेकिन हमारे यहां ४ करोड़ रुपया आमदनी होने पर केवल १ करोड़ ५७ लाख रुपया ही खर्च किया जा रहा है। यह एक बड़ी गलत सी पालिसी है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसमें ऐसे किस्म की इकानामी न देखी जाय बल्कि जंगलों में जितना ज्यादा इनवेस्ट कर सकें वह करने की कोशिश करें जिससे उसका फल हमारे देश को सदियों तक प्राप्त होता रहे।

फारेस्ट डिपार्टमेंट का ध्यान मैं इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि अभी मैंने माननीय मंत्री महोदय का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के जरिये से हम जंगल ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ग्रामीण जनता को टेकनिकल हेल्प जब तक नहीं मिलेगी वह जंगलों का विकास अच्छी तरह नहीं कर सकते। वह लोग शिल्वीकल्चर नहीं समझते, कोई नहीं जानता कि किस पेड़ को रखना है, किसको काटना है, कहां किस चीज का जंगल लग सकता है, किस aspect का जंगल

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

है ? तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां भी यह जंगल बनाये जाते हों, उनमें टेकनिकल हेल्प सरकार की तरफ से जरूर मिलनी चाहिए, और अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जनता की जिन्दगी की जो जरूरियात की चीजें हैं उनका भी ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वहां लोगों को अपने मकानों के लिए लकड़ी चाहिये, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिये, पत्ती जानवरों के लिये चाहिये, कई हथियार बनाने होते हैं, उसमें भी तकलीफें नजर आती हैं । उस तरफ भी ध्यान सरकार का होना जरूरी है । इसके अलावा मैं फिशरीज की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने देखा कि पर्वतीय प्रदेश में बड़े बड़े नालों में डिनामाइट के जरिये बहुत सी मछलियां लोग मार दिया करते हैं। यह एक बड़ी गलत चीज है। वन विभाग अगर इसको अपने हाथ में ले ले और वार्ड ऐंड वाच की ड्यूटी रखे और कई नालों को कल्चर करके ट्राउट हैचरीज बनाये तो कई तरह की हैचरीज, ट्राउट हैचरीज जैसे कि कश्मीर में हैं, वैसी ही कुमायूं में भी हो सकती हैं।

पे स्केल के बारे में भी मुझे कहना है । मैंने देखा कि इस बजट में चपरासियों को दो रुपया तरक्की दी गई, पुलिस के कांस्टेबिलों को ४ रुपया तरक्की दी गई है, मगर वन विभाग के फारेस्ट गार्डों को, जो दूर-दूर जंगलों में बड़ी तकलीफ से जिन्दगी निर्वाह करते हैं, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया।

एक बात की ओर और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह कुमायूं फारेस्ट कमेटी की ओर है। इसमें मैं चाहता हूं कि पर्वतीय प्रदेश के या स्थानीय लोग जहां पर कि जंगलों का विकास हो रहा है, वहां के लोगों को इस फारेस्ट कमेटी में मेम्बर बनाया जाय ताकि वह वहां के वर्किंग प्लान को समझ सकें और उस वर्किंग प्लान के मुताबिक, कंजर्वेटिव प्लान के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं इसको भी देख सकें। मैंने देखा कि पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ चीड़ के ही जंगल लगाये जा रहे हैं। यह एक बहुत गलत बात है। पर्वतीय प्रदेश में कई प्रकार के पेड़, कार्नीफ़ोरस (नीली पत्ती वाले) और ब्राड लीव्ज (चौड़ी पत्ती वाले) पेड़ भी हाई आल्टीटचूड और लोअर आल्टीटचूड पर लगाये जा सकते हैं जो कि कार्मशियली भी बहुत कीमत प्राप्त कर सकते हैं । और भी बहुत रॉ मैटिीरियल पैदा हो सकता है। तो इन दरख्तों की इंडस्ट्री के बारे में भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फारेस्ट इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो पुस्तक रखी गयी उसमें बतलाया है कि कई किस्म की इंडस्ट्री हमारे फारेस्ट डिपार्टमेंट के जरिये से चल रही हैं। लेकिन जो इसमें दी हुई है उनके अलावा और भी कई लार्ज स्कैल इंडस्ट्रीज हैं, जिनको अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट करना चाहे तो ले सकती है, जैसे ट्वाइज की है, रेजिन टैपिंग की, वार्निश की, पेपर पल्प, क्रियोज़ोटिंग प्लांट, ज्वाइनरी मिल, फर्नीचर इत्यादि। इन चीजों की ओर अगर हमारी सरकार ध्यान दे तो यह सब काम भी बड़ी सहूलियत के साथ फारेस्ट डिपार्टमेंट कर सकता है, जिससे कि हमारे प्रदेश की इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी और बहुत से गरीब लोगों को सहायता भी मिलेगी और प्रदेश का, खास कर जो बेकारी का मसला है वह भी हल हो सकेगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे और यह कोशिश करेंगे कि पर्वतीय प्रदेश में, जैसा मैंने प्रश्नों के दौरान में पहले बताया था, इन दरख्तों को ब्राडलीव्ज और कार्नीफोरस को लगाने की कोशिश करेंगे।

* महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, पर्वतीय जिलों का और विशेषकर उन पर्वतीय जिलों का जिन का बन के साथ एक अटूट संबंध है, भविष्य मेरी दृष्टि में अंधकार में पड़ गया है। एक ओर हमारे कमलापति त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह उनकी लाचारी है कि वे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानते हुये कि पर्वतीय क्षेत्र की उन्नति में बहुत पैसा लगता है उस पैसे को इकानामिक ापोजीशन न समझ कर वह इस लाचारी को प्रकट करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में वह अधिक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सहानुभूति के लिये हम धन्यवाद देते हैं और इस आश्वासन के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि अनइकानोमिक प्रोपोजिशन होने की बात कह कर उन्होंने यह कहा कि जो कुछ हो सकेगा वह करेंगे। आज हमारे मंत्री महोदय एक दूसरी बात यहां कहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लाचारी है कि वे जंगल के संबंध में अधिक व्यय नहीं कर पा रहे हैं। यह लाचारी वास्तव में सही है, लेकिन मैं उन से पूछूंगा कि यदि सरकार जंगल के संबंध में अधिक व्यय करने के लिये तैयार नहीं होगी तो पहाड़ी क्षेत्रों की उन्नति किस प्रकार हो पायेगी ? जब कि विशेश कर सरकार की यह नीति है और हम सब यह नीति समझते हैं कि सड़क बनाने में अधिक व्यय वहां होता है और कम जनता को लाभ होता है। इसलिये अनइकानामिक प्रोपोजिशन है। गूल वहां बनाने में अधिक व्यय होता है, लाभ कम लोगों को होता है। दो दो, तीन तीन लाख रुपया लगेगा और एक गांव का लाभ होगा, तो यह कहा जायगा कि अनइकानामिक प्रोपोजिशन है। पहाड़ी क्षेत्रों में केवल बन ही बचते हैं और उस बन के संबंध में मंत्री महोदय और सरकार लाचारी प्रकट करती है कि इस सम्बन्ध में भी अधिक व्यय नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यदि इस प्रकार सभी सरकार के विभाग अपनी लाचारी ही प्रकट करते जायेंगे तो आखिर पहाड़ी जिलों की उन्नति किस प्रकार होगी ? यह सही कहा मंत्री महोदय ने कि बन की दो विशेश शाखायें हैं एक रिजनरेशन कार्य और दूसरा एक्सप्लायटेशन का। जहां तक रिजेनेरेशन का प्रश्न है, जहां तक पश्चिम से बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोका गया है या रोकने की चेष्टा की है और पूर्व में होने वाली बाढ़ को रोकने की चेष्टा की है, यह तो वे जानते ही हैं और पूर्वी और पश्चिमी जिलों के निवासी जानते हैं, लेकिन मैं यह पूछूगां कि एक्सप्लाइटेशन के सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि जितने बन आज उपलब्ध हैं क्या उन सब को एक्सप्लाइटेशन करने का साधन मंत्री महोदय ने उपलब्ध किया है या नहीं ? मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा मंशा यह नहीं कि सब जंगल काट दिये जायं या बगैर किसी वर्किंग प्लान के काटे जाय। मैं केवल यह कहूंगा कि टेहरी-गढवाल का एक उदाहरण ले लिया जाय। वहां अभी भी कितने जंगल बाकी हैं जिनका एक्सप्लाइटेशन अभी हुआ ही नहीं है और वह तभी हो सकता है, यदि बन विभाग पुल पर खर्च करें, सड़के बनावें, उन जंगलों को एक्सप्लाइट करने के तरीके निकाले, क्योंकि इन पहाड़ी जिलों का बन से एक अटूट सम्बन्ध है।

इसलिये मैंने कहा कि जब तक वन के संबध में खर्च नहीं किया जायगा तब तक कोई भी जरिया या किसी चीज पर खर्च करना एक अनइकानामिक प्रोपोजिशन साबित होगा। मंत्री महोदय का यह कहना कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष के समान खर्च किया। आगे उन्होंने एक अजीब तर्क पेश किया उनका कहना है कि और स्टेट में देखा जाय और आमदनी से तुलना करने पर जो टोटल ऐक्सपेंडिचर है वह बहुत ही कम है। साढ़े तीन लाख की आमदनी है खर्चा एक करोड़, सत्तावन लाख, सत्तर हजार, नौ सौ रुपये हैं। उन्होंने कहा है कि वह बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार यूनियन में रेलवे के सम्बन्ध में एक सबसीडियरी बजट बनता है उसी तरह से यदि इनका भविष्य सुधारना है तो हमारे प्रदेश की सरकार को वन के संबंध में एक सब्सीडियरी बजट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस विभाग के द्वारा जो खर्च किया जायगा उससे पहाड़ी क्षेत्रों की उन्नति हो सकती है और मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम अधिक पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं या मंत्रि मंडल ने यह कहा कि पहाड़ों की आमदनी जंगलों की वजह से फिर भी हम बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, यह ठीक नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं खर्च के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करूंगा कि बजाय आमदनी और खर्चे के तुलना करने के उनको इस बात को करना चाहिये कि खर्चे में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव का क्या प्रोपर्शन है।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

हमारा खर्चा १,५७,७०,९०० रुपये का है। इसमें देखा जाय तो जनरल डायरेक्शन का १,०१,८०० रुपये है और इस्टेबलिशमेंट का ६४,२१,४०० रुपये है। तो पूरे खर्च १,५७,७०,९०० रुपये में से ६५,२३,००० रुपया जनरल डायरेक्शन और इस्टेबलिशमेंट पर है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह ज्यादा है या कम है, मगर इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुलना की जाय तो पूरे खर्च की और वह ४१ प्रतिशत इस्टेबलिशमेंट पर है। यह सही है या गलत इसकी मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। मगर मंत्री महोदय का यह कहना कि हमारा खर्चा हमारी आमदनी से बहुत कम है, यह ठीक नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं दो विषयों पर ही कहना चाहूंगा। तराई क्षेत्र के सम्बन्ध में मुझे लखीमपुर-खीरी जाने का मौका हुआ तो वहां एक अजीब समस्या फैली हुई है। अप्रैल, १९५४ में एक गजट नोटीफिकेशन हुआ, जिसके अनुसार जंगल की सरहद में नया डिमारकेशन हुआ और इसके मातहत कई एक चक और कई स्थान, जिन पर खेती हो रही है, वह जंगल की सरहद में पड़ गये हैं। मुझे मालूम नहीं कि यह क्यों किया गया है? सरकार ने ठीक ही किया होगा, लेकिन जो इससे समस्या पैदा हुई है, वह यह है कि इन स्थानों पर जो पहले से खेती कर रहे थे तो वहां पर उनको काश्त करने से रोका जाता है क्योंकि वह जंगल की सरहद में आ गये हैं। किन्तु इसके साथ ही साथ वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अब भी लगान दे रहे हैं यह अजीब एनोमाली है? इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के पास कई रिप्रेजेंटेशन भी आये हैं और मेरा ख्याल है कि मंत्री जी इस एनोमोली को दूर करने की चेष्टा अवश्य करेंगे।

अन्त में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इधर आकर्षित करूंगा कि इल्लिसिट कोंचिंग ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। इसमें कहां तक और किसकी गलती है, इसके सम्बन्ध में अधिक न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि कोच करने वाले की गलती उतनी ही है जितनी कि वन विभाग के कर्मचारियों की है और यह माननीय मंत्री को सोचना चाहिये और यह कोशिश करना है। खाली कोचरों को पकड़ा यह एक असफल कार्य होगा। माननीय मंत्री जी को दोनों ओर देखना पड़ेगा और अपने कर्मचारियों की जो कमजोरियां हैं इस सम्बन्ध में उनको भी रोकना पड़ेगा।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वन विभाग के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वन विभाग ही एक ऐसा मुहकमा है जहां पर हजारों रुपया लगाने से लाखों रुपया आमदनी होती है। पिछले साल मैंने लालकुआं और हल्द्वानी के जंगलों को देखा जहां पर गवर्नमेंट ने १ साल के पौध, १५ और १६ फुट के वृक्ष तैयार किये हैं। हमने इस इन्तजाम को वहां पर देखा। यदि ऐसे ही रहा और इसी प्रकार से हम जंगलों को बढ़ाते चले गये तो इससे करोड़ों रुपये की आमदनी बढ़ती चली जायगी। इसके ऊपर हमारी सरकार ध्यान दे रही है।

परन्तु साथ ही मैं श्रीमन्, गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बुन्देलखंड के वन हैं उनके लिये कोई भी इन्तजाम नहीं किया जाता है, किन्तु और और जगह लाखों रुपया खर्च हो रहा है। बुन्देलखंड में कुछ जंगल पहले थे और अब कुछ जमींदारी के खत्म होने से और लाखों एकड़ जमीन ले ली गयी है। मगर वहां पर छोटे किस्म के जंगली पेड़ हैं जो जलाने के काम में ही आते हैं। उनसे सिवाय जलाने के और काम नहीं चल सकता है। अगर सरकार वहां पर कोशिश करे तो जैसा कि मैंने सुझाव दिया था और जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर साहब और चीफ कंजर्वेटर साहब ने मुझसे वायदा किया था, उस वायदे को कार्य रूप में परिणत किया जाये और उस ओर सरकार ध्यान दे। यदि माननीय मंत्री जी वहां पर चलें और एक दो दिन से वहां पर काम नहीं हो सकता है, अगर एक मर्तबा वह हमारे साथ १५ दिन तक वहां उस इलाके में रहें तो उनको वहां का सब हाल मालूम हो जाय। वह ऐसा इलाका

है कि जहां पर अच्छा चूना, लाइम स्टोन, गेरू, रामरज बहुत मिलता है। अगर वहां पर सड़क निकाल दी जाय तो करोड़ों की सम्पत्ति वहां पर पैदा हो सकती है। उन जंगलों में लोगों को पीने के लिये पानी भी नजदीक नहीं है, खाने पीने के लिये अन्न भी नहीं है। वहां पर ठीक दो छटांक फी आदमी पैदावार है। इसलिये कुछ सहारा हो जाय और साथ ही लोगों के लिये कुछ कारखाने का प्रबंध कर दिया जाय तो वहां पर बहुत उन्नति हो सकती है। वहां पर फलदार वृक्ष लगाये जायें, जिससे जनता को भी लाभ हो, इससे बहुत कामयाबी वहां पर हो सकती है। मैंने गत वर्ष डी० एफ० ओ० साहब से बात की थी तो उन्होंने बतलाया कि साहब हमको ७ हजार रुपया साल भर के लिये सरकार से मिला है तो उससे क्या किया जा सकता है? वहां पर रास्ते इतने खराब हैं मेरा ख्याल है कि साल भर में बहुत कम आफिसरों को उन जंगलों में जाने का अवसर मिलता होगा। वे रास्ते ऐसे हैं जिनमें पानी के झरने भी हैं, बांधों में। अगर वहां पर एक दो लाख रुपया खर्च किया जाय तो उससे करोड़ों रुपया वहां से मिल सकता है।

मैं अपनी गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बुन्देलखंड ही एक ऐसी जगह है जिसमें गवर्नमेंट का अधिक पैसा खर्च नहीं होता। बांदा से आपको लाखों रुपये की आमदनी सिर्फ वहां की बीड़ी के पत्तों से होती है। अगर उसी पैसे को वहां पर लगा दिया जाय तो उस जंगल का कल्याण हो जाय। किसी समय में जब, मैं इसका व्यापार करता था, तो सी०पी० से आकर इस काम को शुरू किया था। तो वह जंगल ५०० या हजार रुपये में बिकते थे। परन्तु अब वही जंगल ५ लाख रुपये में बिकते हैं। अगर गवर्नमेंट ५ लाख रुपया हर साल वहां पर लगाये और तरक्की के काम उससे करे, पानी का इन्तजाम और सड़कों का इन्तजाम करे तो वहां के जंगल भी तराई की तरह से बन जायं और वहां की जनता भी सुखी हो जाय। परन्तु वहां पर कुछ भी नहीं किया जाता। मैं अपने डिप्टी मिनिस्टर साहब से सिफारिश करूंगा कि जो जो मैंने सुझाव दिये हैं वह उनके यहां नोट किये गये होंगे और कंजर्वेटर साहब ने भी नोट किये होंगे। अगर वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय, रास्ते का प्रबन्ध किया जाय तो वहां पर बहुत तरक्की हो सकती है। बाहर से मजदूर लाकर वहां काम कराया जाता है। खाली जमीन में बस्ती बसायी जाय तो जंगलों की तरक्की हो सकती है। बीड़ी के पत्ते का काम केवल मई और जून के महीने में होता है जबकि आप जंगलों में गर्मी के मारे नहीं जा सकते हैं। वहां पर बाहर से मजदूर लाकर काम कराया जाता है। जहां जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर लोग रह कर काम करते हैं। १०, ५ मील का फासिला होता है। यदि यहां पर पानी की व्यवस्था नजदीक कर दी जाय, यातायात का समुचित प्रबंध कर दिया जाय तो वहां पर मजदूर जाकर मजदूरी कर सकते हैं और आबाद भी हो सकते हैं और इस प्रकार से मजदूर दिन में २-२ रुपया कमा लेता है। छोटे छोटे बारह साल के बच्चे भी काम करते हैं और पैसा कमा लेते हैं। यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो काफी लोगों को रोजी मिल सकती है और तरक्की हो सकती है। फलदार वृक्ष लगाने के वास्ते मैंने चित्रकूट और बाल्मीकि आश्रमों के लिये सुझाव दिया था, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि वे कार्यरूप में कब परिणत किये जायेंगे या नहीं? यहां पर लाखों बीघा जमीन बेकार पड़ी हुयी है। यहां पर कत्थे व चिरौंजी के व्यापार के लिये भी काफी साधन हैं। खैर की लकड़ी भी यहां जंगलों में बहुत लगायी जा सकती है। चीड़ और साखू भी यहां पैदा हो सकते हैं। यह बहुत लंबे पेड़ हैं और उससे काफी आमदनी हो सकती है।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो आज बनों का विकास किया है तथा उजाड़ भूमि को हरा बनाने में जो प्रयास सरकार ने किया है उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु इन बातों के साथ ही साथ में सरकार का ध्यान इन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिनका घनिष्ट सम्बन्ध आम जनता से है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बन लगाने के इम्प्रूव्ड साधनों को छोड़कर आज वही पुराने साधन अमल में लाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस जमाने में वही पुराने गुलामी जमाने के कानूनों को लागू करना कान्स्टीट्यूशन का उल्लंघन करना है और यह हमारी मातृभूमि के कानूनों के

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

प्रति द्रोह है । इस विभाग ने पुराने जमाने के कानूनों को लागू करके आम जनता को दुखी बना रक्खा है । अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास तीन-तीन बंदोबस्तों से जमीन थी, जो उस पर रेग्युलर कल्टीवेशन करते आ रहे थे, जहां पर उनके घर और गाय भैंस थीं, उनके पेड़ थे, वे उनसे महरूम कर दिये गये हैं और उस जमीन को जबरदस्ती जंगलों की हदूद के अन्दर लाकर उन वतन वालों को बेवतन कर दिया गया है । मैंने इसके लिये छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर चीफ मिनिस्टर साहब तक बातें की । जब मैं अपनी कांस्टीटुयेंसी में दौरे पर गया तो वहां बहुत सी स्त्रियां रोती हुयी अपने बच्चों के साथ मेरे पास आयीं और मैंने देखा कि उनके साथ बहुत ही हार्ड व्यवहार किया गया है । मैं नहीं समझता कि यह इंसानों को खत्म करके जंगलों का किस प्रकार से विकास किया जा रहा है? अगर आप मुल्क के अन्दर जंगल ही जंगल करना चाहते हैं तो बस्तियों को उजाड़ दीजिये । आप जंगल लगाना चाहते हैं, यह सजेशन अच्छा है । लेकिन जब हम यह कहते हैं कि पहाड़ों पर अधिक बस्ती बसी हुयी है उसको बसाने के लिये तराई भाबर की जमीन को खाली कर दीजिये, लेकिन आप वह भी नहीं करते और उस वक्त आपको यह ख्याल होता है कि प्लेन्स बह जायेंगे । अगर आप यू० पी० को फ्लड से बचाना चाहते हैं, अगर आप उन गरीबों की भी मदद करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों की तराई इलाके भाबर में व्यवस्था करनी होगी । जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक उच्च भावनायें रखने की बातें करना और बड़े-बड़े उसूलों का प्रतिपादन करना, मैं समझता हूं इससे इंसानों की समस्या हल नहीं हुआ करती है । हमें बड़ी दृढ़ता के साथ बुद्धिमता से काम लेना है और मैं समझता हूं कि हमारे जंगलात के जितने क्वार्टर्स हैं, जितने आफिसेज हैं, चूंकि उनका आम जनता से रिश्ता है, इसलिये वे क्वार्टर्स उन्हीं के नजदीक होने चाहिये । लेकिन जंगलात विभाग के अफसरों की सुविधा के लिये, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिये जनता से सैकड़ों मील दूर, उन क्वार्टर्स को कर दिया गया है । मैं साफ बतला देना चाहता हूं कि इस तरह से आप जनता के साथ अन्याय करते हैं । मैं पूछता हूं कि आखिर मंसूरी में दफ्तर ले जाने की क्या जरूरत थी ? वह इसीलिये न कि जो सरकार के अफसर हैं उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की सुविधा हो । जो हमारे बहुत से गरीब भाई हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का आपने क्या प्रबन्ध किया है जो इनके लिये आप इतनी सुविधा देते हैं, इन लोगों को तो बड़ी ऊंची ऊंची तनख्वाहें मिलती हैं, फिर क्या कारण है कि आम जनता के हितों को नजर अन्दाज किया जाता है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बनों में बहुत बड़ी समृद्धि है जो वेस्ट होती जा रही है जबकि यातायात के अच्छे साधन हो जाने पर हम उस समृद्धि को बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्र के उत्थान में कार्यान्वित कर सकते हैं । लेकिन मैं बतलाऊं कि आज लाखों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति जाया हो रही है हमारी नालायकी से, हमारी कमअक्ली से । हम सब लोग आपस में विचार विमर्श करके इस चीज को टैक्स कर सकते हैं । इसके लिये कोई अच्छा तरीका न इजाद करके, केवल उत्साह की बात करके, केवल विकास की बात करके और लोगों को इगनोर करके, लोगों के हित पर कुठाराघात पहुंचाना, मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है । मैंने टेहरी-गढ़वाल में जाकर देखा कि जो बस्ती तीन पुश्त से बसी हुयी है उसको जंगलात विभाग ने जबरदस्ती अपने अन्दर घेर लिया है, उसके चारों तरफ अपना पिलर्स खड़ा कर दिया है । जो आम सड़क है वहां पर जंगलात विभाग के पिलर्स आज भी मौजूद हैं । इसके लिये कई बार सरकार को लिखा गया है, सरकार के पास रेप्रेजेंटेशन भेजे गये हैं, बावजूद इसके आज तक सरकार इसका कोई इन्तजाम नहीं कर सकी है । मैं समझता हूं कि हमको बुद्धि से काम लेना चाहिये । इस प्रकार हुकूमत चलाने से काम नहीं चल सकता है । जहां पर गुंजाइश हो वहां पर जंगल बनें, लेकिन जनता के साथ व्यवहार अच्छी तरह से होना चाहिये । मैंने उत्तर काशी में देखा कि वहां के जंगल में कुछ बकरियां चर रही थीं जिनको जंगलात के कर्मचारियों द्वारा पकड़वाया गया । वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मौजूद

था, मैंने कहा कि स्वतंत्र भारत में क्या नागरिकों को यह भी अधिकार नहीं है कि वे जंगलात में अपनी बकरियां भी चरा सकें? अगर उन नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है तो उनको इस देश से बाहर निकाल दीजिये। मैं समझता हूं कि इस जमाने में इस प्रकार से लोगों पर अत्याचार करना खतरे से खाली नहीं है। इस तरह से हमारे देश को कमजोर करना है और हमारे देश के संगठन को धक्का पहुंचाना है और जो हमारा विकास है उसको पीछे खींचना है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री गंगाधर मैठाणी का नाम पुकारने पर श्री नारायणदत्त तिवारी बोलने के लिये खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तिवारी से) अगर आप बोलना चाहते हैं तो इसके लिये इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है कि आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में लावें, क्योंकि ५ बजे तक इसे खत्म करना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल के लिये आधा घंटा समय और बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब आप बोल सकते हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, आर्थिक दृष्टिकोण से जब हम इस बजट को देखते हैं तो सन् ४६ से इसकी आमदनी दुगुनी हुयी है और खर्च ढाई गुना बढ़ा है। लेकिन खर्च ढाई गुना बढ़ने पर भी जितना विकास बन विभाग का होना चाहिये था उस अनुपात से नहीं हुआ है। केवल ६२ हजार एकड़ जमीन ऐसी है जो सन् ४६ से लेकर आज तक एफारेस्ट की गयी है। अगर सरकारी रिपोर्ट को ही सही माना जाय तो यू० पी० में कोई एक लाख ८० हजार एकड़ जमीन एफारेस्ट होनी चाहिये, लेकिन सरकार केवल १७ हजार एकड़ जमीन एफ़ारेस्ट कर रही है। तो इस लिहाज से ६ सौ साल के अन्त में जाकर सरकारी जंगलात लग पायेंगे। प्रश्न यह था कि कौन सी भूमि एफारेस्ट करें, क्योंकि इस सूबे में जंगलों का बटवारा इस प्रकार है कि जिन जिलों में जमीन की ज्यादा जरूरत है वहीं जंगल ज्यादा हैं। पहाड़ों में भूमि पर आबादी का दबाव ज्यादा है और पापुलेशन बढ़ रही है। जहां पर भूमि की अधिक आवश्यकता और मांग है वहीं जंगल भी बढ़ाये जायं तो यह नीति आत्मघाती होगी। आप देखें कि भूमिहीनों की समस्या तराई भाभर में कितनी ज्यादा है? अभी खेड़ा में वहां हरिजनों ने जो भूमिहीन थे सत्याग्रह किया, हालांकि उनसे सत्याग्रह करने को किसी ने नहीं कहा। वहां आप प्लानटेशन करना चाहते हैं तो यह गलत है। वह वहां होना चाहिये जहां प्राइवेट फारेस्ट्स हैं। हमारे यहां साढ़े ११ करोड़ एकड़ प्राइवेट फारेस्ट हैं और लाखों एकड़ जमीन वेस्ट लैन्ड पड़ी हुयी है। अगर इस जमीन में एफारेस्ट हो तो वह जमीन भी काम में आ सकती है और उससे स्वायल कन्जरवेशन भी रुक सकता है और इस तरह से जहां आप जंगल लगाना चाहते हैं वह जमीन इन भूमिहीनों के लिये बच सकती है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी एफारेस्टेशन पालिसी को बदले और उसको अपने लैन्ड मैनेजमेंट सरकिल बढ़ाने चाहिये। यह दो या एक जो मौजूदा लैन्ड मैनेजमेंट सरकिल हैं उनसे काम नहीं चल सकता है। केवल १६ लाख रुपया इस साल बजट में एफारेस्टेशन के लिये रखा गया है, लेकिन भूमिहीनों के लिये जंगल विभाग ने कोई निश्चय नहीं किया है। आपको मालूम होगा कि कुमायूं डिवीजन में जंगल विभाग के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा था और माननीय पंत जी ने स्वयं उस आंदोलन को उठाया था, जिसके कारण एक फारेस्ट ग्रीवेंसेज कमेटी बैठायी गयी थी। उसकी रिपोर्ट भी मैं समझता हूं कि सरकार के पास होगी और उसी वक्त वहां पर हक हकूक की लकड़ी का भी सवाल उठाया गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सन् ११ में जंगल विभाग ने किसी तरह से तमाम जमीनों पर कब्जा कर लिया था और कोई जगह गरीब लोगों के लिये नहीं छोड़ी। अब तक उन लोगों के प्रीवेन्सेज पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और कोई हक हकूक भूमिहीनों को आज तक नहीं दिये। वहां पर एक तरफ तो भूमिहीनों को भूमि देने की समस्या है और दूसरी तरफ आप जंगल भी वहीं लगाना चाहते हैं, यह दो परस्पर विरोधी समस्यायें चल रही हैं जो सेल्फ कन्ट्रेडिक्टरी हैं और दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसके अलावा कुमायूं फारेस्ट कमेटी की जो सिफारिशें थीं उनको भी आज तक लागू नहीं किया गया। वहां १,०५८ फारेस्ट पंचायतें हैं, बिल ड्राफ्ट किया हुआ है लेकिन आज तक एक्ट पास नहीं कराया गया। उन फारेस्ट पंचायतों के बारे में एक ऐक्ट का होना बहुत जरूरी है। वहां आज भी टोंगिया सिस्टम जारी है जो एक प्रकार की बेगार है, उसको खत्म करना चाहिये। उनसे दो-दो, चार-चार सौ एकड़ जंगलात लगवाये जाते हैं और जो कि मैं समझता हूं कि संविधान के भी खिलाफ है और उनको यह बेगार करनी पड़ती है। इसलिये इस टोंगिया सिस्टम को हमें जल्द खत्म करना चाहिये। उन से यह बेगार ली जाती है और उनको हक हकूक की लकड़ी तक नहीं दी जाती है और होता यह है कि वह जंगलात के छोटे कर्मचारियों से मिलकर चोरी से लकड़ी ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको लकड़ी वहां से नियमानुसार मिलनी चाहिये।

लीसे और टरपेनटाइन का विषय है। मैंने इसमें देखा कि यहां पर सरकार अमेरिकन सिस्टम लागू करना चाहती है कि लीसे का टेपिंग अमेरिकन तरीके से किया जाय, जिससे खर्च कम होगा। अगर सरकार कोई ऐसा सिस्टम लागू करना चाहती है जिससे कम लोगों को रोजगार मिले तो मैं उसके खिलाफ हूं। अगर इस तरह से लीसे का टैपिंग किया जायगा तो बहुत से लोगों की रोजी पर उस का प्रभाव पड़ेगा और उनकी रोजी छिनेगी। पिछले साल भी वहां की बेकारी दूर करने के लिये रखा गया था, लेकिन वह वैसे ही रखा हुआ है और वहां बेकारी दूर करने के लिये कोई काम नहीं किया गया और वह रुपया क्या हुआ इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है? साथ ही यह सही है कि हमें वनों की वृद्धि करना चाहिये और उनकी रक्षा भी अनिवार्य है। हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये, जिससे हमारी लकड़ी भी जरूरत के लिये निकल सके और जंगल भी सुरक्षित रह सकें और जमीन भी वह ठीक रह सके। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपना सारा समय इस ओर लगावें कि प्रांत में लकड़ी की बढ़ती हुयी मांग को वह कैसे पूरा कर सकते हैं और लकड़ी की कमी के कारण हमारे प्रदेश में न जाने कितने गोबर के कंडे बनाकर जला दिये जाते हैं और उससे देश का कितना नुकसान होता है! तो इनका सामन्जस्य करना एक बड़ा भारी कार्य है और इसमें विरोधी दल उनका पूरा-पूरा साथ देने के लिये तैयार है। लेकिन, श्रीमन् उन्होंने कहा कि हमारी दिलचस्पी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि आज वन मंत्री उपस्थित नहीं हैं और इससे यह मालूम होता है कि सरकार की दिलचस्पी वन विभाग की ओर नहीं है और सरकार यह समझती है कि माननीय जगमोहनसिंह नेगी की यह केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति है और वह उस सीमित इलाके के दृष्टिकोण से देखते होंगे ऐसा सरकार का ख्याल है। तो हम चाहते हैं कि वन, जो हमारे शस्य श्यामला प्रकृति के सौन्दर्य के प्रतीक हैं, सुजलां और सुफलां शस्य श्यामलां के जीवित चित्र ये वन माने जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जनता के बुनियादी अधिकारों पर हस्तक्षेप न हो, यह भी आवश्यक है।

मैं क्षेत्रीय बातों को जब तक कोई आवश्यक बात न हो तब तक नहीं कहना चाहता। लेकिन सरकार ने एक कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात रखी है। मेरा कहना यह है कि कुमायूं के जंगलों की आमदनी का चौथाई हिस्सा इसको दे दिया जाय, क्योंकि वहां की मुख्य आमदनी जंगलात से ही हो सकती है। तो जब आप कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड बना रहे हैं तो उस बोर्ड के हाथ में जंगलात की आमदनी का चौथाई हिस्सा दें जिसके जरिये से कुमायूं में सड़कें बन सकें, वहां के लोगों को लकड़ियों में हक मिले, वहां के भूमिहीनों को भूमि मिले, जब यह सब सामंजस्य के साथ होगा तभी हमारी बनों की योजना निश्चित और शक्तिशाली योजना हो सकेगी।

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री जी को बधाई देता हूं, जो कुछ भी कार्य इस विभाग की तरफ से हुआ है वह अद्भुत हुआ है। मैं ऐसे इलाके से, आजमगढ़ से आया हूं जिसकी लम्बाई ७५ मील और चौड़ाई ७० मील है। मैं बचपन से और विशेषकर आज से १०, १५ साल पहले तक देखता था कि कोई ऐसा बड़ा गांव नहीं है जहां जंगल न हों, परन्तु आज देखता हूं कि इस पूरे विस्तृत चौड़े भूखंड में एक दो बीघा भी जंगल नजर नहीं आता, यह दूसरी बात है कि फलदार वृक्ष देखने में आते हैं, लेकिन जंगलों की भांति आज जिस तरह से धुंवाधार इनकी कटाई हो रही है उसको देखते हुए कहना पड़ेगा कि हमारे पूर्वी भाग, और आजमगढ़ जिले का दुर्भाग्य है कि इस तरह फलदार वृक्ष और जंगल कट जायं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा है कि कुमायूं डिवीजन के अन्दर जंगल काफी हैं और फिर भी जंगल लगाये जा रहे हैं! यह तो उन्होंने विरोध के लिये कहा है। मैं तो कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी भूख को मिटाने तथा इस लौकिक, पारलौकिक सुख को देने के लिये ईश्वरीय देन है और उसके लिये जंगलों की बहुत बड़ी जरूरत है। केवल अन्न खाने से ही भूख नहीं मिटती, बल्कि बहुत तरह की भूख होती है। उनमें से एक यह भी है जिसको मिटाने के लिये जंगलों का लगाया जाना बहुत आवश्यक है। दूसरे जंगली प्रदेशों में भ्रमण करते हुये मैं उन्हें अतृप्त नेत्रों से देखता हूं और फिर अपने यहां का स्मरण कर हृदय विचलित हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि केवल खेती के बल पर और जमीन के बल पर यदि हम चाहें कि हमारी योजनायें आगे चलें तो बिलकुल असम्भव है। आज यह बहुत जरूरी है कि जितनी खेती हो उसी हिसाब से जंगलों की भी आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करूंगा कि आप सर्वे करा लें, शायद एक दो बीघे से ज्यादा जंगल हमारी ओर आपको नजर नहीं आयेगा। २० नदियां हमारे जिले में बहती हैं। मैं घाघरा की बात नहीं कर रहा हूं छोटी-छोटी नदियों की बात कहता हूं जिनके सारे किनारों पर घने-घने जंगल रहते थे, लेकिन आज सारे जंगल कट गये और इस तेजी से किनारे कटते जा रहे हैं कि मैंने देखा है कि करीब-करीब पूरे जिले की कुल भूमि का ५ फीसदी जमीन तो आज कटकर बह गयी है।

मैं चाहूंगा कि जहां माननीय मंत्री जी कुमायूं डिवीजन के जंगलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और रेगिस्तान के बढ़ते हुये वेग को समर की तरह प्रतिरोध करने में तल्लीन हैं उसी तरह से उन इलाकों को भी देखें। वहां की भूख को मिटाने के लिये भी जंगलों का लगाया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां की जनता की सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही है। जंगलों के काटने की जिम्मेदारी अधिकांश हमारी ही पीढ़ी के ऊपर है, भावी सन्तान हमें गाली देगी। मैं चाहता हूं कि इसमें मंत्री जी हमारी सहायता करें और हम लोगों को जिन्दा रखने की कोशिश करें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, संसार में यह कहावत प्रसिद्ध है "आदि अन्त को जोड़िये तिय सतवन्ती होय"। वन विभाग वह विभाग है जो जन्म से ले कर मरण तक हमारे काम आता है। वन रहने के लिये वृक्ष, खाने को फल, हर चीज प्रदान करते हैं। विरोधी बन्धुओं का भाषण सुन कर बड़ा खेद हुआ जब कि इस विभाग को ३०० प्रति सैकड़े का मुनाफा होता है। इस विभाग से सरकार को ४ करोड़ में से ढाई करोड़ का मुनाफ़ा होता है और डेढ़ करोड़ का इसमें खर्चा होता है। जागरफी जानने वाले भी कहते हैं कि किसी भी समाज को पनपने देने या सुखी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि वहां वृक्ष हों। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो पानी नहीं बरसेगा। अगर आप इस देश में शस्य श्यामला देखना चाहते हैं तो वृक्ष लगाने के लिये वनमहोत्सव में सहयोग दीजिये। वन विभाग के मंत्री जी के हाथ मजबूत कीजिये।

मेरे बस्ती जिले में एक बड़ा भारी जमीन का पोर्शन है जिसके लिये हमने अपने जिले के उच्च अधिकारियों से निवेदन किया है और लिखा पढ़ी की है कि १ लाख रुपये की क़ीमत की वह जमीन है, फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसमें नर्सरी का काम लें, और वह जमीन सरकार इस तरफ से अपने हाथों में ले ले तो बड़ा उपकार होगा और वहां की शोभा बनी रहेगी वर्ना वहां मकान बन जायेंगे।

[श्री शिवनारायण]

अध्यक्ष महोदय, पानी नहीं बरसेगा तो रेगिस्तान का बावेला और बढ़ेगा । मेरी कांस्टीट्युएंसी में बालू वैसे ही ज्यादा है। कई नदिया वहां बहती हैं। मैंने नेगी जी से कहा और फारेस्ट विभाग के जो रेंजर वगैरह वहां जाते हैं उनसे भी कहा कि वहां एक सेठ जी की जमींदारी है, उन्होंने सारे पेड़ कटवा दिये और गांव वालों और शहर वालों को सस्ते दामों पर लकड़ी बेच दी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करें और नदी के किनारे को जो जुतवा दिया है उसे अपने कंट्रोल में करे और पेड़ लगाये ताकि वहां का बालूपन दूर हो और उस इलाके को पानी मिले और वहां के लोग सुखी और सम्पन्न हों। यही वन विभाग है जिसने नीचे के लोगों को पहाड़ों पर ले जा कर बसाया है।

माननीय चरणसिंह जी ने प्रश्नों के उत्तर में बताया था कि वहां ३०० बीघा जमीन रिजर्व रक्खी हुई है रिफ्यूजीज के लिये। आइये मेहनत कीजिये, सरकार के हाथ को मजबूत कीजिये, उसका हाथ बटाइये। यह सरकार पहले की सरकार की तरह लूटमार करने वाली नहीं है। जमींदारों ने लाखों पेड़ कटवा दिये। जिन्होंने पेड़ कटवाये उन्होंने इस देश के साथ बड़ा आघात किया, इस देश में रेगिस्तान बढ़ाने की उन्हीं की जिम्मेदारी है। जमींदारी सरकार ने एबोलिश की लेकिन एबोलिशन के पहले जमींदारों ने पेड़ कटवा डाले और अब भी कटवाते जा रहे हैं। सरकार उधर ध्यान दे। कानून बना हुआ है लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा है। मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि उनको सचेत होना चाहिये, सतर्क रहना चाहिये जिससे कि यह विभाग सभलीभूत हो और हमारे देश का जो शस्य श्यामलां का नारा है वह पूरा हो । अन्न की पूर्ति हो जिससे अमेरिका और रूस से अन्न न मंगाना पड़े और हमारे देश की गरीबी दूर हो ।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मैदान का रहने वाला हूं, पहाड़ों से बहुत ज्यादा दूर, लेकिन हमारे वन विभाग के उपमंत्री ने जिस प्रकार से अपने बजट को रक्खा और जो भाषण दिया उससे कुछ दिलचस्पी जरूर पैदा हुई और मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक डिवीजन को कायम करने की घोषणा की जो गोमती और राप्ती के बीच में होगा। मैं नहीं जानता कि आया सुल्तानपुर भी उसमें शामिल होगा या नहीं ? जहां तक मैं समझता हूं सुल्तानपुर भी उसमें शामिल होगा ।

(अभी श्री कुंवरकृष्ण वर्मा का भाषण समाप्त नहीं हुआ था कि सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर)

RULES FOR THE DISPLAY OF THE NATIONAL FLAG OF INDIA

* * * * * *

II—Display of the Flag on Cars.—

The privilege for the use of the Flag on motor cars will be limited to the—

(*i*) Governors and Rajpramukhs when outside their States.

(*ii*) Ruling Princes who may also use the flag together with their own flags if they so desire.

(*iii*) Heads of Indian Missions in foreign countries.

(*iv*) Ministers of Union and States.

(*v*) Mnisters of State and Deputy Ministers of the Union and State Governments.

(*vi*) Chairmen of Upper Chambers where these exist.

(*vii*) Speakers of the Parliament of India and State Legislative Assemblies.

(*viii*) Chief Commissioners.

Wherever they may be whether in their own State or when visiting another State.

(*ix*) Regional Commissioners in Part "B" States.

(*x*) Deputy Chairman of the Council of State and the Deputy Speaker of the Lok Sabha whether at Headquarters or when visiting another State.

The following further instructions have been issued by the Government of India in regard to the display of the Flag on cars :

(1) The Flag should be furled or removed immediately when a Minister leaves his car and should not be flown except when he himself is seated or travelling in it.

(2) Since Flags on the cars of the Ministers are mainly intended for the information of the public and the police so that a Minister's car may not be held up in traffic, there is no objection to the Flag being displayed when a Minister is seated in the car even after sunset.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर)

देवरिया जिले के प्रत्येक तहसील में जितने व्यक्तियों ने अस्त्रादि के लाइसेन्स के हेतु प्रार्थना पत्र सन् १९५३, १९५४ में दिया था, और उसमें जितने प्रार्थना पत्र स्वीकृत हुए, उनका विवरण :—

सन् १९५३ ई०

नाम तहसील	व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था।	संख्या लाइसेन्स जो स्वीकृत हुआ				कुल जोड़
		बन्दूक	रायफल	पिस्टल	रिवाल्वर	
१	२	३	४	५	६	७
देवरिया	१८८	३०	..	..	२	३२
हाटा	९८	१९	..	..	..	१९
सलेमपुर	१००	१४	..	..	३	१७
पडरौना	६३	१५	१	..	३	१९
कुल जोड़	४४९	७८	१	..	७	८७

सन् १९५४ ई०

देवरिया	९५	२५	१	..	३	२९
हाटा	६७	१९	१	..	२	२२
सलेमपुर	७५	२१	१	..	..	२२
पडरौना	८२	२०	..	..	..	२०
कुल जोड़	३१९	८५	३	..	५	९३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

अल्प बचत योजना, उत्तर प्रदेश

३० नवम्बर, १९५४ तक प्राप्त धनराशि तथा ३१ मार्च, १९५५ तक के लिये निर्धारित लक्ष्य का जिलेवार विवरण।

क्रम संख्या	जिला	३० नवम्बर, १९५४ तक प्राप्त धनराशि	३१ मार्च, १९५५ तक के लिये निर्धारित लक्ष्य—
२	२	३	४
१	देहरादून	१८,९६,५४७	१०,८६,०००
२	सहारनपुर	१२,१५,२१८	४०,५९,०००
३	मुजफ्फरनगर	५,६१,८८३	३६,६६,०००
४	मेरठ	२०,१३,२२२	६८,७३,०००
५	बुलन्दशहर	११,६०,५१७	४५,०९,०००
६	अलीगढ़	१६,६६,९९२	४६,१७,०००
७	मथुरा	८,५६,४११	२७,३६,०००
८	आगरा	२१,६३,४८५	४५,०६,०००
९	मैनपुरी	४,७७,१८३	२९,८५,०००
१०	एटा	६,६२,०८२	३३,७२,०००
११	बरेली	११,६४,४०३	३८,१०,०००
१२	बिजनौर	६,०८,३५०	२९,५२,०००
१३	बदायूं	३,६८,१२०	३७,५३,०००
१४	मुरादाबाद	१३,६६,६३८	४९,८६,०००
१५	रामपुर	३,८८,८१८	१६,३२,०००
१६	शाहजहांपुर	९,३५,८०४	३०,१२,०००
१७	पीलीभीत	३,८९,०७९	१५,१२,०००
१८	फर्रुखाबाद	७,४६,८५०	३२,७३,०००
१९	इटावा	७,८१,४९९	२९,१६,०००
२०	कानपुर	३५,१९,४००	५८,२०,०००
२१	फतेहपुर	५,२९,८६०	२७,३०,०००
२२	इलाहाबाद	३०,९८,२७२	६१,४४,०००
२३	झांसी	९,९७,२००	२६,४०,०००
२४	जालौन	३,७७,७५६	१६,८६,०००
२५	हमीरपुर	५,४०,४११	१९,९८,०००
२६	बांदा	४,७९,९०४	२३,७०,०००
२७	बनारस	३५,०३,९९५	५९,४९,०००
२८	मिर्जापुर	४,१०,०६९	३०,५७,०००
२९	जौनपुर	८,८२,५०५	४५,४८,०००
३०	गाजीपुर	५,२५,८३८	३४,४४,०००
३१	बलिया	९,००,२८५	३५,८८,०००
३२	गोरखपुर	१२,७८,२०४	६७,११,०००

क्रम संख्या	जिला	३० नवम्बर, १९५४ तक प्राप्त धनराशि	३१ मार्च, १९५५ तक के लिये निर्धारित लक्ष्य
१	२	३	४
३३	देवरिया	१,६५,३१३ ..	६३,१२,०००
३४	बस्ती	८,१४,५१७ ..	७१,७०,०००
३५	आजमगढ़	१०,१८,१५६ ..	६३,०९,०००
३६	नैनीताल	८,६२,७२९ ..	१०,०५,०००
३७	अल्मोड़ा	६,१८,०५३ ..	२३,१३,०००
३८	गढ़वाल	४,४६,२०८ ..	१९,११,०००
३९	टेहरी-गढ़वाल	२,६२,१८८ ..	१२,३०,०००
४०	लखनऊ	४०,६५,०९६ ..	३३,८७,०००
४१	उन्नाव	२,७९,३६७ ..	३२,०४,०००
४२	रायबरेली	६,४५,८१८ ..	३४,७४,०००
४३	सीतापुर	८,०५,९४७ ..	४०,८३,०००
४४	हरदोई	४,७८,२९२ ..	४०,८३,०००
४५	खीरी	११,०३,४३० ..	३१,८६,०००
४६	फ़ैजाबाद	९,४१,९०२ ..	४४,४९,०००
४७	गोंडा	१२,२९,०५९ ..	५६,४३,०००
४८	बहराइच	७,७३,६११ ..	४०,४१,०००
४९	सुल्तानपुर	१०,२२,८६८ ..	३८,४९,०००
५०	प्रतापगढ़	४,४१,५८८ ..	३३,३०,०००
५१	बाराबंकी	६,१६,८५० ..	३७,९५,०००

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--३ एल० ए०--१९५५--७९६ ।